Par. 8. 17. L. 5.52
285

अंक १

संख्या ५

शुक्रवार,

२३ मई, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha (First Session)

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २११—२५१]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २५१—२६४]

(मूल्य ४ आने)

184 PSD

लोक सभा

दस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन्नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—(पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल [ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली (पूर्व)]

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री क० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही—पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुरसत्तार, श्री (कलनां—कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मन्डी—महासू)

अय्यंगर, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिगंलपुट)

अलवा, श्री जोशिम (कनारा)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्यून्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनजिर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित—आंग्ल—भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर — उत्तर — रक्षित — अनुसूचित जातियां)
कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल — रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गोड)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)
करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर—चूरू)
कास्लीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झालावाड़)
कांबले, श्री देवरोआ नामदेव रोआ (नान्देड़—रक्षित अनुसूचित —)
काचि रोयर, श्री डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर—व ज़िला फ़ैज़ाबाद दक्षिण फश्चिम)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुतूर)
काले, श्रीमती अनुसुय्या बाई (नागपुर)
किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच—पूर्व)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० वी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौशिक, श्री पन्ना लाल आर० (टोंक)

ख

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर सतारा)
खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना—अकोला)
खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा पूर्व)
गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना—मध्य)
गाम, श्री मल्लूडोरा, (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
गिरधारी भोय, श्री (कालाहांडी—बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम क़ादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)
गोपीराम, श्री (मंडी—महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
गोहैन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम—जन जाति क्षेत्र)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (वर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमति रेणु—(बंशीरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरेन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)
चंडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
चंदा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चाको, श्री पी० टी० (मीनाचिल)
चंडक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चावड़ा, श्री अकबर (बनासकोठा)
चापरिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए आर नागप्पा (रामनाथपुरम)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेडक)
जसानी, श्री चतुर्भुज वी (भंडारा)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटव वीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेन्कनाल—पश्चिम कटक—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर—क्योंझर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ्फ़रनगर—उत्तर)

जेन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर—राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झा आज़ाद, श्री भगवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्री वैकुण्ठम)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला—शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

डोरास्वामी, पिल्ले रामचन्द्र, श्री (वेलौर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुखाबाद—दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना. पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फ़रनगर—दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरिंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांम उत्तर)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (बर्दबान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बी० (जाजपुर,—क्योंझर)
दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री वेली राम (बारपेटा)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा —पूर्व)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद उत्तर)
दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
देव, हिज़ हाइनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)
देशमुख, श्री चिंतामणि द्वारकानाथ (कोलाबा)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)
नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना, रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा)
नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंड्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरायांकिल)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर—उत्तर व खीरी — पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहा-बाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)
पटेल श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दर-भंगा)
पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)
पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद उत्तर पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीशजीराव, (दिक्षण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल—व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर)
पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाडे (अहमदा-बाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)
पारिख, श्री रसिक लाल यू० (ज़ालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेह-सना पूर्व)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (ऐल्लेप्पी)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलुप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री हरिशंकर (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़-ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर—लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राह्मण्यम, श्री एस० (मदुराई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
बुरुआ, श्री देव कान्त (नौगांव)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदगनर दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित—आंग्लभारतीय)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तरपूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्षमण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़—जालौर)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवत माल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बांकुडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह, (तरन तारन)
मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनाडा—उत्तर)
मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री अनूप लाल (भागलपुर व पूर्निया)
मतहा, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
महता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
मातन, श्री सी० वी० (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर—राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, श्री पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विजनेश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूरुणन, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिरुकुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर—झुंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफ़ी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रजमी, श्री सैयद उल्लाखां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल—सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़ज़ुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित— अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारी बाग़)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री बिश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मीनाबाद)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वरंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाडा—दक्षिण)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्द्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्टल० (खम्मम)
राव, श्री राघासमं शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन, बिशप जांन (नाम निर्देशित—अण्डमान निकोबार—द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)
लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर—लुधियाना)
लास्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार—लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लातरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ—मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़ पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटारमन, श्री आर० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)
शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना—भिंड)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)
शास्त्री पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)
शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)
शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)
शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सौरठ)
शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शिवा, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
सखारे, श्री टी० सी० (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ़्फ़रपुर मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ़्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला ग़ाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसन्द (ज़िला ग़ाज़ीपुर पश्चिम)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, श्री लैसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)
सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरपुर—सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर पूर्व)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस) पूर्व)
सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा—रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगुजा—रायगढ़)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा श्री एच० (हासन—चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)
सिन्हा, अवधेश्वर प्रताप (मुजफ़्फ़रपुर पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़ पूर्व)
सिंहा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)
सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया पश्चिम)
सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर-पश्चिम)
सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री काडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रहमण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल श्री ए० आर० (चम्बा—सिरमौर)
सैय्यद, अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्णिया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्म (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित जल जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्त शयनम् आय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटसकर
श्री एन० सी० चटर्जी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कॉल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन
श्री एस० एल० शकधर
श्री एन० सी० नन्दी
श्री डी० एन० मजूमदार
श्री सी० वी० नारायण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री गोविन्दराव धर्मजी वर्तक
प्रो० सी० पी० मैथ्यू

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री	श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
संचरण मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
रक्षा मंत्री	श्री एन० गोपालस्वामी अय्यंगार
वित्त मंत्री	श्री सी० डी० देशमुख
योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
गृहकार्य तथा राज्य मंत्री	श्री के० एन० काटजू
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास
रेल तथा यातायात मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रिगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जैन
वित्त राज्य-मंत्री	श्री महावीर त्यागी
सूचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर

उपमंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री	श्री डी० पी० करमरकर
निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री	श्री एस० एन० बुरागोहिन

लोक सभा

शुक्रवार, २३ मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन सहायता के अन्तर्गत ग्राम्य विकास

*१२२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बातें दी हों ;

(क) प्रकृष्ट ग्राम्य विकास कार्यक्रम" के सम्बन्ध में फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन सहायता के अन्तर्गत वस्तुतः जो कार्य हो रहा है ;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत स्थापित पांच प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थान तथा दिये जाने वाले प्रशिक्षण का पूर्ण ब्यौरा ;

(ग) पन्द्रह प्रकृष्ट विकास परियोजनायें उन का ब्यौरा, परिव्यय तथा कार्यान्वित किये जाने की अवधि ; तथा

(घ) इन प्रशिक्षण केन्द्रों तथा परियोजनाओं के लिये दिये गये धन की राशि अथवा उसके प्राक्कलन ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३]

फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन योजना

*१३५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क फोर्ड फ़ाउन्डेशन तथा भारत सरकार के बीच हुए करार के अन्तर्गत कितनी प्रशिक्षण तथा विस्तार परियोजनायें आरम्भ की गई हैं ;

(ख) यह परियोजनायें कहां स्थित हैं ; तथा

(ग) क्या प्रशिक्षार्थियों को चुन लिया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अब तक स्वीकृत हुई १३ परियोजनाओं में से अभी हाल में ही दो प्रशिक्षण तथा विकास और तीन विकास परियोजनायें आरम्भ की गई हैं ।

(ख) **प्रशिक्षण तथा विकास परियोजनायें—**

१. कृषि विद्यालय, आनन्द, बम्बई।
२. विश्वेश्वरैय्या नहरी फार्म, मैसूर

विकास परियोजनायें—

१. कुकटपल्ली (हैदराबाद नगर से ५–६ मील की दूरी पर)
२. भांदसों, तहसील नाभा, पैप्सू ।
३. आसाम के कामरूप ज़िले में रंगिया ।

(ग) राज्यों में प्रशिक्षार्थियों को चुना जा रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: श्रीमान्, क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि यह योजना किस के प्रोत्साहन से आरम्भ की गई है तथा भारत को विदेशों से क्या वित्तीय सहायता मिलती है ?

श्री किदवई: इस परियोजना पर १ लाख १९ हज़ार रुपये कुल व्यय हुआ है— अर्थात् ५६ हज़ार का पूंजी व्यय और ६३ हज़ार का आवर्त्तक व्यय । जैसा कि प्रगट है पहले दो वर्षों का प्रारम्भिक व्यय फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन द्वारा उठाया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ग्राम्य जनसंख्या के हित के लिये इस योजना के आरम्भ किये जाने से पहले भारतीय ग्राम्य जीवन के कुछ विशेषज्ञों से परामर्श कर लिया गया था ?

श्री किदवई: प्रत्येक स्तर पर उन से परामर्श किया जाता है ।

श्री एस० एन० दास: इन केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिये चुने जाने वाले प्रार्थियों की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिये ?

श्री किदवई: यह प्रशिक्षार्थी राज्य सरकारों की सेवा में हैं, अतः प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने राज्य के प्रार्थियों के लिये अलग अर्हतायें निर्धारित करती है ।

श्री एस० एन० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन प्रशिक्षण केन्द्रों के शिक्षक पहले ही नियुक्त किये जा चुके हैं ?

श्री किदवई: अभी नहीं । यह सब कार्य राज्य सरकारों द्वारा ही किया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किस समय तक यह प्रशिक्षार्थी ग्राम्म क्षेत्रों को वस्तुतः प्रशिक्षण दे सकेंगे ?

श्री किदवई: मैं बतला चुका हूं कि केन्द्र चुने जा चुके हैं और प्रशिक्षार्थी भी राज्य सरकारों द्वारा चुन लिये गये है । यह तो इस पर निर्भर होगा कि प्रत्येक राज्य अपने उन कर्मचारियों से किस प्रकार का कार्य चाहता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या यह सत्य नहीं है कि पांच केन्द्र तो पहले ही से चल रहे हैं जहां लोगों को प्रशिक्षण मिल रहा है ?

श्री किदवई: पांच केन्द्र चुने जा चुके हैं और राज्य सरकारों द्वारा उम्मीदवार चुने जा रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास: ये केन्द्र किस आधार पर चुने गये हैं ?

श्री किदवई: यह केन्द्र राज्य सरकारों की सिपारिश पर ही चुने गये हैं ।

श्री के० डी० मालवीय: क्या सरकार उन भारतीय विशेषज्ञों के नाम बतलाने की कृपा करेगी जिन से इस योजना के सिलसिले में परामर्श लिया गया है ?

श्री किदवई: इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या मैं इन विकास परियोजनाओं और सामूहिक परियोजनाओं के परस्पर मुख्य अन्तर को जान सकता हूं ?

श्री किदवई: यह कृषि के विकास के लिये है और इस में कृषि के प्रकृष्ट विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा ऐसी नई विधियां चलाई जायेंगी, जो विदेशों तथा भारत के कुछ भागों के अनुभव से सफल सिद्ध हुई हैं ।

श्री एन० आर० नायडू: क्या इन पांच केन्द्रों में से कोई भी केन्द्र आंध्र में भी स्थापित करने का विचार है, जहां प्रादेशिक भाषा म ही शिक्षा दी जा सकती है ?

श्री किदवई: विवरण में पांचों केन्द्रों के स्थान दिये गये हैं ।

जनाब अमजद अली: क्या सरकार इस बात पर प्रकाश डालेगी कि इस योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में केन्द्र राज्य सरकारों पर किस प्रकार अधीक्षण रखेगा ?

श्री किदवई: एक समिति होगी जो अपने सदस्यों को प्रत्येक केन्द्र पर इस बात को देखने के लिये भेजेगी कि योजना के अनुसार ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है अथवा नहीं ।

अविभागीय अंचल मास्टर

***१२३. श्री वैलायुधन:** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य के अविभागीय अंचल मास्टरों/उस समय पोस्ट मास्टरों के स्तर पर ही रखा गया था जब वेतन तथा भत्तों के सम्बन्ध में एकीकरण किया गया था ; तथा

(ख) उन अविभागीय अंचल मास्टरों को, जो अब ब्रांच आफिस पोस्ट मास्टर (शाखा कार्यालय पोस्टमास्टर) हैं, क्या वेतन औरभत्ते दिये जाते हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी नहीं, उन्हें अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों के जिन के समान उन का स्तर भी है, स्तर पर रखा गया था ।

(ख) उन्हें अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों जैसा वेतन आदि मिलता है, किन्तु उन्हें राज्य द्वारा दिये जाने वाले पुराने वेतन-क्रमों पर काम करने का भी विकल्प दिया गया है ।

श्री वैलायुधन: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस आदेश को लागू कर दिया गया है तथा क्या वह इसी आदेश द्वारा स्वीकृत वेतन पा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम: आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

श्री वैलायुधन: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह आदेश लागू कर दिये गये हैं ?

श्री जगजीवन राम: मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

आदेश जारी कर दिये गये हैं, और स्वीकृत वेतन लेने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी ।

पूर्वी जोन रेलवे

***१२४. श्री वैलायुधन:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्वी जोन की रेलों का पुनर्वर्गीकरण हो गया है अथवा नहीं ;

(ख) ई० आई० रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के विरुद्ध विभिन्न हितों द्वारा की गई मांगों को सरकार ने कहां तक पूरा किया है; और

(ग) पूर्वी जोन का नया मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) स्यालदा डिवीज़न तथा हावड़ा डिवीज़न के शाखा विभागों को पूर्वी रेलवे में सम्मिलित किया गया है ।

(ग) कलकत्ता ।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस बात का ज्ञान है कि विगत अप्रैल में भूतपूर्व यातायात मंत्री द्वारा सदन में की हुई घोषणा तथा केन्द्रीय रेलवे परामर्शदात्री परिषद् द्वारा किये गये निश्चय के विरुद्ध पूनर्वर्गीकरण की प्रणाली को बदल दिया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री: जी हां, कुछ परिवर्तन हुए थे । रेल मंत्रालय तथा राज्य

सरकारों के बीच चर्चा और परामर्श होने के बाद उन्होंने छः जोन बनाने का निश्चय किया, जैसा कि समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है तथा आय-व्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में भी जिसका उल्लेख किया जा चुका है :

श्री वैलायुधन: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ई० आई० रेलवे के कर्मचारियों के गोरखपुर स्टेशन को, जो पुनर्वर्गीकृत रेलवे का वर्तमान मुख्य कार्यालय बनाया गया है स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में कोई विरोध प्रगट किया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: पहले ही इस बात का आश्वासन दिया जा चुका है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना स्थानान्तिरत नहीं किया जायेगा ।

श्री जांगड़े: क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि पूर्वी रेलवे को कितने विभागों में विभक्त किया गया है, और हर डिवीजन के हैडक्वार्टर्स (मुख्य कार्यालय) कहां कहां हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री: पूर्वी रेलवे में दो खास खास हिस्से मिलाये गये हैं । एक बी० एन० आर०, दूसरा ईस्ट इंडियन रेलवे का वह हिस्सा जो कि लखनऊ, मुदाराबाद और इलाहाबाद डिवीजन को छोड़ कर बाकी रह जाता है । उस का हैडक्वार्टर कलकत्ता में है और उस के कई डिवीजन हैं ।

श्री जांगड़े: पूर्वी रेलवे का मध्य प्रदेश में जो डिवीजनल हैडक्वार्टर (विभागीय मुख्य कार्यालय) है वह कहां है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: इसके लिये नोटिस (पूर्वसूचना) चाहिये ।

श्री धुलेकर: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा पहले ही निश्चित की गई रेलवे प्लेटफार्म पर छत डालने की योजनाओं पर इस पुनर्वर्गीकरण का कोई प्रभाव पड़ेगा और क्या उन पर पुनः चर्चा की जायेगी अथवा वह पनः वर्गीकरण पूर्ववत् ही रहेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री: वह पूर्ववत् ही रहेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि व्यापारिक हितों, प्रान्तीय सरकारों तथा विभिन्न सन्थाओं ने अन्य कौनसी मांगें रखी हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री: विभिन्न हितों द्वारा अनेक मांगें पेश की गई थीं और उन सभी पर विचार किया गया था । बंगाल तथा अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ इस विषय पर चर्चा की गई थी । इस में संदेह नहीं कि अभी तक कोई पूरा समझौता तो नहीं हो सका है, किन्तु जिस पुनर्वर्गीकरण का हम निश्चय कर चुके हैं, अधिकांश राज्य उस से सहमत हो गये हैं ।

श्री मेघनाद साहा: क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये जाने से पहले रेलवे का प्रशासन रेलवे पर्षद के अधीन था, और रेलवे पर्षद् का मुख्य सिद्धान्त था कि प्रविधिक तथा व्यापारिक कार्यक्षमता के हितों के लिये ही रेलों का प्रशासन चलाया जाय ?

अध्यक्ष महोदय: कदाचित् वह सूचना प्राप्त करने के बदले सूचना दे रहे हैं ।

श्री टी० के० चौधरी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किन राज्यों ने उन निश्चयों से सहमति प्रगट नहीं की थी ? उन्होंने 'अधिकांश राज्य' कहा था ।

श्री एल० बी० शास्त्री: यों तो व्यावहारिक रूप से प्रत्येक राज्य सहमत हो गया है । विशेषतया पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में एक दो बातों पर मतभेद है ।

श्री टी० के० चौधरी: मतभेद की बातें क्या हैं तथा किन राज्यों ने असहमति प्रकट की है ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह प्रश्न बहुत ही बड़ा होगा ।

चीनी का उत्पादन

*१२५. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) वर्ष १९५१-५२ में भारत में चीनी का कुल उत्पादन कितना हुआ ; तथा

(ख) इसी अवधि में भारत में कुल कितना गुड़ तैयार किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):

(क) ३०-४-५२ तक १३ लाख ५० हज़ार टन ।

(ख) २७ लाख ४४ हज़ार टन (अनुमानित) ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सन् १९५०-५१ की अपेक्षा सन् १९५१-५२ में चीनी और गुड़ का उत्पादन बढ़ गया है ?

श्री किदवई: जी हां, उत्पादन बढ़ गया है क्योंकि पिछले दो वर्षों में गन्ने की खेती में लगभग २० प्रति शत की वृद्धि हुई थी ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने गन्ना उत्पन्न करने वाले राज्यों को यह सुझाव दिया है कि गन्ने के दाम कम कर दिये जायें, और यदि दिया है, तो क्या गन्ना उगाने वाले सभी राज्यों ने यह परामर्श मान लिया है ?

श्री किदवई: जी हां, गन्ने के भाव कम करने के लिये कई सुझाव दिये गये थे, किन्तु सम्बद्ध सरकारों ने सोचा कि इस से कृषकों की आय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.

श्री दाभी: देश की चीनी और गुड़ की साधारण वार्षिक आवश्यकता क्या है ?

श्री किदवई: प्रति वर्ष साधारणतया १० लाख टन चीनी की आवश्यकता होती है, किन्तु मुझे निश्चय है कि यदि दाम कम कर दिये जायें तो आवश्यकतायें बढ़ जायेंगी ।

श्री पोकर साहेब: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को सन् १९५२-५३ में अधिक उत्पादन होने की आशा है ताकि भारत से चीनी का निर्यात हो सके ?

श्री किदवई: चीनी का निर्यात नहीं होता है क्योंकि यहां का उत्पादन परिव्यय अन्य देशों के उत्पादन परिव्यय से अधिक है ।

श्री गुरुपादस्वामी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार निकट भविष्य में ही चीनी से नियंत्रण हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री किदवई: आज कल चीनी की स्थिति कुछ ऐसी है कि इस को अपनियंत्रित किया जा सकता है, किन्तु प्रश्न यह है कि बहुत अधिक दाम देकर गन्ना खरीदा गया था, और इसलिये यदि सभी चीनी खुले बाजार में बेची जाय तो शायद मिल-मालिकों तथा सरकार दोनों को ही बहुत अधिक हानि उठानी पड़ेगी । अतः हम किसी निर्यात बाजार की तलाश में हैं, और आगामी वर्ष के दाम निर्धारित करते समय, वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

कमी वाले क्षेत्रों में कुंए बनवाने के लिए आर्थिक सहायता

*१२६. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत सरकार ने कमी वाले क्षेत्रों में कुएं बनवाने के लिये क्या किसी राज्य को आर्थिक सहायता दी है ;

(ख) यदि दी है, तो किस राज्य अथवा किन राज्यों को इस प्रकार की सहायता दी गई है ; तथा

(ग) विभिन्न राज्यों को इस प्रकार की सहायता के रूप में कुल कितना धन दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश । कुछ अन्य राज्य, जो कमी के कारण पीड़ित थे, अपनी प्रस्थापनायें भेज चुके हैं, और उन पर विचार हो रहा है ।

(ग) २४,००,००० रुपये ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में कितने कुएं बनवाने का विचार है ?

श्री किदवई : उन का विचार ६,००० कुएं बनवाने का है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या राज्य सरकार इस व्यय का कुछ भाग वहन करेगी ?

श्री किदवई : मेरा यही विचार है किन्तु मैं इस के लिये पूर्वसूचना चाहता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या किसानों को भी इस व्यय का कुछ भाग देना पड़ता है, और यदि देना पड़ता है, तो वे कितना भाग देंगे ?

श्री किदवई : कुछ मामलों में किसानों को तकावी ऋण दिये जाते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किन कारणों से सरकार को अधिकय वाले क्षेत्रों में कुएं बनवाने के लिये सहायता ना बन्द करना पड़ा ?

श्री किदवई : कोई भी चीज़ बन्द नहीं की गई है । सिंचाई के लिये जल पहुंचाने की साधारण प्रक्रिया पूरी की जा रही है । किन्तु यह तो विशेषतया कमी वाले क्षेत्रों के लिये है ।

पंडित ए० आर० शास्त्री : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की मांग है कुंवों के लिये, वह कुएं किन जिलों में अधिकतर बनाये जायेंगे ?

श्री किदवई : यह यही एरिया (क्षेत्र) है जहां से आनरेबुल मैम्बर (माननीय सदस्य) तशरीफ़ लाते हैं (पधारे हैं) ।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर : क्या पंजाब सरकार ने ट्युब वेल्स (नलकूपों) के लिये सरकार-हिन्द (भारत सरकार) से कुछ कर्जा मांगा है ?

श्री किदवई : मेरे विचार से कोई ऐसी योजना है तो, किन्तु मैं तुरन्त कोई उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि नलकूपों से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या बिहार कमी वाला क्षेत्र नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री के० डी० मालवीय : क्या सरकार जानती है कि कुएं बनाने के कार्यक्रम को जारी रखने में उत्तर प्रदेश सरकार की सब से बड़ी बाधा यही है कि उसे भारत सरकार कच्चे माल के उचित यातायात के लिये माल गाड़ी के डब्बे नहीं दे सकती है ?

श्री किदवई : कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मुझ से इस बात का उल्लेख किया था कि सीमेण्ट तथा अन्य सामग्री रुकी पड़ी है, और मैं इस मामले की छानबीन कर रहा हूं ।

सेठ गोविन्द दास : उत्तर प्रदेश के सिवाय और किन किन प्रदेशों पर विचार किया जा रहा है । माननीय मंत्री ने अभी

कहा था कि और भी कुछ प्रदेशों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

श्री किदवई: जिन जिन प्रदेशों ने दरख्वास्त (प्रार्थना) की है उन पर विचार किया जा रहा है ।

पंचवर्षीय अग्रिम योजना

*१२७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि राजपूताना मरुभूमि को स्थिर बनाने के लिये सरकार द्वारा एक पंचवर्षीय अग्रिम योजना बनाई गई है ; तथा

(ख) यदि बनाई गई है, तो इस योजना का अनुमानित परिव्यय क्या है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां ।

(ख) प्रथम वर्ष में ३.१७ लाख रुपये ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं इस अग्रिम योजना की मुख्य बातें जान सकता हूं ?

श्री किदवई : यदि माननीय सदस्य को इस की आवश्यकता हो तो मैं एतत्सम्बन्धी पूरा साहित्य सदन पटल पर रख सकता हूं । मैं सदस्यों में इस साहित्य को वितरित भी कर सकता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस योजना द्वारा राजपूताना की मरुभूमि को आगे बढ़ने से रोका जायेगा, और इस पर कितना व्यय होगा ?

श्री किदवई: वर्तमान योजना पांच वर्षों के लिये है और सम्भव है कि इस को और पांच वर्षों तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

डा० राम सुभग सिंह : इस योजना को कार्यान्वित करने का व्यय क्या है ?

श्री किदवई: प्रथम वर्ष में इस पर ३,१७,००० रुपये व्यय होंगे और अनुमान लगाया जाता है कि इस पर कुल व्यय १२ लाख रुपये होगा ।

श्री कास्लीवाल: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने इस योजना के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से कोई परामर्श किया है ?

श्री किदवई : निस्संदेह ।

साउथ इंडियन रेलवे मजदूर संघ

*१२८. **श्री नम्बियार :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि साउथ इंडियन रेलवे के जनरल मैनेजर (महाप्रबन्धक) ने दक्षिण भारतीय रेलवे मज़दूर संघ की मान्यता वापिस ले ली है ; और यदि हां तो क्यों ;

(ख) क्या सरकार का विचार सदन पटल पर कोई एक ऐसा विवरण रखने का है जिसमें दक्षिणी रेलों द्वारा इस समय मान्यता दी गई श्रम संस्थाओं की क्रमशः सदस्य संख्या और दक्षिण भारतीय रेलवे मज़दूर संघ की मान्यता वापिस लेने के समय की सदस्य संख्या दी हुई हो ; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार मज़दूर संघ की बहुत बड़ी सदस्य संख्या तथा प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए उसे पुनः मान्यता प्रदान करने का है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां । अवैध हड़तालें करवाने के साथ साथ अनुशासन के प्रति विध्वंसकारी गतिविधियों में कई वर्ष लगे रहने के कारण मार्च, १९४९ में दक्षिण भारतीय रेलवे मज़दूर संघ की मान्यता वापिस ले ली गई थी ।

(ख) एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]

(ग) दक्षिणी रेलवे के जनरल मैनेजर ने इस बात की ओर निर्देश किया है, और अब इस की जांच की जा रही है ।

श्री नम्बियार : माननीय मंत्री द्वारा सदन पटल पर रखे गये आंकड़ों से यह पता चलता है कि १३,५०० की सदस्य संख्या वाला मज़दूर संघ तथा १,५०० की सदस्य संख्या वाला एक और संघ मान्यता पा चुके हैं । मैं यह प्रश्न कर सकता हूं कि २०,००० श्रमिकों की सदस्यता वाले संघ को क्यों मान्यता नहीं दी गई ? सदन पटल पर तो तथ्य रखे हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस सारी युक्ति को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि पहले इस संघ को मान्यता दी हुई थी, किन्तु इस की गतिविधियों के कारण मान्यता वापिस ले ली गई थी और यह इसलिये भी किया गया था, क्योंकि संघ ने एक ही वर्ष में चार अवैध हड़तालें कराई थीं ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या वर्तमान विधि के अन्तर्गत हड़तालें करने की पूर्वसूचनायें दी गई थीं, अथवा बिना सूचना दिये ही हड़ताल की गई थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कभी भी कोई समुचित पूर्वसूचना नहीं दी गई थी ।

श्री वीरस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि गोल्डन राक रेलवे वर्कशाप की कैन्टीन कमेटी के हाल में हुए निर्वाचन में दक्षिण भारतीय रेलवे मज़दूर संघ के सभी नामनिर्देशित सदस्य भारी बहुमत से चुने गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह इस विषय पर तर्क कर रहे हैं । वह किसी विशेष बात के सम्बन्ध में सूचना मांग सकते हैं । जिस समय आयव्ययक पर चर्चा होगी तो उन्हें यही प्रश्न पूछने का मौक़ा मिलेगा ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस रेल संस्था द्वारा चलाई जाने वाली सहकारी ऋण संस्था के लिये निर्वाचित हुए संचालकों में से अधिकांश संचालक दक्षिण भारतीय रेलवे मज़दूर संघ के सदस्य हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पुनः यह तर्क की बात हुई कि जारी किये गये आदेश उचित नहीं थे । इस से कोई लाभ नहीं । वह कोई सूचना नहीं मांगते हैं, बल्कि वह एक विशेष दृष्टिकोण के समर्थन में यह सूचना दे रहे हैं कि सरकार की कार्यवाही गलत थी अथवा अत्याचारपूर्ण थी । अब वह और क्या सूचना चाहते हैं ? आयव्ययक पर विचार किये जाते समय यह युक्ति देकर वह अपेक्षित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें और भी अवसर मिलेगा ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम : मैं केवल यह पूछना चाहता था कि क्या यह सत्य है कि अधिकांश.....

अध्यक्ष महोदय : चूंकि वह चतुर वकील हैं, वह इस प्रकार कोई भी बात प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह तथ्य है कि रेल कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या निरन्तर पुनःमान्यता दिये जाने की मांग कर रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां । यह संघ इस बात की मांग करता रहा है और

उस ने उत्तर में कहा है कि जनरल मैनेजर ने इसी बात की ओर निर्देश किया है और यह विषय विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : हम अगले प्रश्न को लेते हैं । जब कोई अभ्यावेदन किया हुआ हो और वह विचाराधीन हो तो मैं नहीं समझता कि संसद् में प्रश्न पूछने और सम्बद्ध मंत्री से तर्क वितर्क करने से न्याय अथवा सम्बद्ध व्यक्तियों के हितों का किस प्रकार समर्थन किया जा सकता है । यही सब से अधिक अच्छा मार्ग होगा कि निजी रूप से माननीय मंत्री के साथ इस विषय पर बातचीत की जाय अथवा चर्चा के समय इस पर चर्चा की जाय । मुझे इस बात की आशंका है कि इतने प्रश्न पूछने से कहीं मामले को गलत ढंग से जांचा न जाय, जैसा कि प्रायः हुआ करता है । यह प्रश्न राजनीतिक समस्याओं और विभिन्न दलों की विचारधाराओं से सम्बन्ध रखते हैं । यदि माननीय सदस्य यहां की इन सीमाओं को ध्यान में रखें कि प्रश्न काल में केवल सूचना प्राप्त की जाती है, जिस के आधार पर वह बाद में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और प्रश्न पूछ सकते हैं अथवा अपने तर्कों को आधारित कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों पर किये जाने वाले अनुपूरक प्रश्न बहुत ही कम हो जायेंगे ।

दक्षिणी रेलवे में कार्मिक संघ की कार्यवाहियों का दमन

*१२९. **श्री नम्बियार :** क्या रेल मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि २७ मार्च, १९५२ को दक्षिण भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने दक्षिणी रेलवे में "कार्मिक संघ की कार्यवाहियों के दमन" के सम्बन्ध में रेलवे पर्षद् के पास एक लिखित अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) यदि भेजा है, तो क्या उक्त अभ्यावेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ; तथा

(ग) उक्त अभ्यावेदन पर रेलवे पर्षद् ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) खेद है कि इस प्रकार की विभागीय पत्र-व्यवहार की प्रतियां सदन पटल पर नहीं रखी जा सकती हैं ।

(ग) इन मामलों में जिस नीति का अनुसरण किया जाता है उस के अनुसार रेलवे पर्षद् अमान्य संघों से प्राप्त हुए पत्रों पर मान्यता-सम्बन्धी मामलों के अतिरिक्त और कोई कार्यवाही नहीं करता है ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि श्रमिक संघ के ६ कार्यपालक सचिवों को इस कारण अपने अपने स्थानों से ३०० मील दूर जगहों पर स्थानान्तरित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने कार्मिक संघ की कार्यवाहियों में भाग लिया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : उन्हें इस कारण से स्थानान्तरित नहीं किया गया था क्योंकि वह इस संघ के पदधारी थे, अपितु उन्हें प्रशासनीय कारणों से स्थानान्तरित किया गया था ।

श्री नम्बियार : म ज्ञात कर सकता हूं कि संघ के केवल इन ६ कार्यपालक सचिवों को ही प्रशासनीय कारणों से क्यों स्थानान्तरित किया गया जब कि अन्य हजारों व्यक्तियों को वहीं रहने दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इसी समय इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस प्रश्न क उत्तर देना कठिन है ।

श्री नम्बियार : मेरे पास इन सचिवों के नाम हैं....

अध्यक्ष महोदय : इस की आवश्यकता नहीं। माननीय सदस्य उन से लिख कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न।

जबलपुर में तार-संवादवाहन केन्द्र

*१३०. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे:

(क) जबलपुर में तार-संवादवहन केन्द्र बनाने, स्थापित करने और उस के संधारण पर कितना आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय होता है ;

(ख) इस केन्द्र में कितने प्रशिक्षार्थी नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रशिक्षण को समाप्त करने में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या प्रशिक्षार्थियों को केन्द्र में प्रविष्ट कर के सरकारी व्यय पर ही प्रशिक्षण दिया जायेगा अथवा उन्हें अपने प्रशिक्षण का व्यय स्वयं उठाना होगा ; तथा

(घ) क्या प्रशिक्षार्थियों को सरकार को कोई वचन देना पड़ता है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अनावर्त्तक व्यय २१ लाख ४० हज़ार रुपये। आवर्त्तक व्यय--६ लाख ९१ हज़ार रुपये।

(ख) एक ही समय में ३००। प्रशिक्षार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रम ३ महीने से ले कर १२ महीने तक के हैं।

(ग) प्रशिक्षार्थियों से प्रशिक्षण का व्यय नहीं लिया जाता है। सीधे भर्त्ती किये गये प्रशिक्षार्थियों को सरकार की ओर से उचित मासिक भत्ता मिलता है। विभागीय पदाधिकारियों को उन के सामान्य वेतन तथा भत्ते मिलते हैं

(घ) जी हां, असिस्टेंट डिविज़नल इंजीनियरों तथा विभागीय उम्मीदवारों के अतिरिक्त अन्य सभी को वचनबद्ध होना पड़ता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि केन्द्र के लिये पाठ्यक्रम अथवा अध्ययनक्रम का कौन निश्चय करता है, और क्या केन्द्र की परीक्षायें स्वयं उसी के द्वारा ली जाती हैं ?

श्री जगजीवन राम : मेरे विचार में मंत्रालय ही पाठ्यक्रम निश्चित करता है, और पदाधिकारी परीक्षक होते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि मध्य प्रदेश में ही क्यों और वह भी जबलपुर में, यह केन्द्र स्थापित किया गया है ?

श्री जगजीवन राम : क्या इस प्रश्न के उत्तर देने की आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

खाद्य साहाय्य

*१३१. **श्री बी० आर० भगत:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) राज्यों को दिया जाने वाला खाद्य साहाय्य क्यों बन्द कर दिया गया ; तथा

(ख) क्या सभी राज्यों ने सरकार की इस कार्यवाही के सम्बन्ध में अपनी अनुमति दे दी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) राष्ट्रपति के भाषण पर हुई चर्चा के सम्बन्ध में २०-५-५२ को वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये भाषण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) फ़रवरी १९५२ में आयोजित खाद्य सम्मेलन में राज्यों के मंत्रियों को विस्तार में स्थिति बतला दी गई थी । राज्यों के मंत्रियों का साधारणतया यही विचार था कि सहायता बन्द कर देने के सिवाय और कोई चारा नहीं था । तथापि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बाजरे को कुछ अधिक उदारता से सहायता दी जानी चाहिये, और भारत सरकार ने तब से वैसा ही किया है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस प्रकार के समाचारों में, कि खाद्य मंत्री सरकार की ओर से वचन न देते हुए भी खाद्यान्नों का मूल्य कम करने के लिये किसी भी रूप में खाद्य साहाय्य को पुनः जारी करने के पक्ष में हैं, क्या...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति नहीं देना चाहता हूं ।

श्री एच० एन० शास्त्री : खाद्य साहाय्य को हटाने के परिणामस्वरूप कम आय वाले वर्ग के लोगों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का यदि कोई प्रयत्न करने का विचार है तो वह क्या है ?

श्री किदवई : कुछ नगरों में खाद्यान्न के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । कुछ जगहों में जीवन यापन व्यय देशनांक में हुए उतार या चढ़ाव का महंगाई भत्ते पर प्रभाव पड़ता ही है । और कुछ अन्य स्थानों में हम इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं जिस से कि खाद्यान्नों के दाम कम हो जायें ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार इस साहाय्य को पुनः जारी करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करना चाहती है, और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो क्या वह रायलसीमा तथा उस से लगे मैसूर के कुछ कमी वाले क्षेत्रों को साहाय्य देना चाहती है ?

श्री किदवई : कमी वाले क्षेत्रों को सहायता देने के लिये जो कुछ भी आवश्यक है वह सब किया जा रहा है । खाद्य साहाय्य का प्रश्न तो केवल कुछ एक औद्योगिक नगरों के सम्बन्ध में था । माननीय सदस्य चूंकि मैसूर से पधारे हैं अतः उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि मैसूर में दाम कम कर दिये गये हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : केवल गेहूं के दाम कम कर दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री पाटसकर : क्या अतिरेक वाले राज्यों को भी खाद्य साहाय्य दी जाती है ?

श्री किदवई : कुछ एक नगरों को, चाहे वह आधिक्य वाले राज्यों में थे अथवा कमी वाले राज्यों में थे, खाद्य सहायता की जाती थी ।

श्री पाटसकर : मेरा प्रश्न यह है कि क्या अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्यों को खाद्य सहायता दी जाती है ?

श्री किदवई : किसी भी ऐसे राज्य को जहां उत्पादन-आधिक्य हो, साहाय्य नहीं दी जाती है ।

श्री वी० बी० गांधी : क्या यह सत्य है कि बम्बई सरकार ने इस बात का अभ्यावेदन किया है कि खाद्य के अन्तः-राज्य यातायात पर से सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहियें और देश भर में समाहार की समान नीति अपनाई जानी चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस प्रश्न के पूछने से कोई लाभ नहीं । यह सर्वविदित तथ्य है । माननीय सदस्य तो बिल्कुल तर्क करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री राधेलाल व्यास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि मध्य भारत के किन नगरों में भारत सरकार द्वारा बाजरे की सहायता दी जा रही है ?

श्री किदवई : प्रत्येक राज्य को कम दामो पर बाजरा दिया गया है । यह उस राज्य की ही इच्छा है कि वह जहां चाहे उस का वितरण करे ।

श्री बी० आर० भगत : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या राज्यों के खाद्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन बुलाया जाने वाला है और यदि हां, तो क्या इस प्रश्न की भी जांच की जायेगी ?

श्री किदवई : मुझे ज्ञात नहीं कि सरकार तत्काल ही कोई खाद्य मंत्री सम्मेलन आयोजित करना चाहती है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

पटसन की खेती

*१३३. **श्री बी० के०—दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) पटसन उगाने वाले प्रमुख राज्यों में पटसन की प्रति एकड़ औसत उपज कितनी होती है ;

(ख) किन कारणों से अभी तक अधिक उपज नहीं हो सकी है ;

(ग) उपज में सुधार करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; तथा

(घ) क्या चालू वर्ष में अधिक भूमि में खेती करके अथवा अधिक उपज के प्रभावशाली तरीके अपना कर क्या उत्पादन-लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) वर्ष १९५१-५२ में पटसन की प्रति एकड़ औसत उपज इस प्रकार थी :

	पौंड प्रति वर्ष
आसाम	१,००५
बिहार	७८५
उड़ीसा	९५९
पश्चिमी बंगाल	१,०६४

(ख) मुख्यतया मौसम की अवस्थाएं ।

(ग) (१) अधिक उत्तम बीजों का वितरण ।

(२) कृषिसारों का वितरण ।

(३) जूट सड़ाने वाले तालाबों का निर्माण ।

(४) बीज बढ़ाने वाले खेतों की स्थापना ।

(५) अर्थसहायता परीक्षणों को करना तथा पंक्तिबद्ध ढंग से बीज बोने का प्रदर्शन देना ।

(घ) दोनों ढंग की—विस्तृत तथा प्रकृष्ट—कृषि करके सन् १९५२-५३ का उत्पादन-लक्ष्य प्राप्त करने का विचार है ।

श्री बी० के० दास : उन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में प्रति एकड़ कितनी अधिकतम उपज हुई है ?

श्री किदवई : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती : क्या माननीय मंत्री हमें यह बतलायेंगे कि धान उगाने वाली कितनी भूमि पटसन की खेती में विकसित कर दी गई है ?

श्री किदवई : इस प्रश्न के लिये भी पूर्वसूचना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पटसन की स्थानीय उपज से हमारी आवश्यकतायें कहां तक पूरी हो जाती हैं ?

श्री किदवई : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से पिछले सत्र में इस विषय पर बहुत से प्रश्न पूछे गये थे । यदि माननीय सदस्य पुरानी कार्यवाही देखने का कष्ट करें तो उन्हें यह सभी सूचना मिल जायेगी ।

श्री ए० एम० टामस : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या त्रावनकोर-कोचीन में पटसन की खेती करने की सम्भावना के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

श्री किदवई : मुझे पूर्वसूचना चाहिये । मुझे इन बातों की जानकारी नहीं कि कहां कहां पटसन की खेती के प्रयोग किये गये थे और कहां पर वह प्रयोग असफल हुए थे और कहां नहीं किये गये थे ।

पंडित ए० आर० शास्त्री : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि उत्तर पदेश के गोंडा जिले में भी ऐसी भूमि है जिस में जूट की पैदावार बहुत अच्छी होती है । क्या उस की खेती बढ़ाने की कोई कोशिश हो रही है ?

श्री किदवई : यह तो मुझे मालूम है कि वहां कुछ जूट पैदा होता था, लेकिन वह बहुत अच्छा है इस की कोई तफ़सील (ब्यौरा) नहीं है । उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट खुद जूट की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रही है ।

गंगा-ब्रह्मपुत्र यातायात पर्षद्

*१३४. **श्री एस० एन० दास :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अभी हाल में सरकार द्वारा नियुक्त गंगा-ब्रह्मपुत्र यातायात पर्षद् के कृत्य क्या हैं ;

(ख) इस पर कितना आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय होता है ; तथा

(ग) क्या पर्षद् ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) २० मई, १९५२ को सदन में श्री ए० सी० गुहा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के सम्बन्ध में दिये गये मेरे उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार पहले ही इस पर्षद् को सन् १९५१-५२ में दो लाख रुपये का अंशदान दे चुकी है और सन् १९५२–५३ के आयव्ययक में इसी प्रकार का एक प्रावधान कर चुकी है । ऐसा विचार है कि पंच वर्षीय योजना की अवधि में इसी दर से अंशदान दिये जायेंगे । आशा की जाती है कि प्रत्येक सम्बद्ध राज्य सरकार प्रति वर्ष एक लाख रुपये का अंशदान दिया करेगी ।

(ग) अभी निकट भविष्य में इस पर्षद् की एक बैठक होने वाली है जिस में इस के कार्यक्रम को निश्चित किया जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस पर्षद् की स्थापना से पहले इन नदियों में यातायात सम्बन्धी संभावनाओं तथा प्रस्तावनाओं के सम्बन्ध में कोई परिमापन कार्य किया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कई एक नदियों में नौचालन की संभावनाओं के सम्बन्ध में परिमापन किया जा चुका है तथा सूचना भी एकत्र की जा चुकी है ।

श्री जे० एन० हज़ारिका : क्या सरकार ने इस ब्रह्मपुत्र यातायात व्यवस्था को, जिस से आसाम तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों पर प्रभाव पड़ता है, कार्य रूप में

परिणत करने के लिये पाकिस्तान सरकार के साथ कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता को अनुभव किया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे जो विवरण दिया गया है उस में यह बतलाया गया है कि इस पर्षद् में कई अन्तर्देशीय स्टीमर कम्पनियां भी रुचि रखती हैं । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि वह कौन सी अन्तर्देशीय स्टीमर कम्पनियां हैं और क्या वह इस पर्षद् को कुछ अंशदान देंगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

यात्री सुविधा समिति

*१३६. **श्री एस० एन० दास :** क्या रेल मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि प्रत्येक रेलवे के लिये एक विशेष यात्री सुविधा समिति बनाई गई है

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कार्य होगा ; तथा

(ग) इस समिति का विधान क्या होगा ।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) केन्द्रीय रेलवे में तो एक यात्री सुविधा समिति स्थापित की जा चुकी है, और अन्य रेलों के लिये भी इसी प्रकार की समितियां बनाये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) यह समितियां किसी भी रेलवे की सभी स्थानीय परामर्शदात्री समितियों की सिपारिशों, स्वयं उस रेलवे की सिपारिशों अथवा अन्य स्रोतों से यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में की गई सिपारिशों की सामूहिक रूप से जांच किया करेंगी और तदनुसार जनरल मैनेजर (महाप्रबन्धक) को इस बात का परामर्श दिया करेंगी कि सुविधायें देने के लिये किन कार्यों की आवश्यकता है तथा किन किन को प्रार्थमिकता दी जानी चाहिये ।

(ग) इन समितियों में जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग विभाग, संचालन तथा व्यापारिक विभाग के प्रमुख और रेलवे की प्रत्येक स्थानीय परामर्शदात्री समितियों के दो या तीन सदस्य रहेंगे ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस समिति पर कोई अतिरिक्त व्यय भी होगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अवश्य होगा । अतिरिक्त व्यय में यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता आदि होंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं इस समिति की रचना ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यदि माननीय सदस्य लिख कर प्रश्न पूछेंगे तो मैं उस का उत्तर दे दूंगा ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों को इस समिति में स्थान दिया जायेगा ताकि वह उन अनेक सुविधाओं पर, जो श्रम के सहयोग से ही दी जा सकती हैं अपना परामर्श दे सकें ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है, किन्तु मैं इस विषय पर विचार करूंगा ।

मशीनों द्वारा अनाज का उत्पादन

*१३७. **श्री झुनझुनवाला :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि मशीनों द्वारा खेती की गई भूमि में कुल कितना अनाज पैदा हुआ है, और अनाज

के कुल उत्पादन की तुलना में इसकी प्रतिशतता क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : केवल अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत लिये गये क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही मशीनों द्वारा खेती की गई भूमि से उत्पादित अनाज के प्राक्कलन उपलब्ध हैं । ऐसे क्षेत्रों में मशीनों द्वारा उपजाये गये अनाज का सन् १९४९-५० तथा १९५०-५१ के वर्षों में लगभग २ लाख टन कुल उत्पादन हुआ था, जो समस्त भारत के अनाज उत्पादन का लगभग ०·५ प्रति शत भाग था । वर्ष १९५१-५२ के इसी प्रकार के प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री झुनझुनवाला : मशीनों द्वारा कृषि करने तथा साधारण रीति से कृषि करने में तुलनात्मक व्यय कितना होता है ?

श्री किदवई : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री झुनझुनवाला : क्या सरकार ने साधारण तरीकों से की गई खेती की उपज की तुलना मशीनों से की गई खेती की उपज से की है ?

श्री किदवई : अवश्य, व्यय की तुलना अवश्य की गई होगी । किन्तु यहां मेरे पास यह सूचना नहीं है । मात्रा के सम्बन्ध में ही प्रश्न पूछा गया था । यह कल्पना नहीं की गई थी कि इस से व्यय, तुलना, आदि के प्रश्न पैदा होंगे ।

श्री नन्द लाल शर्मा : मशीनों के उपयोग पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री किदवई : मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

बांस का कृमिनाशक उपचार

*१३८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि देहरादून स्थित वन अनुसन्धान संस्था में बांसों को कृमि-आक्रमण से सुरक्षित करने के लिये एक प्रभावी कृमिनाशक उपचार खोज निकाला गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी हां ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह कृमिनाशक उपचार की प्रणाली मितव्यय थी तथा व्यावसायिक आधार पर खोज निकाली गयी है ?

श्री किदवई : हमारी सेना ने इस का प्रयोग किया है, किन्तु उस में इस की लागत का कोई भी उल्लेख नहीं है । मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस औषधि-उपचार का प्रयोग अन्य प्रकार की लकड़ियों पर भी किया जायेगा ?

श्री किदवई : बांस पर इसका प्रयोग किया जा चुका है ; अतः लकड़ी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कब तक यह उपचार होता रहेगा और तारकोल उपचार की तुलना में यह कितना प्रभावी है ?

श्री किदवई : इस उपचार को तारकोल उपचार से अधिक अच्छा समझा गया है ।

श्री जे० एन० हजारिका : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किस किस प्रकार के बांसों पर इस उपचार का प्रयोग किया गया है ?

श्री किदवई : मुझ बांसों के प्रकार भेद का अधिक ज्ञान नहीं है ।

चावल का राशनिंग ।

*१३९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उन राज्यों के नाम जहां अधिकांश रूप से चावल खाया जाता है ;

(ख) भारत के किन राज्यों में चावल का बहुत ही कम राशन दिया जाता है ; तथा

(ग) किन राज्यों को चावल का अधिकतम राशन दिया जाता है, और वहां प्रति व्यक्ति को प्रति दिन कितना राशन मिलता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जिन राज्यों की अधिकांश जनता चावल खाती है, उन के नाम हैं : आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मैसूर, त्रावनकोर-कोचीन, कुर्ग, मनिपुर, त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार ।

(ख) यह सभी राज्य चावल देने में अत्यधिक संयम से काम ले रहे हैं । देश भर के प्रत्येक स्थान में नियमित रूप से चावल खाने वालों को ही चार औंस से अधिक चावल मिलते हैं, अन्य को नहीं ।

(ग) संविहित राशनिंग वाले क्षेत्रों में से मद्रास में चावल खाने वालों को ७ औंस का अधिकतम राशन मिलता है, और आसाम, मैसूर, त्रावनकोर-कोचीन, दिल्ली और अण्डमान-निकोबार में ६ औंस चावल प्रति दिन मिलता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (ख) की ओर निर्देश करते हुए, मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि किन राज्यों में स्वेच्छा से कम राशन लेने की पद्धति चाल है ?

श्री किदवई : मिताहार राशनिंग तो चावल खाने वाले लोगों तक ही सीमित है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : चावल की कमी को ध्यान में रखते हुए, माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस प्रकार की किसी योजना पर विचार कर रही है कि नियमित रूप से चावल न खाने वाले राज्यों को चावल का राशन न दे कर उन राज्यों को दिया जाय जो अधिकांश रूप से चावल खाते हैं ?

श्री किदवई : कुछ भागों में तो यह किया गया है । अन्य राज्यों के साथ इस विषय में बातचीत हो रही है ।

श्री एम० ए० अय्यंगार : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मद्रास राज्य में जनता गेहूं न खा कर चावलों पर ही निर्वाह करती है, क्या मद्रास राज्य ने भारत सरकार से इस बात की प्रार्थना की है कि सात औंस का राशन देने के स्थान पर उसे ८ औंस का राशन देने की आज्ञा दी जाय ?

श्री किदवई : मुझे ज्ञात नहीं कि मद्रास राज्य ने इस प्रकार की कोई प्रार्थना की थी । किन्तु मैं समझता हूं कि मद्रास राज्य सरकार चावल का राशन बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

श्री एन० एस० नायर : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि त्रावनकोर-कोचीन के ज़िलों में ६ औंस का राशन होते हुए भी वहां की जनता को खुले आम प्रायः चार औंस से अधिक राशन नहीं मिलता है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि चावल खाने वाले राज्य साम्यवादी बनते जा रहे हैं, और क्या वह अब इन राज्यों में चावल खाने का निशेध कराने की बात पर विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एम० ए० आय्यंगार: क्या म माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या मद्रास को दिये जाने वाले गेहूं को अब चावल न खाने वाले क्षेत्रों को ही दिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य गेहूं खाने वाले क्षेत्रों से चावल प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री किदवई: मुझे खेद है कि यह प्रश्न न हो कर एक सुझाव हैं । वह मुझ से कोई भी उत्तर पाने की आशा नहीं कर सकते हैं ।

नागपुर के निकट हुई वायु दुर्घटना (जांच)

*१४०. **श्री० ए० सी० गुहा**: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रात में डाक ले जाने वाले वायुयान को अभी हाल में नागपुर के निकट हुई दुर्घटना की जांच पूरी हो गई है ?

(ख) जांच का क्या परिणाम निकला है ?

(ग) इस जांच के परिणामस्वरूप क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) हां, श्रीमान् । प्रतिवेदन की एक प्रति पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ख) जांच का परिणाम इस प्रकार है कि "रात में भूमि पर वायुयान को उतारते समय विमान चालक के गलत निर्णय के कारण दुर्घटना हुई । उस ने रास्ते का गलत अनुमान लगाया और अपेक्षित ऊंचाई से कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वृक्ष की चोटी की शाखाओं से जा टकराया ।"

(ग) जांच समिति ने कतिपय सिपारिशें की थीं जिन की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ३५**]

सरकार ने इन सिपारिशों को स्वीकार कर लिया है और अब इन को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय: मैं ने आप से कहा था कि उत्तर को दो बार पढ़ कर सुनाइये । अब भी हम सुन नहीं सके हैं ।

श्री जगजीवन राम: श्रीमान्, मैं इस से अधिक ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ सकता ।

अध्यक्ष महोदय: जैसा मैं ने कहा, कठिनाई यह है कि सदस्यों के परस्पर बातें करने के कारण सदन में शोर हो रहा है । किन्तु यदि सदन बिल्कुल मौन रहे तो यह कठिनाई कम हो जायेगी । मुझे इस बात के कहने में संकोच हो रहा है कि इस का एक और भी कारण है जिस की जांच करवानी पड़ेगी, वह यह है कि ध्वनिविस्तारक यंत्र द्वारा पीछे की ओर आवाज़ पहुंचाना सदैव ही कठिन होता है । अतः सभी माननीय सदस्य इस नियम का कठोरता से पालन करें कि जो कुछ भी कहना हो वह सदन के प्रति कहने के बजाय, शिष्टाचार की पाबन्दी के अतिरिक्त भी, सभापति से कहा जाय । अतः यदि माननीय मंत्री सभापति की ओर अभिमुख हो कर बोलें और अनुपूरक प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य भी सभापति की ओर अभिमुख हो कर बोलें तो शायद आवाज़ अधिक सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जायेगी ।

श्री ए० सी० गुहा: इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि उक्त कम्पनी में तीन बड़ी दुर्घटनायें हो चुकी हैं, क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि कम्पनी के

प्रबन्ध तथा कार्यसंचालन के मूल में ही कोई ख़राबी है ?

श्री जगजीवन राम: श्रीमान् जी एक जांच न्यायालय द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है और अभी तक हमें उस की रिपोर्ट नहीं मिली है । इस दुर्घटना से पहले हुई दो दुर्घटनाओं की जांच हो चुकी है और मैं उत्तर में बतला भी चुका हूं, कि जांच समिति की सिपारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है । सरकार ने दो समितियां नियुक्त की हैं, जिन में से एक समिति वर्तमान चालू प्रक्रिया तथा व्यवहार की जांच करेगी और इस प्रकार के साधनों की सिपारिश करेगी जिस से सुरक्षा में अधिक सहायता मिले और दूसरी समिति वायुयान चालक प्रशिक्षण की वर्तमान पद्धति के सभी पहलुओं की जांच करेगी तथा उस में सुधार के लिये कार्यवाही करने की सिपारिश करेगी । जब हमारे पास जांच न्यायालय की रिपोर्ट आ जायेगी, तब हम इस बात की अग्रेतर जांच करेंगे कि क्या कार्यकारी कम्पनी में कोई ख़राबी तो नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा: श्रीमान्, में ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उस निदेश को ध्यान में रखा गया है कि विशेषतया रात में वायुयान चलाने के परिणामस्वरूप चालक-वर्ग की थकान के प्रश्न, जैसा कि जांच समिति की सिपारिशों के खंड (३) में निर्दिष्ट हुआ है, के सम्बन्ध में उड्डयन चिकित्सा विशारदों के साथ परामर्श होना चाहिये, और क्या दिल्ली के समीप हुई पिछली दुर्घटना इस निदेश को ध्यान में न रखने के कारण ही हुई थी ?

श्री जगजीवन राम : पहली समिति इस मामले की भी जांच कर रही है । इस स्थिति पर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि दुर्घटना का वही कारण था अथवा नहीं ।

श्री बी० शिवा राव : क्या जांच समिति की रिपोर्ट में इस विनाशकारी घटना से पहले उस विशेष वायुयान चालक द्वारा की गई उड़ान के घंटों की संख्या की ओर कोई निर्देश किया गया है ?

श्री जगजीवन राम: यहां मेरे पास एक लम्बी सूची है जिस में घंटों की संख्या में सभी चालकों द्वारा की गई उड़ान का अनुभव दिया गया है । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी चालकों को उड़ान का आवश्यक अनुभव था तथा वह सभी अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत पूर्ण योग्यता-प्राप्त थे ।

श्री बी० शिवा राव: श्रीमान्, मेरे प्रश्न को ग़लत समझा गया है । मैं यह जानना चाहता था कि क्या माननीय मंत्री के पास कोई ऐसा साधन है जिस से वह यह जान सकें कि कोई चालक किसी वायुयान को चलाने से पहले कितने घंट उड़ान कर चुका है ?

श्री जगजीवन राम : अभी भी प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कदाचित् यह कहना चाहते हैं कि उड़ान के घंटों के सम्बन्ध में कहीं गलत निर्णय तो नहीं हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप उस चालक विशेष को अधिक परिश्रम करना पड़ा क्योंकि उस से पहले उसे पूरा विश्राम नहीं मिला था । वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या इस विशेष दुर्घटना में जिस चालक ने उड़ान आरम्भ की थी उसे पर्याप्त विश्राम मिल चुका था ।

श्री जगजीवन राम: मेरे पास यह सूचना नहीं है किन्तु मैं इस मामले की जांच करूंगा । मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि दूसरी उड़ान करने से पहले वायुयान चालकों को पर्याप्त विश्राम मिले ।

श्री ए० सी० गुहा: श्रीमान्, क्या यह सत्य नहीं कि दिल्ली वाली दुर्घटना में, जैसा कि जांच न्यायालय के प्रतिवेदन में बताया गया है, उक्त चालक.....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । हम इस मामले पर तर्क नहीं करना चाहते ।

श्री ए० सी० गुहा: श्रीमान, यह वही प्रश्न है कि क्या उक्त चालक को पर्याप्त विश्राम नहीं मिला था.....

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री पहले ही इस का उत्तर दे चुके हैं ।

श्री पी० टी० चाको: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस दुर्घटना का यह भी एक कारण था कि भूमि पर काम करने वाले कर्मचारी-वर्ग की कमी थी ?

श्री जगजीवन राम: श्रीमान्, मैं तो ऐसा नहीं समझता ।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने बतलाया है कि जांच न्यायालय स्थापित किये गये हैं । ये दोनों जांचें तो हवाई कम्पनियों के सामान्य कार्य संचालन के सम्बन्ध में हैं, किन्तु इस कम्पनी विशेष के कार्य संचालन की जांच के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बतलाया गया है । क्या सरकारी संस्था होने के नाते उन्होंने इस बात की वांछनीयता पर विचार किया है कि इस में अनुशासन का अधिक कड़ाई से पालन हो तथा नियमों का अनुसरण किया जाय ?

श्री जगजीवन राम : निश्चय ही, श्रीमान् ।

गेंहूं (क्रय)

*१४१. **श्री बी० आर० भगत :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ में अप्रैल मास तक विदेशों से कुल कितना गेहूं खरीदा गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : पहली जनवरी से ३० अप्रैल, १९५२ तक की अवधि में विदेशों में लगभग नौ लाख टन गेहूं खरीदा गया ।

श्री बी० आर० भगत: श्रीमान्, क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किन देशों से गेहूं खरीदा गया था ?

श्री किदवई: संयुक्त राज्य अमरीका से ८ लाख ५९ हज़ार टन तथा कनाडा से ५० हज़ार टन । जितने का व्यादेश दिया गया था उस से आधी परिमात्रा की आवश्यकता भी नहीं पड़ी । संयुक्त राज्य अमरीका से दिसम्बर १९५२ तक लगभग ५ लाख टन गेहूं खरीदा जायेगा, जिस में से लगभग दो लाख टन दिसम्बर १९५२ तक विभाग द्वारा जहाज़ से मंगवा लिया जायेगा ।

श्री बी० आर० भगत: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार के अन्तर्गत यह गेहूं खरीदा गया था, अथवा प्रत्येक मामले में अलग अलग दाम निश्चित किये गये थे ?

श्री किदवई: अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार के अन्तर्गत गेहूं खरीदा गया था किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका से ४ लाख टन गेहूं ऋण पर लिया गया है ।

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि खाद्य साहाय्य के सीमित हो जाने के परिणामस्वरूप आगामी महीनों में विभिन्न राज्यों की आवश्यकतायें कम हो जायेंगी इस बात को दृष्टि में रखते हुये क्या आयात में कमी की जायेगी ?

श्री किदवई: क्योंकि देश की आवश्यकता पहले के अनुसार ही रहेगी अतः इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । हो सकता है कि दाम बढ़ जाने के कारण व्यक्तियों की क्रय सामर्थ्य कम हो जाये और इसी

कारण गेहूं की आवश्यकता न रहे । किन्तु हमारा यही प्रयत्न होना चाहिये कि जिस किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े उसे उचित दामों पर दिया जाना चाहिये ; इसलिये इस बात की भविष्यवाणी करना, कि आगामी छः महीनों में हमारी आवश्यकता कितनी होगी, बहुत कठिन है ।

श्रीमती ए० काले : श्रीमान्, क्या मैं ज्ञात कर सकती हूं कि अभी कितने समय तक हमें गहूं का आयात करना होगा ?

श्री किदवई : जब तक हम अपने देश मे ही अपनी आवश्यकताओं के लिये पूरा उत्पादन न कर सकें ।

श्रीमती ए० काले : हमें कब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति की आशा है ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री किदवई : श्रीमान्, हम ने व्यादेश भेज दिया है और ६ दिसम्बर तक माल पहुंच जायेगा । हमें लगभग २० लाख टन गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी ।

भूमि विकास निगम

*१४२. **श्री बी० आर० भगत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने एक भूमि विकास निगम स्थापित करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि बनाई है, तो इस निगम का उद्देश्य तथा इस के कृत्य क्या हैं ;

(ग) क्या यह निगम व्यावसायिक आधार पर कार्य करेगा ;

(घ) यदि हां तो सरकार के साथ इस का क्या सम्बन्ध होगा ; तथा

(ङ) इस निगम के लिये धन कहां से मिलेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ङ) अभी तो भूमि विकास निगम स्थापित करने का एक प्रस्ताव मात्र है । अभी इस बात का कि क्या इस निगम को व्यवसायिक आधार पर कार्य करना चाहिये, सरकार के साथ इसका क्या सम्बन्ध होना चाहिये तथा इस के लिये धन कहां से दिया जाना चाहिये, कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार इस प्रस्ताव के पक्ष अथवा विपक्ष में कोई निश्चय कर रही है ?

श्री किदवई : कोई निश्चय तो करना ही पड़ेगा ।

श्री बी० आर० भगत : कोई निश्चय तो करना ही पड़ेगा—पक्ष अथवा विपक्ष में ?

श्री किदवई : मैं ने "पक्ष अथवा विपक्ष में" नहीं कहा है ।

अनाज का उत्पादन

*१४३. **श्री बाल्मीकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१-५२ में वर्ष १९५०-५१ की अपेक्षा अनुमान से कितना अधिक अन्न देश में पैदा हुआ है ; तथा

(ख) उसी काल में आत्मनिर्भरता योजना में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अभी इस के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि कृषि-वर्ष १९५१-५२ तो जून, १९५२ में समाप्त होगा । 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पादन का वर्ष भर का लक्ष्य सन् १९५०-५१ की अपेक्षा १४ लाख टन अधिक है ।

(ख) एक विवरण जिस में जुलाई, १९५१ से मार्च, १९५२ तक की 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना की प्रगति का वर्णन दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६**]

श्री बाल्मीकी : सन् १९५०-५१ की फ़सल को देखते हुए सन् १९५१-५२ की फसल में कहां तक अधिकता हुई है उत्पादन में ?

श्री किदवई : बाज़ रकबों में या बाज़ स्टेट्स में फसल अच्छी है । वहां हम उम्मीद करते हैं कि पैदावार हिसाब के मुताबिक होगी । जहां फसल खराब है वहां हिसाब से कम ।

खाद्य उत्पादन पुरस्कार योजना

*१४४. **श्री बाल्मीकी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में पुरस्कार योजना के अन्तर्गत किस प्रकार की कृषि वस्तुओं के लिये पुरस्कार घोषित किये गये हैं ;

(ख) भारत सरकार से प्रथम पुरस्कारों के पाने वाले किसानों के नाम तथा उत्पादित वस्तुओं के प्रकार जिन के सम्बन्ध में उन्हें यह पुरस्कार दिये गये ; तथा

(ग) इस योजना का प्रभाव साधारण किसानों पर कैसा पड़ रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) वर्ष १९५१-५२ में इन फ़सलों के लिये फसल प्रतियोगिता पुरस्कार घोषित किये गये थे :

(१) धान, (२) गेहूं, (३) ज्वार, (४) बाजरा, (५) चना तथा (६) आलू ।

(ख) वर्ष १९५१-५२ के पुरस्कार विजेताओं को अभी नहीं चुना गया है ।

(ग) किसानों पर इस योजना का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है ।

श्री बाल्मीकी : क्या यह सच है कि यह इनाम शहरी किसानों को मिले हैं ?

श्री किदवई : यह इनाम हर किस्म की पैदावार करने वालों को मिले हैं ।

श्री बाल्मीकी : जहां तक जानकारी में आया है यह इनाम ज़्यादातर उन किसानों को मिले हैं जो कि अमीर भी हैं और रुपया भी खर्च कर सकते हैं और उनके खेत शहर के आसपास हैं । आम देहात में इन इनामों का कोई प्रभाव नहीं हुआ है ।

श्री किदवई : मैं शुक्रगुज़ार (कृतज्ञ) हूं इस इत्तला (सूचना) के लिये और कोशिश करूंगा कि और देहातों को भी यह ख़बर पहुंच जाय ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्यान्नों का समाहार

*१३२. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वर्ष १९५१-५२ में लक्ष्य की अपेक्षा खाद्यान्नों का वास्तविक समाहार कम हुआ है ; तथा

(ख) यदि इस कमी के कुछ कारण हैं तो वह क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९५१ में ३,९५८,००० टन के लक्ष्य की बजाय भारत में कुल ३,७७०,००० टन का समाहार हुआ था । सन् १९५२ में २६-४-५२ तक १,९२७,००० टन खाद्यान्न का समाहार हुआ है यद्यपि सन् १९५२ का समाहार लक्ष्य ३,६४६,००० टन था ।

(ख) कमी मुख्यतया मद्रास, राजस्थान, पैप्सू, उड़ीसा तथा बम्बई में हुई थी, और इस का कारण उन क्षेत्रों में अच्छी फसलों का न होना था ।

जन्म अनुपात

*१४५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) भारत में जन्म अनुपात क्या है ;

(ख) क्या जन्म अनुपात की प्रतिशतता बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो पिछली दो दशाब्दियों में क्या अनुपात रहा है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में जन्म अनुपात की औसत वृद्धि की तुलनात्मक प्रतिशतता क्या है; तथा

(घ) क्या देश के किसी भाग में कोई परिवार आयोजन योजना चालू है, और यदि है, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) वर्ष १९५० में भाग क में के राज्यों तथा दिल्ली, अजमेर और कुर्ग के भाग ग में के राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर भारत में जन्म अनुपात का औसत २४·८ प्रति हज़ार था । सन् १९४६ से ४९ तक के वर्षों के आँकड़े क्रमशः २९.२, २६·६, २५·२ और २६·४ थे ।

(ख) जी नहीं। सन् १९३१—१९४० और १९४१–१९५० की दो पिछली दशाब्दियों में क्रमशः औसत ०·२६ और ०·७६ प्रति हज़ार के हिसाब से जन्म अनुपात कम हो गया है ।

(ग) एक विवरण, जिस में सन् १९४६ से १९५० तक विभिन्न भारतीय राज्यों में जिन के आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रति हज़ार जनसंख्या के हिसाब से, जन्म अनुपात का औसत दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है । उस को देखने से ज्ञात होगा कि उड़ीसा को छोड़ कर, जहां ०·२ प्रति हज़ार के हिसाब से वृद्धि हुई है, अन्य सभी राज्यों में अन्म अनुपात में साधारणतया कमी हुई है ।

(घ) नई दिल्ली में, लेडी हार्डिङ्ग अस्पताल तथा लोदी रोड बस्ती की दो, तथा मैसूर में स्थित रामनगरम हैल्थ यूनिट, यह तीन अग्रिम परियोजनायें "रिद्म मैथड" (मदन-तरंग प्रणाली) पर आधारित परिवार आयोजन को निकट भविष्य में आरम्भ करेंगी । यह परियोजनायें अभी प्रयोगात्मक स्थिति में हैं, और इन से यही अभिप्रेत है कि परिवार आयोजन की इस प्रणाली के प्रभाव तथा संभावनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाये । इन परियोजनाओं के कुछ समय तक चालू रहने के बाद ही इन के परिणामों को आंकने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

विवरण

भारत के विभिन्न राज्यों का तुलनात्मक जन्म-अनुपात

औसत जन्म अनुपात प्रति हज़ार वार्षिक दर की वृद्धि (+) अथवा कमी (—)

	४६	१९४७	१९४८	१९४९	१९५०	
अजमेर	३३·४	३३·९	२५·७	२६·६	२९·२	—२·५
आसाम	*१८·९	१५·६	१५·३	१५·१	१३·१	—६·१
बिहार	६३·०	१८·६	१८·३	१७·७	१७·८	—४·५
बम्बई	३३·८	३३·६	३२·५	३३·५	३१·०	—१·७

औसत जन्म अनुपात प्रति हजार वार्षिक दर की वृद्धि (+) अथवा कमी (—)

	१९४६	१९४७	१९४८	१९४९	१९५०	
मध्य प्रदेश	३७·२	३४·९	३३·२	२५·५	२८·६	—४·६
कुर्ग	१८·८	१७·८	१५·१	१७·६	१६·९	—२·०
दिल्ली	३५·५	२९·८	२५·६	३१·२	३१·०	—२·५
पंजाब (भारत)	*३८·३	३२·८	३५·०	३८·४	३८·०	—०·२
मद्रास	३२·१	३३·२	३०·८	३०·९	२९·७	—१·५
उड़ीसा	२८·५	२७·८	२७·२	२६·६	२८·८	+०·२
उत्तर प्रदेश	२५·३	२३·३	२०·६	२२·३	२०·९	—३·५
पश्चिमी बंगाल	२३·८	१९·२	२०·४	२१·१	१८·६	—४·४
कुल जोड़	२९·२	२६·६	२५·२	२६·४	२४·८	—३·०

* विभाजन पूर्व के आंकड़े

विश्व स्वास्थ्य संस्था

*१४६. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) विगत तीन वर्षों में विश्व स्वास्थ्य संस्था ने भारत को क्या अंशदान दिया है ;

(ख) वर्ष १९५२-५३ में इस संस्था का भारत में क्या कार्यक्रम है ; तथा

(ग) इस कार्यक्रम पर उस का कितनी धन-राशि व्यय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) विश्व स्वास्थ्य संस्था ने स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारत को परामर्श विषयक तथा प्रदर्शन विषयक सेवायें प्रदान की हैं, और इस प्रकार की सेवाओं पर उक्त संस्था ने वर्ष १९४९, १९५० और १९५१ में क्रमश: १७८,२०८ ; २४२, ४४७ और ३९९,४६५ डालर व्यय किये हैं । एक विवरण, जिस में इन वर्षों में दी गई सहायता का ब्यौरा दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७**]

(ख) और (ग). एक विवरण, जिस में वर्ष १९५३ में विश्व स्वास्थ्य संस्था द्वारा भारत में किये जाने वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८**]

वर्ष १९५३ की इसी प्रकार की सूचना इस समय इसलिये नहीं दी जा सकती क्योंकि उक्त वर्ष के आय-व्ययक के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संस्था ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है ।

धान के समाहार मूल्य

*१४७. **श्री पी० टी० चाको:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के विभिन्न राज्यों से समाहार किये गये धान के लिये एक ही मूल्य निर्धारित किया है ;

(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा त्रावनकोर-कोचीन में धान का समाहार मूल्य क्या है ;

(ग) ऊपर निर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक राज्य में धान के उत्पादन पर कितना व्यय होता है ; तथा

(घ) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश द्वारा सन् १९५१–५२ में दिये गये चावल

के लिये त्रावनकोर-कोचीन को क्या मूल्य देना पड़ा था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९**]

(ग) इन में से किसी भी राज्य से धान के उत्पादन-परिव्यय के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(घ) सन् १९५१-५२ की फ़सलों में से उत्तर प्रदेश से त्रावनकोर-कोचीन को कुछ भी चावल नहीं भेजा गया । मार्च, १९५२ से मध्य प्रदेश से सम्भरण किया जा रहा है, और इस के लिये मध्य प्रदेश सरकार उन से एक नम्बर के मोटे चावल का दाम रेल भाड़ा सहित १५ रु० १४ आ० ३ पा० से १६ रु० १ आ० ६ पा० तक तथा दो नम्बर के मोटे चावल का दाम रेल भाड़ा सहित १५ रु० २ आ० ३ पा० से १५ रु० ५ आ० ६ पा० तक प्रति मन के हिसाब से लेगी ।

राज्यों को अनाज का आवंटन

*१४८. **श्री पी० टी० चाको:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर विभिन्न राज्यों को अनाज बांटा जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): मूल योजना के अन्तर्गत राज्यों की अपनी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ही यह बटवारा किया जाता है ताकि केन्द्रीय कोष के अनुसार सरकारी वितरण के उत्तरदायित्व और उपलब्ध सम्भरण को पूरा किया जा सके । राज्यों की आवश्यकताओं का निश्चय उनके अनुमानित उत्पादन, संभाव्य समाहार, राज्य सरकार के पास वर्तमान भण्डार और अनुमानित व्यय का हिसाब लगाने के पश्चात् किया जाता है ।

सरकारी प्रविधिक विद्यालय, झांसी

*१४९. **श्री धुलेकर:** क्या रेल मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का झांसी के रेलवे वर्कशाप के सरकारी प्रविधिक विद्यालय झांसी की व्यवस्था का भार उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर पूर्णतया स्वयं संभालने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार उक्त विद्यालय को और अधिक विकसित करने तथा बढ़ाने का भी विचार करती है ;

(ग) यदि हां, तो इसे किस प्रकार से विकसित करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) झांसी का सरकारी प्रविधिक विद्यालय का रेलवे वर्कशाप, झांसी से सम्बन्ध नहीं है, अपितु उत्तर प्रदेश सरकार जो इस स्कूल की स्वामी है, इसे आर्थिक सहायता देती है और चलाती है । इस समय भारत सरकार का इसे ले लेने का कोई इरादा नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि वायुयान

*१५०. **श्री एम० आर० कृष्ण:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को उस नये कृषि वायुयान का ज्ञान है जो अभी हाल में कृषि सम्बन्धी रसायनों को हवा से गिराने के लिये बनाया गया है ?

(ख) क्या भारत में भी इसी प्रकार का वायुयान बनाने के लिये, जिस से खाद्य उत्पादन में सहायता मिल सके, कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) मुझे ऐसे किसी भी विशेष कृषि वायुयान का ज्ञान नहीं है जिस को हाल में ही कृषि सम्बन्धी रासायनिक पदार्थों को हवा से गिराने के लिये बनाया गया हो । मेरी सूचना तो यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देशों में साधारण वायुयानों को ही कृमिनाशक दवाई फेंकने तथा बीज बोने के काम में लाया जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

विदेशी बागान

*१५१. **श्री गुरुपादस्वामी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशियों के बागानों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन बागानों ने कितने एकड़ भूमि घेर रखी है और इन का मूल्य कितना है ; तथा

(ग) इन में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). इस समय अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है । एकत्रित होने पर इसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा । काफी और चाय के बागानों के मूल्यों के लिये माननीय सदस्य रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित "सैन्सेज़ आफ़ इण्डियाज़ फारेन लायेबिलिटीज़ एण्ड एसेट्स" ["भारत के विदेशी दायित्व और परिसम्पत् की गणना" पुस्तक को देखें]

खाद्य साहाय्य

*१५२. **श्री हेडा** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के खाद्य साहाय्य बन्द करने के निश्चय का विरोध किया है ?

(ख) किन राज्यों ने सरकार के इस निश्चय का समर्थन किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख) फ़रवरी १९५२ में आयोजित खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में उपस्थित होने वाले राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को साहाय्य सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी, और सभी का यही मत था कि साहाय्य को बन्द कर देने के सिवाय और कोई चारा नहीं था । अतः भारत सरकार के निश्चय के समर्थन अथवा विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

भागलपुर मन्दार हिल शाखा रेल सर्विस

*१५३. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार में भागलपुर मन्दार हिल शाखा रेल सर्विस को पुनः चालू करने में कोई प्रगति हुई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : भागलपुर मन्दार हिल शाखा लाइन की बहाली को सन् १९५२-५३ के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और कार्य आरम्भ करने के निमित्त प्रारम्भिक व्यवस्था करने के लिये १ लाख रुपया दिया गया है ।

टेलीफोन सम्बन्धी शिकायतें

१६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १९५२ से ३१ मार्च, १९५२ तक के तीन महीनों में गलत नम्बरों के सम्बन्ध में दिल्ली के स्थानीय शिकायत विभाग में क्या कुछ एक शिकायतें लिखी गईं; तथा

(ख) क्या कोई रकम वापिस की गई थी और यदि हां, तो जांच करने के बाद कितनी धन-राशि लौटा दी गई ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार टेलीफोन करने पर नकद पैसा वापिस नहीं दिया जाता है । टेलीफोन नम्बर की जांच करके तुरन्त ही शिकायतों की पड़ताल कर ली जाती है, और जहां पर शिकायत ठीक प्रमाणित होती है, वहां उन के लिये प्रभारी इंजीनियर जमा टिकट बना देता है ।

क्रियोजोटिंग संयन्त्र

१७. श्री एस० एन० दास : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) लकड़ी के शहतीरों का परिरक्षणात्मक उपचार करने के लिये क्या प्रादेशिक आधार पर क्रियोजोटिंग संयंत्र स्थापित करने की योजना जारी की गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितने संयंत्र कहां कहां लगाये गये हैं ; और प्रत्येक संयंत्र का अनुमानित व्यय क्या है, तथा अब तक उन में से प्रत्येक पर वस्तुतः कितना धन व्यय हो चुका है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) अभी यह योजना चालू नहीं की गई है ; किन्तु अभी इसे कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) दो नये क्रियोजोटिंग संयंत्र लगाये जायेंगे ; इन में से एक बरेली के समीप क्लटरबकगंज में और दूसरा कोयम्बटूर उत्तर में लगाया जायेगा ।

क्लटरबकगंज में लगाये जाने वाले संयंत्र का अनुमानित परिव्यय ४१ लाख १४ हजार रुपये है और अब तक ५ लाख रुपये इस पर व्यय हो चुके हैं कोयम्बटूर में लगाये जाने वाले संयंत्र का अनुमानित परिव्यय १४ लाख रुपये है और अब तक उस पर ५३ हजार रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन

१८. श्री झुनझुनवाला : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगामी पांच वर्षों में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत कुल कितना अतिरिक्त अनाज उत्पन्न होगा, तथा यह मात्रा अनाज के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत होगी ?

(ख) इस पांच वर्ष की अवधि में भारत सरकार का "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन पर कितना धन व्यय करने का विचार है ?

(ग) आगामी पांच वर्षों में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत अनाज का कितना अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन होगा, और इस योजना पर आगामी पांच वर्षों में भारत सरकार का प्रति वर्ष कितना धन व्यय करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अन्तर्गत ७२ लाख टन तक अतिरिक्त उत्पादन करने का विचार है, जिसमें से बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं के परिणाम स्वरूप २३ लाख टन के प्राप्त होने की आशा की जाती है । इस योजना में सुझाया गया अतिरिक्त खाद्य उत्पादन कुल उत्पादन का लगभग १६ प्रतिशत होता है ।

(ख) पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार अनुमान है कि अधिक अन्न उपजाने पर केन्द्रीय सरकार को लगभग ९० करोड़ रुपये व्यय करना पड़ेगा ।

(ग) मोटे रूप में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पादन तथा व्यय इस सारे योजनाकाल में बराबर बराबर बटे हुए हैं।

वायु दुर्घटनायें

१९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९४७-४८ से अब तक प्रत्येक वर्ष में कितनी वायु दुर्घटनायें हुईं;

(ख) कितनी दुर्घटनाओं में जांच समितियां नियुक्त की गई थीं, तथा कितनी अन्य दुर्घटनाओं में विभागीय जांच की गई थी ;

(ग) इन जांचों के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी सेवामुक्त किये गये ; तथा

(घ) भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जिन दुर्घटनाओं में चालक वर्ग, यात्रियों अथवा वायुयान को भारी क्षति पहुंची थी, उन की संख्या सन् १९४७ में ६३, सन् १९४८ में ४७, सन् १९४९ में ३२, सन् १९५० में ६२, सन् १९५१ में ३८ और अब तक सन् १९५२ में १७ है।

मैं एक विवरण जिस में वायुयानों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार इन संख्याओं को अलग अलग दिया हुआ है, सदन पटल पर रखता हूं। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]

(ख) तीन दुर्घटनाओं के सिलसिले में जांच समितियां नियुक्त की गई थीं, और दो दुर्घटनाओं के सिलसिले में भारतीय वायुयान नियमों, १९३७ के नियम ७५ के अन्तर्गत बनाये गये जांच न्यायालयों द्वारा औपचारिक रूप से जांच कराई गई थी। अन्य सभी दुर्घटनाओं की असैनिक नभश्चरण विभाग के दुर्घटना-निरीक्षक ने जांच की थी।

(ग) इन जांचों के परिणामस्वरूप कोई भी सरकारी कर्मचारी नौकरी से हटाया नहीं गया। वायुयान कम्पनियों के स्वामियों द्वारा सेवामुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रत्येक दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों की पड़ताल की गई थी और उन को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही भी की गई थी। मैं एक विवरण, जिस में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों का साधारण सा ब्यौरा है, सदन पटल पर रखता हूं। [देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]

तम्बाकू

२०. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि कितनी भूमि में तम्बाकू की खेती होती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : प्रथम अनुमान के अनुसार सन् १९५१-५२ में लगभग ७,४३,००० एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती होती थी।

खुले बाजार में चीनी

२१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ में अब तक कुल कितनी चीनी खुले बाजार में बेचने के लिये दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १५ मई, १९५२ तक १,३९,८४२ टन।

अंक १

संख्या १

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग १—२४]

(मूल्य ९ आने)

212 P.S.D.

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरुदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन् नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [(जिला जालौन व जिला इटावा (पश्चिम) व जिला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (जिला पीलीभीत व जिला बरली (पूर्व)

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ जिला आगरा (पश्चिम)

अंचित राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही-पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालापाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा —पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मंडी—महासू)

अयंगार, श्री एम० ए० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिंगलपुट)

अलबा, श्री जोशिम (कनारा)

आ

आगम दास जी, श्री (विलासपुर-दुर्ग-रायपुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

आजाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (विलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी-रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

इयुन्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया-उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला-जबलपुर दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री, शिवदयाल (जिला बांदा व जिला फ़तहपुर)

ए

एबनज़िर, डा० एस० एल० (विकाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० मदराई—रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर-उत्तर-रक्षित-अनसूचित-जातियां)

कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गौड)

कमल सिंह, श्री (शाहाबाद—उत्तर-पश्चिम)

करमारकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर-चूरू)

कास्लीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा-झालावाड़)

कांबले, श्री देवरोआ नामदेवरोआ (नान्देड़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कचि रॉयर, श्री एम० डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)

काज़मी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर-उत्तर-व ज़िला फ़ैजाबाद दक्षिण पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामराज, श्री के० (श्री बिल्लिपुतूर)

काले, श्रीमती अनसुय्याबाई (नागपुर)

किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच-पूर्व)

किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रताप गढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई-दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

कृष्णचन्द्र, श्री (जिला मथुरा-पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवगंगार, श्री एन० (बंगलौर उत्तर)

केसकर, डा० बी० बी० (ज़िला सुल्तानपुर-दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बाकुंडा)

कौशिक, श्री पन्नालाल आर० (टोंक)

ख

खडकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)

खुदाबख्स, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेड़कर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)

खोंडामन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपतिराम, श्री (ज़िला जौनपुर-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

ग-जारी

गांधी, श्री मानिकलाल मगन लाल (पंच महल व बड़ोदा पूर्व)

गांधी, श्री फिरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़-पश्चिम व ज़िला राय बरेली-पूर्व)

गांधी, श्री बी० बी० (बम्बई नगर-उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहरी विष्णु (पूना मध्य)

गाम, श्री मल्लूडोरा (विशाखापटनम्-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरधारी, मोझ, श्री (कालाहांडी-बोलनगिर-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरी, श्री बी० बी० (पथपठनम्)

गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी-पूर्व)

गुरुवाद स्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)

गुलाम, क़ादिर श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)

गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)

गोपीराम, श्री (मंडी-महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)

गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर दक्षिण)

गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित-आसाम जन जाति क्षेत्र)

गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

गौंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेंल (पैरिया-कुलम)

गौंडर, श्री के० पैरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)

चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर

चट्टोपाध्याय, श्री हरिन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)

चांडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)

चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा मध्य)

चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुबल्लूर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चाको, श्री पी० टी० (मीनाचल)

चाड़क, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)

चावदा, श्री अकबर (बनासकोठा)

चिनारिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)

चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशी लिंग (तिरुपुर)

चेट्टियार, श्री बी० बी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)

चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गोहाटी)

चौधरी, श्री निकुंजबिहारी (घाटल)

चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)

चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहां-पुर-उत्तर व खीरी-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदीव कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जजवाड़े, श्री रामराज (संवाल परगना व हज़ारीबाग़)

जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

ज-जारी

जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई उपनगर)

जयसर्य, डा० एन० एम० (मेडक)

जसानी, श्री चतुर्भज वी० (भंडारा)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जाटववीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधो पुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हजारीबाग व रांची रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (देनकनाल-पश्चिम कटक-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर, (जाजपुर-क्योंझर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़रुख़ाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजीत प्रसाद (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व जिला मुज़फ्फरनगर-उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनोर-दक्षिण)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (ज़िला बहराइच-पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि दक्षिण)

जोशी श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

झ

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर उत्तर)

झा आज़ाद, श्री भागवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहबाद-पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्रीबैकुण्ठम)

टेक चन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

डोरास्वामी पिल्ले रामचन्द्र, श्री (बेलोर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार-रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री बेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर-उत्तर व ज़िला फ़रुखाबाद-दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर-झाड़ग्राम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना पश्चिम)

तेल्कीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर-उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर-पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फ़र-नगर-दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दारंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दामी, श्री फूलसिंह जी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांम उत्तर)

दास, श्री नयन तारा (मुर्गेर सदर व बसुई-रक्षित अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)

दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री बी० (जाजपुर—क्योंझर)

दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)

दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)

दास, श्री बेलीराम (बारपटा)

दास, श्री राम धनी (गया पूर्व – रक्षित-अनसूचित जातियां

दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)

दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल-पश्चिम कटक)

दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा-पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा-पूर्व)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)

दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर)

दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती-उत्तर)

देव, हिज़ हाइनस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)

देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)

देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)

देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)

देशमुख श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)

देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)

दशमुख, श्री चितामणि द्वारका नाथ (कोलाबा)

देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)

द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)

द्विवदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी-दक्षिण)

धुसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती मध्य व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)

नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)

नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)

नरसिंहम, श्री सी० आर० (कृष्णगिरी)

नरसिंहम, श्री एस० बी० एल० (गुटूंर)

नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर) रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नानादास श्री, (आंगोल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नामधारी, श्री आत्मा सिंह (फ़ाजिल्का—सिरसा)

नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंडी)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्कर)

नायर, श्री बी० पी० (चिरायांकिल)

नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर-उत्तर व खेरी-पूर्व)

नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)

नेहरु, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी-पश्चिम)

नेहरु, श्री जवाहर लाल (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (घुमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा)

पन्त, श्री देवीदत्त (ज़िला अलमोड़ा-उत्तर पूर्व)

पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैजाबाद उत्तर पश्चिम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वैकंटराव पीयूजी राव (दक्षिण सतार)

पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)

पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल-व ज़िला अलमोड़ा-दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली उत्तर)

पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)

पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाड़े (अहमदा-बाद-उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड वीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)

पारिख, श्री रसिक लाल यू० (जालावाड़)

पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेहसाना पूर्व)

पजारी

पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)

पुन्नूस, श्री पी० टी० (एलप्पी)

पोकर साहब, जनाब बी० (मलघुरम)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनुसूचित जातियां)

प्रसाद, श्री हरिशंकर (जिला गोरखपुर-उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डीलाल (झज्जर रिवाड़ी)

बदन सिंह, चौधरी (जिला बदायुं-पश्चिम)

बनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)

बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)

बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)

बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)

बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)

बहादुर सिंह, श्री फ़िरोज़पुर-लुधियाना-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया-पूर्व)

बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझनू-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन, श्री एस० सी० (इरोड-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राहमण्यम, श्री एस० (मदुराई)

बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (जिला बुलंद-शहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)

बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर पूर्व)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)

बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)

बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर-उत्तर लखीमपुर)

बुकआ, श्री देवकान्त (नोगांव)

बुवराधसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)

बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर दक्षिण)

बोस, श्री पी० सी० (मानभूम-उत्तर)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय)

बह्यो-चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां रक्षित-अनुसूचित-जन-जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)

भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल-पूर्व व ज़िला मुरादाबाद-उत्तर-पूर्व)

भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)

भवनजी ए० खोमजी, श्री (कच्छ-पश्चिम)

भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालोर)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)

भार्गव, पण्डित ठाकुरदास (गैड़गांव)

भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (थदत माल)

भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)

भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा-डुंगरपुर-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

भ–जारी

भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्ण-राव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बाकुंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरन तारन)

मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरूचिरपल्ली)

मल्लय्या, श्री श्रीनिवास य० (दक्षिणी कनाड़ा-उत्तर)

मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)

मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व जिला जौनपुर पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)

महता, श्री अनूपलाल (भागलपुर व पूर्निया)

महता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)

हता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)

महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)

महाता, श्री मजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)

महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़-रक्षित्-अनसूचित जन-जातियां)

महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिणव धालभम-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

मातन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर-दक्षिण)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना-दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा-पूर्व व ज़िला बस्ती-पश्चिम)

मालवीय, श्री मीतीलाल (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुरनारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सूरज प्रसाद (ज़िला देवरिया-दक्षिण)

मिश्र, श्री पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विज्नश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर-रक्षित- अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूष्णन्, श्री एम० (वैल्लूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिककुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया-पूर्व)

म–जारी

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूर)

मैनन, श्री के० ए० दामोद (कोज़िकौडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैत्थू, प्रो० सी० जी० (कोटय्यम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शौलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कीटा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा-उत्तरपूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रज़मी, श्री सैयद उल्ला खां (सिहौर)

रणजोत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडौल-सिद्धि-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़जुर (ज़िला मुरादबाद-मध्य)

राउत, श्री मौला (सारन व चम्पारन-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रधवय्या, श्री पिशुपति वैंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर-रक्षित- अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शौलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हजारीबाग)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)

रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)

रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)

राम दास, श्री (होशियारपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद-पश्चिम)

राम सुगत सिंह, डा० (शाहबाद-दक्षिण)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)

रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व–रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राय, श्री पतिराम (बड़ी रहाट-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राय, श्री विश्व नाथ (ज़िला देवरिया-पश्चिम)

राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)

राव, श्री कोड़ सुब्बा (एलुरु-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)

राव, दीवान रायवेन्द्र (उस्मीनाबाद)

राव, श्री पेडयाल राघव (वरंगल)

राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)

राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाड़ा-दक्षिण)

राव, श्री केनेट्टी मोहन (राजामंड्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)

राव, डा० बी० रामा (काकिनाडा)

राव, श्री टी० बी० बिट्टल (खम्मभ)

राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)

रिचर्डसन, बिशप जान (नाम निर्देशित-अण्डमान निकोबार-द्वीप)

रिशांग किशिंग, श्री (बाहय मणिपुर-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रूप नारायण श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री बाई० ईश्वर (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)

रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीम नगर)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फैजाबाद-उत्तर पश्चिम)

लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)

लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बरनी-मध्यपूव व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम)

लालसिंह, सरदार (फिरोज़पुर-लुधियाना)

लाम्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां-रक्षित-अनुसूचित-जातियाँ)

लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा-पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)

वर्मा, श्री बलाकी राम (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चित व ज़िला फरुखाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर-दक्षिण-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन उत्तर)

वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया-पूर्व)

वल्लातराम, श्री के० एम० (पुडुकोटे)

वाधमारे, श्री नारायण राव (परमणी)

विजय लक्ष्मी, पंडि,त श्रीमती (ज़िला लखनऊ-मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)

विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

वैकंटारमन, श्री आर० (तजोर)

वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैश्य, श्री मूलदास मूघरदास (अहमदाबाद-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैष्ण, श्री हनुमन्त राव गणेशराव (अम्बड़)

वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पाडन्, श्री एम० (शंकरनाचिनार कोविल)

शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा-पश्चिम)

शर्मा, श्री राधाचरण मुरैना-भिंड)

शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)

शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द (ज़िला मेरट-दक्षिण)

श—जारी

शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)

शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा-पूर्व)

शास्त्री, पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़-पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)

शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)

शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)

शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)

शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमती (ज़िला गढ़वाल-पश्चिम व ज़िला बिजनौर- उत्तर)

शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ-उत्तर पूर्व)

शाह, श्री चिमनलाल चाकू भाई (गोहित जाड़-सौरठ)

शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)

शिवा, डा० एम० बी० गंगाधर (चित्तूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)

शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़-फुलबनी-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

सखोर, श्री टी० सी० (मंडारा -रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)

सत्यनाथन, श्री एन० (बर्णपुरी)

सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सतीश चन्द, श्री (ज़िला बरेली-दक्षिण)

सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)

सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)

सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ्फरपुर मध्य)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलूक)

साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा रक्षित अनुसूचित जातियां)

सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)

सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला गीज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)

सिंह, श्री हर प्रसाद (ज़िला गाज़ीपुर पश्चिम)

सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)

सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)

सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरतपुर-सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर उत्तर पूर्व)

सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस पूर्व)

सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा-रायगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगजा-रायगढ़)

सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर-दक्षिण)

सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हासन-चिकमगालूर)

सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)

सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रताप)मुज़फ्फरपुर पूर्व)

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारी बाग़ पूर्व)

सिन्हा, श्री एस० (पाटली पुत्र)

सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व)

सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग व रांची)

सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)

स–जारी

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)

सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)

सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर-पूर्व)

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया–पश्चिम)

सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुज़फ्फरपुर उत्तर-पश्चिम)

सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)

सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व ज़िला मुजफ़्फ़रनगर उत्तर–रक्षित अनुसूचित जातियां)

सुब्रहमण्यम, श्री कांडाला (विज़ियानगरम)

सुब्रहमण्यम्, श्री टेकूर (बैल्लारी)

सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)

सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड-रक्षित-अनूसुचित जातियां)

सैन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)

सैन, श्रीं फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)

सैन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर दक्षिण)

सेबल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमौर)

सैय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)

सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)

सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)

सोमना, श्री एन० (कुर्ग)

सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)

सोरेन, श्री पाल जुझार पूर्णिया व सन्थाल परगना-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)

स्वामीनाधन, श्रीमती अम्मू (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा)

हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)

हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां

हेम राज, श्री (कांगड़ा)

हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गौंडा-उत्तर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री अनन्त शयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन

श्री हरि विनायक पाटसकर

श्री ऐन० सी० चटर्जी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कौल बैरिस्टर-एट-ला

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन

श्री एस० एल० शकधर

श्री एन० सी० नन्दी

श्री डी० एन० मजूमदार

श्री सी० वी० नारयण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री असीम कृष्ण दत्त

श्री गोविंदराव धर्मजी वर्तक

प्रो० सी० पी० मैथ्यु

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री—मौलाना अबुल-कलाम आज़ाद

संचरण मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर

रक्षा मंत्री—श्री ऐन० गोपालस्वामी अय्यंगार

वित्त मंत्री—श्री सी० डी० देशमुख

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री—श्री के० एन० काटजू

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री रफी अहमद किदवई

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री सी० सी० बिश्वास

रेल तथा यातायात मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

श्रम मंत्री—श्री वी० वी० गिरि

उत्पादन मंत्री—श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रीगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिन्हा

पुनर्वास मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

वित्त राज्य-मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना तथा प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर

उप-मंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री डी० पी० करमरकर

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री—श्री एस० एन० बुरागोहिन

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवा, २३ मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठबजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

देखिये भाग १

९-१५ म० पू०

सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्र निराक्राम्य करों का समापन) तथा पत्तन-विकास कर (आरोपण) निरसन विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य-मंत्री (डा० काटजू) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्र निराक्राम्य करों का समापन) तथा पत्तन-विकास कर (आरोपण) अध्यादेश १९४९ को निरसित करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाय।"

माननीय सदस्यों ने विधेयक तथा उद्देश्य और कारणों के विवरण पढ़े होंगे, अतः उन की व्याख्या किये जाने की आवश्यकता नहीं है । प्रस्तुत विधेयक एक ऐसे अध्यादेश का स्थान लेगा जो कई सुधार करने के उद्देश्य से कुछ पत्तन सम्बन्धी करों को, जो सौराष्ट्र सरकार ने आरोपित किये थे, निरसित करने के हेतु पारित किया गया था । अब वह उद्देश्य पूरा हो चुका है, और करारोपण की आवश्यकता नहीं है । अतः उन करो को निरसित करने के लिये एक अध्यादेश प्रस्थापित किया गया है । उस अध्यादेश के स्थान पर ही अब यह विधेयक लाया जा रहा है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३ तक विधेयक का अंग बना लिये गये ।

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये ।

डा० काटजू: मैं प्रस्ताव करता हूं :

" विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

" विधेयक को पारित किया जाये " ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

222 P.S.D.

विस्थापित व्यक्ति (दावे) संशोधन विधेयक

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, १९५० में संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

सदन को ज्ञात होगा कि विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम वर्ष १९५० में पारित किया गया था। इस की अवधि दो वर्ष की थी। १८ मई को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी थी और यह विधि बन गया था। उस समय यह आशा की जाती थी कि दावों के प्रमाणीकरण का काम दो वर्षों में समाप्त हो जायेगा। १०,५०,००० दावा-पत्र प्राप्त हुए थे। प्रत्येक दावा-पत्र में हमारी परिभाषा के अनुसार, दावा पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली उस दावेदार की सारी सम्पति सम्मिलित होती है। १०,५०,००० दावा-पत्रों को पड़ताल करना कोई आसान काम नहीं है। चूंकि यह सारी सम्पत्ति पाकिस्तान में है, अतः हम उन सब अभिलेखों का विनियम करना चाहते थे जिस में नगर-पालिका तथा पंजीयन के अभिलेख हैं किन्तु पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया। विस्थापित व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करते हुए भारत आये थे और आते समय वह अपनी संपत्ति के अधिकार-पत्र नहीं ला सके थे, अतः यह काम हमारे लिये और भी कठिन हो गया। अब तो हमारे दावा-पदाधिकारी भी उस सम्पत्ति को नहीं देख सकते, और कई ऐसे भी मामले हैं जिनमें हमें कोई भी प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, ऐसे दावों की पड़ताल करने के लिये हमें साधारण जांच-पड़ताल से काम लेना पड़ता है।

एक और भी कठिनाई थी जिस से इस काम में प्रगति नहीं हो सकी। इस काम के लिये जिन दावा-पदाधिकारीयों को नियुक्त करना पड़ा वह प्रायः विस्थापित व्यक्तियों में से ही चुने गये थे क्योंकि उन्हीं को इस कार्य का अनुभव था। बहुत खोज के बाद भी केवल ३०० व्यक्ति ऐसे मिले जो काम अच्छी तरह से कर सकते थे। अधिक नियुक्तियों से काम भी खराब होने लगा था और मैं ने उस समय यही अनुभव किया कि अधिक लोगों को नियुक्त करना ठीक नहीं था।

आज यह स्थिति है कि इन १०,५०,००० सम्पत्ति पत्रों में से लगभग १,५०,००० पत्र पंजाब के बाहर की कृषि भूमि के सम्बन्ध में हैं। सदन को ज्ञात होगा कि पश्चिमी पंजाब के भूस्वामियों तथा पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाली पंजाबी जातियों को अर्धस्थायी आधार पर जमीनें आवंटित की गई थीं, किन्तु सिन्ध, बहावलपुर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्तों तथा बलोचिस्तान के भूस्वामियों को, चूंकि वह पंजाब के मूल-निवासी नहीं थे, इस बात से वंचित ही रखा गया था। और इन व्यक्तियों ने जो दावा-पत्र दायर किये हैं उन की संख्या १,५०,००० है। दावा संस्था के एक उपविभाग द्वारा इन दावा-पत्रों पर पृथक रूप से कार्यवाही की जा रही है। इस तरह अब हमारे पास नौ-लाख दावा-पत्र बच जाते हैं। इन में से हम सात लाख से कुछ अधिक दावा पत्रों की जांच कर चुके हैं, अब हमारे पास केवल दो लाख दावा-पत्र बचे रहते हैं। इन दावा पत्रों को निपटाने में कितना समय लगेगा, यह कहना कुछ कठिन है, क्योंकि यह ऐसे दावा-पत्र हैं जिन में प्रत्येक सम्पत्ति के कई कई साझीदार हैं।

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हम ने दावे आमंत्रित किये थे, और हमारी यह इच्छा थी कि तीन महीने के अन्दर अर्थात् ३० सितम्बर, १९५० तक दावे पहुंच जायें। चूंकि लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया अतः हम ने और एक महीना बढ़ा कर अक्तूबर की अंतिम तिथि इस के लिये निश्चत की। बहुत से दावे आये; यहां तक कि इस अंतिम तिथि के बाद भी दावे आते रहे, अतः हम १५ महीने तक उन को दर्ज करते रहे किन्तु जनवरी, १९५२ के अंतिम सप्ताह में हम ने यह अनुभव किया कि और अधिक दावे स्वीकार नहीं किये जा सकते।

एक और भी बात है। यदि दावा प्रस्तुत करने वाला दावा पदाधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होता है तो, वह पदाधिकारी उस का दावा फाड़ कर फ़ेंक सकता है किन्तु हम प्रविधिक आधार पर कोई भी दावा रद्द नहीं करना चाहते। अतः जितनी शीघ्रता से विस्थापित व्यक्ति बराबर सहयोग देते रहेंगे, उतनी ही शीघ्रता से से काम पूरा हो सकेगा। मुझे ज्ञात है कि इन दावों के प्रमाणीकरण से विस्थापित व्यक्तियों को कितनी सहायता मिलेगी, और इस के लिये मैं माननीय सदस्यों को इस बात का आश्वासन दूंगा कि इस काम को पूरा करने के लिये मैं अपने क्षेत्र से बाहर के छोटे छोटे काम भी करता रहा हूं।

हमें इस बात का भी दोष दिया गया है कि प्रमाणीकरण में हम ने काफ़ी देर कर दी है, किन्तु इस विशाल और विचित्र काम में हम ने कोई भी विशेष देर नहीं की है। कुछ भी हो, अब तो हमारा श्रम फ़लीभूत होता नजर आ रहा है। इस विधेयक के सम्बन्ध में दो संशोधनों की सूचना दी गई है। इन के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों की इच्छा है कि यह कार्य जल्दी समाप्त किया जाय : इसीलिये यह दो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। मुझे बराबर चिन्ता है कि मैं इस कार्य को जल्दी समाप्त कर दूं यों तो मुझे विशेष समय अथवा अवधि में कार्य समाप्त करने का आश्वासन देने की आदत नहीं है, किन्तु आज मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मेरी स्थिति किसी हद तक सुरक्षित है और जहां मैं और एक वर्ष के लिये इस विधि को बढ़वाना चाहता हूं, वहां मुझे इस बात का आश्वासन देने में हर्ष होता है कि आगामी चार महीनों में ही मैं इस कार्य को अधिकांश रूप से समाप्त कर दूंगा। उस के पश्चात् भी यदि दावा संस्था का कोई भी भाग रखना पड़ा तो वह केवल बिखरे सूत्रों को इकट्ठा करने वाला भाग होगा। जब कभी भी किसी विशाल कार्य को सम्पन्न करना होता है तो उसकी समाप्ति के बाद भी उस संस्था का कुछ भाग शेष कार्यों को करने के लिये रखा जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई माननीय सदस्यों ने काम को जल्दी करवाने के उद्देश्य से संशोधन प्रस्तुत किये हैं, किन्तु मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह संशोधनों पर जोर न दें क्योंकि मैं बहुत ही थोड़े समय में उन की इच्छा को पूरा कर दूंगा। बाद में शायद कुछ कठिनाइयां आयें, और यदि संशोधनों को स्वीकृत किया गया तो हमारे पास कोई भी व्यवस्था, नहीं रहेगी जो इस कार्य को कर सके।

इस अधिनियम को जारी रखने के लिये इस मास की ५ तारीख को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश प्रस्थापित किया गया था। अब तो यह प्रस्ताव है कि इसे एक अधिनियम का रूप दिया जाय और मैं आशा करता हूं कि सदन मुझ से इस बात में सहमत होगा कि इस विधेयक को अधिनियम में बदल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, १९५० में संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाय ।"

चूंकि प्रस्तुत विधेयक में केवल एक खंड है, अतः यह दो संशोधन उसी समय प्रस्तुत हो सकते हैं जब सदन इस विधेयक पर विचार करेगा । माननीय सदस्यों को माननीय मंत्री के इस कार्य की प्रशंसा करनी चाहिये कि वह प्रस्तावकों द्वारा निर्दिष्ट समय से पहले ही इस कार्य को समाप्त कर लेंगे । मैं प्रस्तावकों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहता, किन्तु इतना सुझाव देना चाहता हूं कि विचार करने के समय इस बात पर चर्चा की जायेगी । विधेयक के खण्डों के प्रस्तुत किये जाने पर सदस्य भी साथ साथ संशोधन प्रस्तुत करेंगे : तो इस तरह दोनों बातों पर एक ही बार चर्चा होगी ।

श्री हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): इस प्रकार की प्रक्रिया में मुझे एक कठिनाई का अनुभव हो रहा है कि हम विधेयक के सभी पहलुओं पर चर्चा नहीं कर सकेंगे । हमें इस समय केवल प्रस्तुत प्रश्न तक ही सीमित रहना पड़ेगा, किन्तु अब हम प्रमाणीकरण विभाग के कार्य तथा अन्य कार्यों की ओर भी निर्देश कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि संशोधन प्रस्तुत होने के समय जो चर्चा होगी वह एक प्रकार से सीमित रहेगी । प्रस्ताव के विचार सम्बन्ध में जो चर्चा होगी वह विस्तृत होगी, इसीलिये मैं ने इस प्रकार का सुझाव दिया था ।

श्री हुक्म सिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करूंगा । मैं तो केवल लाला अचित राम के संशोधन का समर्थन करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस नहीं ले सकते । यह संशोधन चूंकि किसी विशेष खंड के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है अतः जिस समय यह सदन के समक्ष प्रस्तुत होगा उसी समय वह यह कह सकते हैं कि इसे प्रस्तुत किया जाय अथवा नहीं । यह तो भिन्न बात है कि सदन इस बात को स्वीकार कर ले कि वह संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । यदि वह संशोधन वापिस ले भी लें, तो भी वह उस पर भाषण दे सकते हैं किन्तु बाद में वह इस पर पुनः चर्चा नहीं कर सकते । यह तो उन की इच्छा पर निर्भर है कि वह भाषण देना चाहेंगे अथवा नहीं, किन्तु मैं उन्हें बोलने का अवसर अवश्य दूंगा ।

श्री हुक्म सिंह : हमारे मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि चूंकि दावे प्रमाणित किये जा रहे हैं अतः इस विधेयक से विस्थापित व्यक्ति (दावा) अधिनियम १९५० की अवधि को बढ़ा दिया जाना चाहिये । यह भी हमें बताया गया है कि ९ लाख दावों में से लगभग ७ लाख दावों की पड़ताल हो चुकी है अतः जितनी ही शीघ्रता से इसे समाप्त किया जाय उतना ही ठीक होगा । अप्रैल, १९५० में जब मूल विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, सरकार का संशोधन इस प्रकार था कि दो वर्ष की अवधि हो । कई लोगों ने कहा था कि केवल एक वर्ष रखा जाय क्योंकि चार वर्ष तो पूरे हो चुके हैं । साथ ही यह भी है कि विस्थापित व्यक्तियों की दशा बिगड़ती जा रही है वह संपत्ति के रूप में अपने साथ जो भी आभूषण कपड़े अथवा नगद धन लाये थे वह समाप्त हो चूका था ।

[श्री ऐम० ए० अयंगर अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रधान मंत्री जी ने कल ही कहा था कि जब भी विरोधी दल का कोई सदस्य सरकार के प्रत्येक काम की आलोचना करे तो समझना चाहिये कि वह ईमानदारी से आलोचना नहीं करता है। मुझे मालूम है कि सरकार ने बहुत से विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाया है : मैं इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं कि अभी और कितना काम बाकी है। हमें इस बात से आत्मसंतुष्ट नहीं रहना चाहिये कि हम सारा काम कर चुके हैं अतः और कोई भी काम करने को बाकी नहीं है। सार्वजनिक कर्त्तव्य तथा व्यक्तिगत होने के नाते मैं मंत्री जी के कार्य की प्रशंसा करता हूं वह शरणार्थियों को फिर से बसाने में काफ़ी रुचि रखते हैं, किन्तु मैं उन्हें अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं कि शरणार्थी कैम्पों को समाप्त करने के कार्य को भी पुनर्वास का कार्य माना गया है। मैं हाल ही का एक उदाहरण देना चाहता हूं योल के शरणार्थी कैम्प में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को भोपाल से २५–३० मील की दूरी पर किसी जगह पहुंचाया गया है। यह लोग मुजफ्फराबाद और काश्मीर के निवासी थे। वहां उन जगहों में सर्दी पड़ती है किन्तु अब उन्हें ऐसी जगह में पहुंचाया गया है जहां पीने को पानी तक नहीं मिलता है। मुझे पता चला है कि वहां एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई है। मुझे इस सम्बन्ध में कई तार मिल चुके हैं; मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को भी बहुत से तार मिले होंगे। मैं माननीय मंत्री से मिला और यह बातें सुन कर उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि उन्होंने उस स्थान में कुओं को गहरा करवाने के लिये मुख्य आयुक्त को पत्र लिखा है। वहां पहले से ही कुछ कुएं थे किन्तु पानी काफ़ी नहीं था। आप को आश्चर्य होगा कि यह विस्थापित व्यक्ति पहले जमींदार थे, और उन्हें वहां इसी लिए भेजा गया है जिस से कि वहां जा कर खेती करें किन्तु जहां पीने तक को पानी नहीं मिलता वहां खेती के लिये पानी कहां से आयेगा। मान लिया कि कुओं को गहरा करवाने के लिये मुख्य आयुक्त से कहा भी गया है, किन्तु जब तक उन्हें पीने को पानी नहीं मिलता, तब तक वह खेती का क्या काम कर सकते हैं, माननीय मंत्री के आदेश देने और मुख्य आयुक्त द्वारा उस का पालन किये जाने में, जिस के परिणामस्वरूप कूएं गहरे करवाये जायेंगे, बहुत समय लगेगा। मैं उदाहरण दे रहा था कि जब इस तरह से काम किया जाता है तो उस में बहुत देर लग जाती है।

मूल विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के समय भी आपत्ति उठाई गई थी। सरकारी बेंचों की ओर से संशोधन प्रस्तुत किया गया था, कि पदाधिकारियों को इस काम के पूरा करने में दो वर्ष लगेंगे। हम में से कई सदस्यों ने कहा था कि केवल एक वर्ष होना चाहिये। सरकार ने चूंकि इस बात का आश्वासन दिया था कि यह काम बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होगा, किन्तु इतना समय तो दिया ही जाना चाहिये, इसी आश्वासन पर हम ने दो वर्ष की अवधि दे दी थी।

अब प्रस्तुत विधेयक में इस अवधि को बढ़ाये जाने की मांग की गई है। स्वयं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु मैं चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र यह काम समाप्त किया जाना चाहिये अन्यथा विस्थापित व्यक्तियों के मन पर इस का कुप्रभाव पड़ेगा क्योंकि वह पूरे पांच वर्ष से इसी प्रतीक्षा में हैं।

दिसम्बर १९५० में कार्य आरंभ किये जाने के समय से आज तक—अर्थात् १७ महीनों में—हम ने ९ लाख दावों में से ७ लाख

[श्री हुक्म सिंह]

दावों की जांच की है और उन्हें प्रमाणित किया है । हिसाब लगा कर भी यदि देखा जाय तो इस काम में ४ – ५ महीने से अधिक नहीं लगने चाहियें ।

कहा जाता है कि यह समस्या अभूतपूर्व थी । ठीक है, जब विभाजन ही अपने ढंग की एक अभूतपूर्वक घटना है तो उस से उत्पन्न होने वाली समस्यायें भी अभूतपूर्व हैं : और जब हमें ने विभाजन मान लिया तो हमे इन समस्याओं को भी मानना पड़ेगा और उन का निराकरण भी करना पड़ेगा ।

मैं वास्तविक पड़ताल के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में हमें बताया गया है कि आरम्भ में विस्थापित व्यक्तियों ने दावा-पत्र दायर करने में सुस्ती की थी । मैं मंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि २० अप्रैल, १९५० तक इन विस्थापित व्यक्तियों ने बहुत बड़ी संख्या में दावे दायर कर दिये थे । माननीय मंत्री के वक्तव्य से भी इस बात का पता चलता है कि ५,३४,७०० दावे तो पहले ही दिये जा चुके थे । अतः स्पष्ट है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या में दावे आ चुके थे । हो सकता है कि कुछ कारणों से यह संस्था दिसम्बर १९५० तक काम आरंभ न कर सकी हो, किन्तु ऐसी कोई बात नहीं कि विस्थापित व्यक्तियों ने दावे दायर नहीं किये थे । कुछ हद तक इस बात में भी सच्चाई है कि विस्थापित व्यक्ति दावा दायर करने में हिचकिचाते थे, अथवा दावा-पत्र देने की कोई परवाह नहीं करते थे । उन्हें सरकार में और सरकार के वायदों में कोई विश्वास नहीं था क्योंकि शरणार्थी सम्पत्ति के प्रति सरकार का रवैया बदलता जा रहा था । सन् १९४७ में जब विभाजन हुआ था तो हम बहुत बड़ी आशायें ले कर इधर पहुंचे थे और सोचते थे कि चूंकि हमें देश के लिये बलिदान का बकरा बनाया गया है अतः हमारी इस विपत्ति को राष्ट्रीय विपत्ति समझा जायेगा और हमें राष्ट्रीय निधि में से धन दिया जायेगा जिस से हम अपनी क्षति को पूरा कर सकेंगे, किन्तु धीरे धीरे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रारंभ में हमारे साथ सरकार की जो सहानुभूति थी, वह भी सब समाप्त हो गई । हो सकता है कि इस में हमारा भी कुछ दोष रहा हो, किन्तु यह तो निश्चित है कि हमारे प्रति जो भी सहानुभूति थी वह कम होती चली गई । अब तो हमें आक्रान्ता और प्रतिद्वन्दी समझा जाता है अतः हमारे प्रति किसी भी व्यक्ति की सहानुभूति नहीं है; और चूंकि सरकार कि पुनर्वास नीति भी सुयोजत नहीं रही है, अतः विस्थापित व्यक्तियों को भी सरकार में कोई श्रद्धा नहीं रही है । प्रारम्भ में यह प्रयत्न था कि हमें हमारी उस सम्पत्ति का जो हम पाकिस्तान में छोड़ आये थे प्रतिकर मिलेगा और धीरे धीरे पाकिस्तान से उस प्रतिकर को वसूल किया जायेगा । पांच अधिवेशन बुलाये गये किन्तु जून १९४९ तक हमारी सरकार को इस बात का पूर्ण रूप से पता चला कि वह (पाकिस्तान) एक कौड़ी भी देने को तैयार नहीं था । हमारी सरकार ने जोर डाला था कि सरकारी स्तर पर ही इस का निबटारा हो, किन्तु पाकिस्तान ने यह बात भी बिल्कुल अस्वीकार कर दी । स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् जुलाई १९४९ में एक विशेष अधिवेशन हुआ, और श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने यह आश्वासन दिया कि प्रति कर दिया जायेगा । और उन्होंने उन सभी साधनों को भी हमारे सामने रखा जिन से धन की प्राप्ति होगी । इस सहायता निधि में उन्होंने तीन बातें गिनाईं : (१) भारत में मुलसलमानों द्वा

छोड़ी गई सम्पत्ति—निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति (२) छोड़ी गई संपत्ति के बदले में पाकिस्तान, से प्राप्त होने वाला धन, और (३) सरकार का अंशदान। दिसम्बर १९५० में हमारा भ्रम दूर हुआ जब सरकार ने अपने शब्दों से मुकरते हुए कहा था कि कोई भी सरकारी अंशदान नहीं दिया जायेगा। अब हमारे पास दो ही साधन थे, जिनसे कुछ आशा की जा सकती थी : (१) निष्क्रामणार्थी संपत्ति, तथा (२) पाकिस्तान से प्राप्त होने वाला धन, किन्तु बहुत प्रतीक्षा करने के बाद अन्ततः नवम्बर, १९५० में एक प्रेस कांफ्रेंस हुई जिस में प्रधान मंत्री ने समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों से कहा कि हम ग़लती पर रहे क्योंकि हम ने जायदाद वाले लोगों की ओर ही—उन लोगों की ओर जिन के पास पाकिस्तान में जायदाद थी —ध्यान दिया था। उन्होंने कहा कि इस समय पुनर्वास का कार्य होना चाहिये। प्रतिकर शब्द ही उन्हें असह्य था जहां तक मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति से प्रति कर दिलाने का प्रश्न था, उन्हें यह बात पसन्द नहीं थी, वह प्रतिकर की बात सुन कर क्रुद्ध होते थे। स्थिति बहुत ही स्पष्ट थी। उस दिन शरणार्थियों की आंखें खुल गईं। वह जान गये कि निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के सिवाय उन्हें और किसी भी साधन से सहायता नहीं मिल सकती थी। यद्यपि कई बार यह बयान दिये गये कि पाकिस्तान से जो कुछ भी मिलेगा वह शरणार्थियों में वितरित किया जायेगा, फिर भी उन को इस बात का निश्चय है कि पाकिस्तान से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हम जानते हैं कि युद्ध से समस्या सुलझाई नहीं जा सकती बल्कि उस से और समस्यायें पैदा होती हैं अतः इन बातों पर युद्ध भी नहीं छेड़ा जा सकता है। इसी लिये शक्ति का उपयोग करने का प्रश्न ही नहीं होता है। रहा समझौते की बात चीत करके सन्धि या करार करने का प्रश्न—किन्तु उस में कठिनाई यह है कि पाकिस्तान एक कौड़ी तक देने को तैयार नहीं है। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि पाकिस्तान प्रतिकर के रूप में हमें कोई धन राशि दे। यही कारण है कि विस्थापित व्यक्ति की नजर इस निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति पर लगी है। हम इस बात के इच्छुक हैं कि यथासंभव शीघ्रता से इन दावों की जांच पड़ताल की जा कर के इन का प्रमाणीकरण हो क्योंकि विस्थापित व्यक्तियों के इस एकमात्र सहारे निष्क्रान्त संपत्ति का दाम प्रति दिन घटाया जा रहा है कई व्यक्ति विशेष जानबूझ कर उस के दाम कम नहीं करता है, किन्तु चूंकि कोई व्यक्ति उस की निगरानी नहीं करता है और न ही मरम्मत करता है, अतः इस का दाम कम होता जा रहा है तो जितनी ही अधिक देर होगी। उतनी ही कम सम्पत्ति शेष रह जायेगी मैं नहीं कहता कि सरकार जानबूझ कर इस में कोई कमी कर रही है किन्तु शरणार्थियों का अनुभव है कि पिछले दो तीन वर्षों से यह सम्पत्ति संग्रह भी कम होता जा रहा है। कई मुक्ति प्रमाणपत्र दिये गये हैं, कई अन्य सम्पत्तियां वापिस दिलाई गई हैं। स्वयं मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो कहा करते हैं कि इन मुसलमानों की भी जो यहां भारत में रहना चाहते हैं, जायदाद छीन ली जानी चाहिये। किन्तु मैं इस बात का समर्थक अवश्य हूं कि जो मुसलमान भारत छोड़ कर पाकिस्तान चले गये हैं और जो भारत को अपना घर नहीं समझते हैं उन की संपत्ति को निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति संग्रह में शुमार किया जाना चाहिये। मैं कई ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ होने के नाते भारत में अथवा बाहर किसी देश में कार्य कर रहे हैं किन्तु उन की सम्पत्ति भारत में बराबर बनी हुई है, वह भारत और पाकिस्तान दोनों के नागरिक हैं, और यहां भारत में अपने

[श्री हुक्म सिंह]

सम्पत्ति का लाभ उठा रहे हैं। विस्थापित व्यक्तियों को इस बात का भय है कि दावों के प्रमाणीकरण में जितना ही अधिक समय लगेगा उतना ही उन की स्थिति बिगड़ती जायेगी। वह सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि महा अभिरक्षक के विभाग तथा उस के पदाधिकारियों द्वारा इस सम्पत्ति के समाप्त हो जाने से पहले ही उन के दावों का निबटारा हो ताकि उन की थोड़ी सी क्षतिपूर्ति हो जाये। उन का यह भी अनुरोध है कि सरकार इस सम्पत्ति संग्रह को विस्थापित व्यक्तियों के लिये एक न्यास समझे और तदनुसार उस की व्यवस्था करे ताकि प्रमाणीकरण का यह कार्य शीघ्र ही समाप्त हो सके।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर (पंजाब): सभापति जी, इस अमेन्डमेन्ट बिल (संशोधन विधेयक) के सम्बन्ध में, जो मंत्री जी ने पेश किया है, मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि माननीय पुनर्वास मंत्री ने इस समस्या को अच्छी तरह से समझा है और बड़ी योग्यता के साथ वह जब से मंत्री बने हैं, इस बात का प्रयत्न किया है कि यह मामला बहुत जल्दी सुलझ जाय और ऐसी बहुत सी बातें हो जायें जिन से सरकार की नेकनामी हो और शरणार्थियों को लाभ पहुंच सके।

उन्हों ने इस समय जो अपील की है मैं उस की कद्र करता हूं किन्तु हम लोगों की या शरणार्थियों की जो चिन्ता है वह इस को समझ लें, और यह भी मालूम करें कि इस का क्या कारण है। मुझे प्रसन्नता है कि इस चिन्ता के सम्बन्ध में, जैसा कि अभी सरदार हुक्म सिंह जी ने कहा और जिसे मंत्री जी भी अच्छी तरह से समझते हैं कि बिल के उद्देश्यों तथा कारणों में दिया गया है कि आरम्भ में शरणार्थियों ने अपने दावे देने में ढिलाई की है इस का कुछ हद तक यह कारण है कि जिस समय यह घोषणा की गई कि लोग अपने अपने दावे दायर करें, उस समय स्थिति यह थी कि शरणार्थियों को इस बात का विश्वास नहीं रहा था कि सरकार उन को कुछ देगी इस लिये हमें घोषणा करनी पड़ी थी और एक एक के पास जाना पड़ा था क्यों कि कई लोग यह कहते थे कि हम दावे किस लिये दें, हमें दावे-पत्र देने पर जो व्यय करना पड़ता है उतना भी वापस मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिये वह देर करते रहे। माननीय मंत्री जी निस्सन्देह यह सोचेंगे कि मैं यह कह कर उन का अनुमोदन कर रहा हूं किन्तु सत्य यही है कि लोग दावे देने में इसलिये देर करते थे, और मैं इसी दृष्टिकोण से उन को सूचित करना चाहता हूं कि शरणार्थियों में जो इस प्रकार की धारणा बन चुकी थी, यही सारी गड़बड़ी की जड़ थी। अब भी इस तरह की देर कर के हम यही धारणा बना रहे हैं।

मुझे राष्ट्रपति के भाषण पर कुछ कहने का मौका नहीं मिला। इस भाषण में शरणार्थियों का उल्लेख तक न होना इस चीज़ का और भी सन्देह बढ़ाता है, और कदाचित् सरकार यह समझती है कि यह शरणार्थियों की समस्या अब लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं समझता हूं कि यह समस्या इस बात से और भी पेचीदा हो गई है। जो चीज़ पूरी तरह से समाप्त न हुई हो और जिस को शीघ्र ही समाप्त करना चाहिये उस के लिये यह धारणा हो जाना कि यह मामला समाप्त हो चुका है समस्या को और भी पेचीदा बना देता है। इसलिये हम ने माननीय मंत्री से कल या एक दिन पहले एक दो प्रश्न पूछे थे: उन्हों ने एक प्रश्न का यह उत्तर दिया कि पब्लिक इन्ट्रैस्ट (सार्वजनिक हित) के कारण इस प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं दिया जा

सकता। उन का दृष्टिकोण ठीक होगा और मैं उन की कठिनाई को समझता हूं। संभव है कि उन के उत्तर से कोई अड़चन पैदा हो जाये और जिस के परिणामस्वरूप हमें हानि हो, किन्तु इस प्रकार के उत्तर से उन लोगों

१० म० पू०

के दिल में जिन का इस से सम्बन्ध है और भी सन्देह बढ़ जाता है। कल मैंने दावों के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा था, कि कितनों के दावे प्राप्त हो चुके हैं, तो उन्हों ने यह उत्तर दिया कि सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह इस का उत्तर दे सके।

मेरा प्रश्न यही था, किन्तु मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैं यह कहना चाहता था कि लोगों के सन्देह बढ़ रहे हैं इसलिये मैं आप से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार निस्सन्देह यह अमेन्डमेन्ट बिल (संशोधन विधेयक) पास करे और इस पार्लियामेन्ट (संसद्) में पारित हो जाये। किन्तु एक ओर सरकार अपनी आसानी के लिये जहां लम्बा काम करती है वहां दूसरी ओर जिस काम को लम्बा करने से शरणार्थियों को लाभ पहुंचता है वहां पर सरकार शीघ्रता करती है। मेरा अभिप्राय यह है कि यदि काम में देर करना है तो हर एक काम में देर करें। जिस देर से शरणार्थियों को लाभ पहुंचता है और जिस काम से सरकार को सुविधा मिलती है, दोनों में ही देर हो।

कुछ दिन हुए लगभग ७० मकान, जिन्हें कुछ निर्धन लोगों ने अपने ज़ेवर आदि बेच कर या किसी ढ़ंग से ऋण ले कर या किसी सम्बन्धी या मित्र से रुपया ले कर बनाये थे इसलिये गिरा दिये गये कि वे उन जगहों पर बनाये गये थे जहां पर कि बनाने की आज्ञा नहीं थी यानी अनआथोराइज़ड् आकुपेशन (अनधिकृत अधिकार) करके उन्हों ने मकान बना लिये थे। यह झगड़ा यहां पर बहुत देर तक चलता रहा। मैं नहीं चाहता कि सरकार का कोई क़ानून तोड़ा जाय किन्तु मकान गिराने के काम में यदि देर हो जाती तो क्या आपत्ति थी। यह मकान उस समय गिराये जाते जब शरणार्थियों को अपने दावों में से कुछ मिल जाता जिस से कि वह दूसरी जगह मकान बना कर रह सकते और उन को सुविधा मिल जाती, तो मेरा अभिप्राय यह है कि जिन बातों से शरणार्थियों को लाभ पहुंच सकता है उन में भी देर की जाय। जयपुर हाउस में, जो कि हमारी सरकार के अधिकार में अभी आया है, हमारे बहुत से शरणार्थी भाई रहते हैं। एक दम उन को नोटिस मिला है कि वह जयपुर हाऊस खाली कर दें, और जिन को सरकार ने जयपुर हाऊस खाली करने को कहा है, उस के बदले उन में से कई एक को कोई आलटरनेटिव एकोमोडेशण (वैकिल्पिक स्थान) नहीं दिया गया है। कहा यह गया है कि वह दिसम्बर, १९४८ के बाद आये हैं। किन्तु जयपुर हाऊस उस तारीख तक सरकार के अधिकार में ही नहीं था, तो इस तरह से उन को जो वहां से हटने का नोटिस दिया गया है उस से वह बहुत परेशान हैं।

एक बात मैं अपने वित्त मंत्री से भी निवेदन करूंगा, और मैं ने एक प्रश्न भी उन से पूछा था कि क्या वह इस बात पर विचार कर सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन फाइनैन्स ऐडमिनिस्ट्रेशन (पुनर्वास वित्त प्रशासन) के जो ऋण हैं वह पांच हज़ार से अधिक हैं और मध्य वर्ग के लोगों को मिले हैं, उन पर भी यह रियायत अनिवार्यतः दी जाये जो राज्य सरकारों के छोटे ऋणों पर रिहैबिलिटेशन विभाग ने की है यानी सरकार की ओर से जो घोषणा श्री अजीत प्रसाद जैन ने की है कि राज्य सरकारों ने जो छोटे छोटे ऋण लोगों को दिये हैं उन की वापसी की किस्तें उस समय तक बन्द कर दी जायें जब तक कि

[ज्ञानी जी० ऐस० मुसाफिर]

उन के दावे उन्हें नहीं मलते, और उन के दावे उन के ऋणों की अदला बदली में पूरे कर दिये जायें । ऐसा करने से उन्हें बहुत सुविधा होगी । इसलिये मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन शरणार्थियों न रिहैबिलिटेशन फाइनैन्स ऐडमिनिस्ट्रेशन से ऋण लिये हैं, उन की भी पर्याप्त संख्या है, उन को भी इस तरह की सुविधा दी जाये । वित्त मंत्री का कहना है कि इस धन से उन लोगों ने कमाई की है और वह लोग खाते हैं; इस कारण उन को अपनी किस्त अदा करनी चाहिये । मैं पूरे तौर से उन की इस बात से सहमत हूं, बल्कि यदि कोई समय पर किस्त न दे तो मैं उन से अनुरोध करता हूं कि वह समय पर दें । किन्तु यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि रिहैबिलिटेशन फाइनैन्स ऐडमिनिस्ट्रेशन के जो ऋण हैं, उन को किस्तों में अदा करने में बड़ी कठिनाई हो रही है । एक तो इस ऋण की किस्तों को वापस करना और फिर लाभ में से अपने बाल बच्चों का भी गुज़ारा करना, यह दोनों बातें उन के लिये बहुत कठिन हो गई हैं । इस में इन बेचारों का कोई दोष नहीं है, प्रकृति भी इन का साथ नहीं देती है, और इन के विरुद्ध हो जाती है । रोज़गार में कभी मन्दी आती है और कभी तेज़ी लेकिन अब हर ओर मन्दा ही मन्दा है, इसलिये इन को ऋण वापस करने में कठिनाई होती है । मैं आज फिर यह निवेदन करूंगा कि इस बात पर अवश्य विचार किया जाय कि यदि दावों का मामला इस तरह खिंच जाता है तो फिर ऋण की किस्तों के मामले को भी, जो शरणार्थियों के पक्ष में जाता है, बढ़ा देना चाहिये, और उन से जल्दी जल्दी किस्तों में आज ही नगद धन लेने के स्थान पर इन्हें भी इस की वापिसी में कुछ सुविधा दी जाये, ताकि इन्हें भी सहारा हो जाये और फिर इन्हें कुछ तसल्ली हो जायेगी कि सरकार सचमुच ही दावों का बड़ी जल्दी कुछ न कुछ भाग उन को देगी । तभी यह समझा जायेगा कि सरकार उन के साथ रियायत कर रही है और ऋण की जो किस्तें हैं उन को बन्द कर रही है । उन के मन में इस से बड़ी तसल्ली होगी और इस से उन को बड़ी सुविधा होगी; सरकार की नेकनामी होगी, सरकार के कामों में आसानी होगी, इस सिलसिले में मैं इस हाऊस (सदन) का अधिक समय नहीं लेना चाहता, केवल सरकार की सेवा में, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय दावों का फैसला न होने के कारण शरणार्थियों में बहुत अविश्वास पैदा हो गया है । आवश्यकता यह है कि इस अविश्वास को दूर किया जाय । मंत्री जी इस विधेयक को निस्सन्देह पारित करायें और वह मुझ से अधिक इस बात को समझ सकते हैं कि यह काम किस तरह हो सकता है । सरकार की तकलीफें जैसे दूर हो सकती हैं वह करें और निस्सन्देह ऐसे विधेयक पारित करें किन्तु मेरे निवेदन को भी मानें कि जिस तरह वह दावों के काम को अपनी सुविधा के लिये लम्बा करना चाहते हैं, उसी तरह दूसरी ओर वह बातें जो शरणार्थियों के पक्ष में जाती हैं उन में भी और थोड़ी सहानुभूति से काम लें ताकि शरणार्थियों की सुविधा हो जाय ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : माननीय मंत्री ने इस बात का इतने सुन्दर रूप से स्पष्टीकरण किया है कि विस्थापित व्यक्ति दावे अधिनियम १९५० को बढ़ाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया है । सत्य तो यह है कि १८ मई, १९५२ को इस की अंतिम तिथि थी । अब प्रश्न यह उठता है कि कितने समय तक के लिये इस को बढ़ाया जाय । माननीय मंत्री ने इस के लिये तीन प्रबल आधार बताये हैं । सब से पहले उन्होंने शरणार्थियों पर बात का दोष मढ़ा है कि उन्होंने व्यावहा-

रिकता से काम नहीं लिया। किन्तु अब स्थिति बदल चुकी है अब हमें मनोवैज्ञानिक ढंग से यह बात समझानी पड़ेगी कि इस में दिखावे की कोई बात नहीं है बल्कि यथार्थता है। मैं बंगाल का रहने वाला हूं अतः स्थिति को समझते हुए मुझे यह कहना पड़ता है कि जब तक इस मामले को संतोषजनक ढंग से नहीं निपटाया जाता तब तक पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों पर इसका बहुत बुरा मनोवैज्ञानि प्रभाव पड़ेगा। पारपत्र प्रणाली के जारी होने के कारण पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लाखों शरणार्थियों के हित के इस प्रकार के किसी विधान का बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

कितने समय के लिये इसको बढ़ा दिया जाय, इसके लिये माननीय मंत्री को दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली बात जैसे श्री हुक्म सिंह ने कही, मनोवैज्ञानिक प्रभाव की है, दूसरी बात के बारे में मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि क्या अधिक समय तक इस को बढ़ा देने के परिणामस्वरूप टाल-मटोल और देर तो नहीं होगी। क्या शीघ्रता से इस कार्य को समाप्त करना अच्छा नहीं होगा? माननीय मंत्री ने बतलाया कि ३०० दावा-पदाधिकारियों से यह काम संतोषजनक ढंग से नहीं हो सका: और अब जितना ही अधिक समय लगाया जायेगा लोगों को उतना ही टाल-मटोल करने की अधिक प्रेरणा मिलेगी। अधिक अच्छा यही होगा कि निश्चित अवधि में ही यह सब काम समाप्त कराया जाय। मैं इस काम में बाधा नहीं डालना चाहता बल्कि इसी लिये इस कार्य के कम समय में ही समाप्त किये जाने का सुझाव देता हूं ताकि लोग यह समझ सकें कि आप इस काम के लिये छः महीने से अधिक समय नहीं लगाना चाहते। छैः महीने तक बढ़ाने का यह अभिप्राय होगा कि १८ नवम्बर १९५२ तक काम चालू रहेगा, जब कि माननीय मंत्री इस काम को चार महीनों में ही समाप्त करना चाहते हैं। १८ नवम्बर, १९५२ तक की अवधि उचित रहेगी। उस से शरणार्थियों को इस बात का आश्वासन मिलेगा कि इसी वर्ष के अन्त तक उनका काम कर दिया जायेगा और उन्हें यह भी पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है। जितनी ही शीघ्रता से यह काम समाप्त हो सके उतना ही अधिक उत्तम होगा। मैं पीड़ित लोगों के हित में, और इस पीड़ित मानवता के नाम पर आप से अनुरोध करता हूं कि आप इस वर्ष के अन्त तक की अवधि निर्धारित करें ताकि शरणार्थियों को अपनी स्थिति मालूम हो सके और दावा-पदाधिकारी भी निश्चित समय तक यह काम समाप्त कर सकें।

आज मध्याह्न पूर्व जिन विद्वान वक्ताओं ने जो कुछ कहा है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने के लिये जो संग्रह अथवा निधि हमारे पास इकट्ठी हो चुकी है वह अन्य व्यक्तियों पर और उन व्यक्तियों पर जिन्होंने भारत का संविधान अंगीकार नहीं किया है, व्यय न की जाये क्योंकि वह तो भारत छोड़ कर चले गये हैं और हमारे इस देश को स्वदेश नहीं अपितु शत्रु देश समझते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) श्रीमान् इस छोटे से बिल (विधेयक) पर जो इतना जरूरी है, मेरा इरादा नहीं था कि मैं हाउस (सदन) का वक्त जाया (नष्ट) करूं। इस में कोई शक नहीं कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है कोई शख्स (व्यक्ति) इस बिल की मुखालफत नहीं कर सकता और जो लोग मिनिस्टर साहब के काम से वाकिफ हैं वह जानते होंगे कि हमारे मिनिस्टर साहब ने कितनी जांफसानी (लगन) मेहनत (परिश्रम) और एतिहात (सावधानी) से इस काम को किया है। उस के लिये सिवाय इस के कि उन को ट्रब्यूट (प्रशंसा) अदा किया जाय और उन पर यक़ीन रखा जाय कि वह हमारी बेहतरी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के वास्ते जो कुछ कर सकते हैं, वह जरूर करेंगे, और कुछ नहीं किया जा सकता।

जहां तक बिल के असूलों (सिद्धान्तों) का ताल्लुक है, मैं उनको सपोर्ट (समर्थन) करता हूं और साथ ही मैं उन खिदमात (सेवाओं) की भी दाद देता हूं जो हमारे मिनिस्टर साहब ने रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) के बारे में अंजाम दी हैं। लेकिन मुसिबत तो यह है कि रिफ्यूजीज का सवाल इतना लम्बा चौड़ा है और गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) की अपनी ताकत उसके सामने इतनी छोटी है कि वह दरअसल इतने बड़े सवाल को अच्छी तरह से हल नहीं कर सकती। अफसोस तो तब होता है जब हम यह देखते हैं कि सरकार उन मामलों को भी, जिन को कि वह हल कर सकती है, बराबर हल करने की कोशिश नहीं करती और जिन चीजों के करने के लिये सरकार हमसे रोज वायदे करती है, उन वायदों के खिलाफ खुद इस सरकार के मामूली अफसर क़द्र नहीं करते।

अभी सरदार हुक्म सिंह की तक़रीर सुन कर मुझे दिल्ली प्रेमिसेज़ एविक्शन बिल (दिल्ली मकानादि अधिग्रहन तथा निस्सृति विधेयक) याद आता है जिसे इस हाउस ने पास किया था। हमने अर्सेदराज़ (बहुत समय) तक, एक साल तक, उस बिल की सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में काम किया और मिनिस्टर साहब से उस हाउस के सामने ऐश्योरेन्स (आश्वासन) हासिल किया वह एश्योरेन्स क्या था ? वह यह था कि दिल्ली के अन्दर जो शरणार्थी बैठे हैं और जिन्होंने अगस्त सन् १९५० से पहिले मकान बनाये हैं उनके मकानों को बिना किसी लिहाज़ के, बिना इस कमेटी के पालिसी डिस्कस (नीति की चर्चा) किये हुए नहीं गिराया जायेगा। हमारे मिनिस्टर साहब ने हाउस को ऐश्योरेन्स दिया और पार्लियामेंट के तीन मेम्बरों को कमेटी में शामिल किया। वह चन्द मिनिस्टरों की भी कमेटी थी। उस कमेटी की पहली मीटिंग (बैठक) हुई, उसके अन्दर हमारे सामने चन्द एक मामले पेश किये गये। उस के ऊपर अभी पूरा ग़ौर व खौज (विचार विमर्श) नहीं हुआ था अभी किसी नतीजे पर कमेटी नहीं पहुंची थी कि कमेटी की बैठक उस वक्त खत्म हो गई। लेकिन अखबारों के अन्दर क्या देखा गया कि जो फैसले कमेटी के नहीं हुए थे उन को गलत तौर पर किसी शख्स ने दे दिया कि कमेटी ने यह फैसले किये हैं कि फलां इलाके से लोगों को उठा दिया जायेगा। हम ने मिनिस्टर साहब की खिदमत में शिकायत की कि हमने यह फैसले नहीं किये कि यह लोग उठाये जायेंगे और मिनिस्टर साहब ने क़बूल (स्वीकार) किया कि यह फैसले नहीं हुए और यह किसी शख्स की गलती थी कि वह अखबारों में दे दिये गये। मुझे नहीं मालूम कि किस की ग़लती थी ताहम (फिर भी) उस कमेटी की दूसरी बैठक नहीं हुई। हम ने इसलिये मिनिस्टर साहब को लिख कर दिया कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन मेरे अफ़सोस और दुःख की कोई हद नहीं रही जब कि चन्द शणार्थियों ने मुझ से आकर कहा कि उन के ७० मकानों को, जिन की क़ीमत पांच पांच हजार से कम नहीं थी, पुलिस के ज़रिये ज़मीन से लगा दिया गया और उन के अकुपैन्ट्स (निवासियों) को तेहाड़ ले जाया गया और रात के ग्यारह बजे ले जाया गया। मुझे पता लगा कि एक औरत के तीन दिन पहले बच्चा हुआ था, उन हटाये जाने वालों में वह औरत भी शामिल थी। वहां के आदमी चन्द रोज़ पहले मेरे पास आये थे और कहा था कि हमारे पास यह नोटिस आया है। मैं ने कहा कि यह नहीं हो सकता। जब तक कमेटी का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक यह मकान नहीं गिराये जायेंगे। उन लोगों ने कहा हम क्या करें, हम मुसीबत में हैं, हम तो उजड़े हुए आदमी हैं जो

एक जगह से उजड़ दूसरी जगह बसे हैं, हम क्या करें। इन आदमियों ने कहा कि हमारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं और अगर हमें मकानों से निकाला गया तो हम मुक़ाबला करेंगे—यह लोग पेशावरी थे। मैं ने उन से कहा कि आप खुदा के लिये ऐसा ख्याल न करें। लेकिन जब मुझे बताया गया कि उन सत्तर मकानों को गिरा दिया गया तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। उस औरत के खाविन्द ने अपने हाथ में लाठी ली और कहने लगा कि पहले मुझे मार दो फिर मेरी औरत को ले जाना क्योंकि औरत तो ऐसी हालत में ले जाने पर मर ही जायेगी। और उस औरत को ले जाने पर उस के खाविन्द ने कुछ आदमियों को जख्मी भी किया : तब यहां के मेजिस्ट्रेट साहब वहां गये और समझा बुझा कर उन्हें तेहाड़ भेज दिया। मुझे एतराज़ (आपत्ति) नहीं अगर क़ानून से उन लोगों के मकान गिराये जा रहे हैं, और अगर क़ानून से जो लोग एक जगह बस गये हैं उन को उजाड़ना मक़सूद (अभीष्ट) है। लेकिन मुझे सख्त एतराज़ है कि हाउस के अन्दर ऐश्योरेन्स दे कर, कि जब कमेटी फ़ैसला करेगी उस के बाद कोई मकान गिराये जायेंगे, फिर भी बिला फ़ैसला कमेटी के सत्तर मकान गिराये गये। और लोग कहते हैं कि सत्तर नहीं सब के सब मकान गिराये जायेंगे। मैं किसी ऐसे क़ानून को नहीं जानता जिस की रू से कई साल के पुराने मकान इस तरह से गिरा दिये जायें बिना कमेटी की इजाज़त लिये हुए। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं और ज्ञानी गुरमुख सिंह साहब के साथ शामिल हूं कि अगर कहीं देर की ज़रूरत है तो ऐसे कामों में देर की जरूरत है। आखिर क्या बिगड़ जाता अगर कुछ दिनों के बाद इन मकानों को गिराया जाता जिन का गिराना ज़रूरी था। मुझे शिकायत है आनरेबुल मिनिस्टर साहब से, और मैं वह शिकायत पहले भी रिपीट (दौहरा) कर चुका हूं और फिर रिपीट करता हूं। अगर मिनिस्टर साहब इस दिल्ली के मामले को अपने हाथ में लेते क्योंकि जैसा मैंने अर्ज़ किया कि रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट (पूनर्वास विभाग) का फ़र्ज़ है कि वह तमाम रिफ़्यूजीज़ की हिफ़ाज़त करे तो यह बात न होती कि उन सत्तर मकानों को गिरा दिया जाता। मुझे अफ़सोस है कि चूंकि मिनिस्टर साहब के महकमे को कुछ फ़िक्र नहीं इसलिये यह मुसीबत पैदा हुई है। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब के सामने एक और बात कहना चाहता हूं कि आज कल आप एक दिन एक क्लेम (दावे) में देर करते हैं तो उस से जो मुसीबत पैदा होती है उस को ब्यान नहीं कर सकता। आज हर एक रिफ़्यूजी को ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप इस क्लेम के काम को करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद होगी। मैं इन रिफ़्यूजी भाइयों की हालत को क्या कहूं जिनके आंसू दुख की गर्मी से खुश्क हो चुके हैं, जिनको यकीन नहीं रहा कि आप कुछ करना चाहते हैं। आप का इतना बड़ा रिफ़्यूजी का सवाल है। आप रोक क्रेडिट (श्रेय) लेते हैं कि आपने रिफ्यूजियों को बसा दिया और दरअसल यह क्रेडिट की बात है। कोई दुनिया की सरकार ऐसे कारनामे नहीं दिखला सकती जो इस गवर्नमेंट ने दिखलाये, लेकिन ताहम उन की शिकायतें सुनिये। पलवल के अन्दर जो रिफ़्यूजीज़ हैं पहले सेशन (सत्र) में मैं ने उनका ज़िक्र किया था और कहा था कि तक़रिबन आठ सौ आदमी अभी तक कैम्पों में मौजूद हैं। जवाब दिया गया कि एक हज़ार आदमियों के वास्ते मकान बनाये जा चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि, अब तक वह मकान मुकम्मिल नहीं हुए हैं। सिर्फ़ मकानों का रोना क्यों रोया जया। मैं आप से कहता हूं कि पलवल के रिफ़्यूजी भूखे मर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

रहे हैं, उन के पास काम नहीं है और उनकी हालत यह है कि जो आप दिमाग़ में भी नहीं ला सकते। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा क्लेम्स वग़ैरह की तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब तक उनके लाइवलीहुड (आजीविका) की तज़वीज़ नहीं होगी तब तक काम चलने वाला नहीं है। वह लोग कहते हैं कि उन के पास करने को काम नहीं है। उनके हाथ हैं, वह मबूज़त हैं वह काम करने को तैयार हैं लेकिन उन के पास काम नहीं है।

इसी तरह से थोड़े से आदमी फ़रीदाबाद में हैं। आप ने फ़रीदाबाद के लोगों को ओखले में मदद दी और दिल्ली में मदद दे रहे हैं, लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करता हूं कि बावजूद इस मदद के फरीदाबाद में भी तीन हजार ऐसे आदमी हैं जिन के पास काम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप क्लेम्स को जल्द से जल्द तै करना चाहते हैं तो कितने आदमियों के क्लेम्स को आप तै कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी जायदाद के आप ने क्लेम्स लिये हैं, करोड़ों रुपये की जायदाद जो छोड़ी गई माल से भरी हुई दुकानों व मकानों का मुआवज़ा न उन को पाकिस्तान कुछ देगा न आप दे सकते हैं। तो आज क्लेम्स की यह हालत है, आप ने फ़ैसला किया है कि इस को छः महीने में किया जाये। लेकिन क्लेम्स का फ़ैसला करने पर तो किसी की जेब में पैसा नहीं आ जायेगा, रोटी आयेगी नहीं आप यह फ़रमाइये कि आप ने जायदाद की क़ीमत का वेरिफ़िकेशन (पुष्टीकरण) कहां तक कर लिया है और उस के बाद जब फ़ैसला हो जायेगा तो उस के लिये आप कितना पैसा देंगे। यह मसला गौरतलब (विचारनीय) है। सरदार हुक्म सिंह साहब नें एक रोज़ हाउस में इस के मुताल्लिक कहा था कि कम से कम आठ आने दे दिया जाये।

सरदार हुक्म सिंह : आपने तो मुखालिफ़त की थी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने मुख़ालिफ़त की थी। मैं चाहता था कि सिर्फ़ आठ ही आने सरकार न दे, ज़्यादा दे। मैं अब भी कहता हूं कि सरकार आठ आने से ज्यादा दे सके तो मैं खुश हूंगा। मैं ने यह नहीं कहा कि सरकार मुआवज़ा न दे मैं ने स्व पूछाथा कि क्लेम्स की क्या क़ीमत है। लेकिन जवाब नहीं दिया गया। अगर मिनिस्टर साहब जवाब देते तो पूछता कि उस जायदाद की क्या क़ीमत है जो इवैक्वीज (निष्क्रान्त) की है, ताकि हम देखते कि आठ आने देंगे चार आने देंगे या दो आने देंगे।

जहां तक मैं ने सुना है जो क्लेम्स आप देने वाले हैं अच्छा है कि आप इन क्लेम्स को देने में देर करते जायें। जिस दिन आप एनाउन्स (घोषणा) करेंगे कि इन क्लेम्स में आप कितना हिस्सा दे देंगे उस दिन हज़ारहा औरतें और बच्चे ज़ार ज़ार रोयेंगे क्योंकि वह जान जायेंगे कि सरकार क्या देने लगी है। इस बिल के देर से आने में एक अच्छी बात यह होगी कि उन को इस बात का अहसास (अनुभूति) देर से होगी। आप जितना पैसा देना चाहते हैं दे दीजिये, आठ आने दे दीजिये या चार आने दे दीजिये, लेकिन इस बिल में जितनी देर कर सकें कर दीजिये। क्योंकि जिस दिन आप यह अनाउंन्स करेंगे कि हम ढेढ़ आना देना चाहते हैं उस दिन उन के दिल बैठ जायेंगे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्लेम्स के देर या सवेर का सवाल नहीं है सवाल इस जवाब का है जो आप देंगे

जब इवैक्युई प्रापर्टी (निष्क्रान्त सम्पत्ति) के पूल (कोष) का ज़िक्र आता है तो उस के मुताल्लिक मुख़्तलिफ़ लोग मुख़्तलिफ़ तरीक़े से बात करते हैं और इस सवाल को मुख़्तलिफ तरीक़े से देखते हैं। मैं किसी के साथ बेइन्साफी नहीं करना चाहता। अगर आप के प्रेडिसेसर्स (पूर्वाधिकारियों) ने ऐसे ब्यान दिये

हैं जिन की वजह से यह पूल कम होता जाता है तो उस के बारे में मैं अफ़सोस ही कर सकता हूं। लेकिन जो रिफ़्यूजीज़ की शिकायत है कि सरकार की हमारे साथ हमदर्दी कम होती जाती है क्या इस में सदाक़त (सच्चाई) नहीं है ? अगर आप और देर करते जायेंगे तो जो हमदर्दी बाक़ी रह गई है वह भी और कम हो जायगी और ख़त्म हो जायगी। मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप इस सवाल को जितना जल्दी हल कर सकते हैं हल करें। क्लेम्स में आप देर कर दें लेकिन इस सवाल को हल करें कि कितना पैसा देना चाहते हैं, सरकार का कंट्रीब्यूशन (अंशदान) क्या होगा । इस सवाल के हल होने से उन के दिल को तसल्ली हो जायेगी आप बिल में देर कर लें पर इस सवाल को तै कर दीजिये।

मेरे पास रिफ़्यूजीज़ आते हैं और मुझ से पूछते रहते हैं कि क्या हम क्लेम्स दाख़िल करें ? क्या इन क्लेम्स का हमको कुछ मिलेगा ? मैं हरगिज़ उन को ऐसा जवाब नहीं दे सकता जिस से कि उनको तसल्ली हो। मैं समझता हूं कि आनरेबुल मिनिस्टर साहब, को मेरे मुक़ाबले उन से ज़्यादा हमदर्दी होगी पर मुझे पता नहीं कि आया वह भी इस सवाल का तसल्लीबख़्श (संतोषजनक) जवाब दे सकते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज आप कोई तसल्लीबख़्श जवाब दे दें जो कि मैं जा कर उन से कह दूं कि क्लेम्स में अभी कुछ देर तो है मगर तुम को इतना पैसा मिल जायेगा। आप बिल को पास कर दीजिये मगर मेरी दरख़्वास्त है कि आप कोई ऐसा जव दें कि जिस से उनको तसल्ली हो।

एक और बात है जिस की तरफ़ ज्ञानी गुरमुख सिंह साहब ने तवज्जह दिलाई है। आप न मेहरबानी करके स्टेट सरकारों से यह कह दिया है उन के कर्ज़े, जिन के क्लेम्स हैं, वह उन क्लेम्स में ऐडजस्ट (समायोजित) कर दिये जायें। मैं अर्ज़ करना चाहता कि कल जो ज्ञानी साहब को जवाब दिया गया उस में फ़ोर्स (बल) है लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्या इस चीज़ में फ़ोर्स नहीं है कि एक शख़्स जिस को आप ने कर्ज़ दिया है और वह कहता है कि जो क्लेम्स मेरा सरकार के पास है उस क्लेम्स के ख़िलाफ़ मेरे कर्ज़ को ऐडजस्ट कर दिया जाय। इस में कोई बेंजा (अनुचित) बात नहीं है। हम बराबर देखते आये हैं सिविल प्रोसीजर कोड (व्यवहार प्रणाली संहिता) में और दूसरे कानूनों में कि कर्जा इस तरह क्लेम के ख़िलाफ़ ऐडजस्ट हो जाता है । आप इस को रिऐडजस्ट (पुनसमायोजित) करने में क्यों दिक़्क़त महसूस करते हैं। महज़ इस वजह से कि सरकार देर पर देर लगा रही है वह क्यों न अपनी चीज़ को इस्तेमाल करे।

आनरेबुल मिनिस्टर साहब शिकायत करते हैं कि लोगों ने क्लेम्स नहीं दिये। मैं उन को याद दिला सकता हूं कि पेश्तर भी उन्होंने क्लेम्स दिये थे करोड़ों रुपये के, लेकिन उन का कुछ नहीं हुआ। यह हो सकता है कि वह एग्जेजरेटेड (अतिशयोक्तिपूर्ण) थे और अनरियल (अवास्तविक) थे लेकिन जिस तरह आप ने आज एनाउन्स किया कि कौन क्लेम रियल (सच) है और कौन अन-रियल (झूंठ) है यह चीज़ आप उस वक्त भी तो कर सकते थे यह फ़ैसला चार साल पहले भी तो हो सकता था, तो मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस देरी के लिये क़सूरवार (दोषी) कौन है। इस में हालात का क़ुसूर है, लेकिन कम से कम रिफ़्यूजीज़ का तो कोई क़ुसूर नहीं है। इस वास्ते मैं अदब से अर्ज कर देना चाहता हूं कि जब हाउस इस बिल को पास करे तो हाउस का यह फ़र्ज़ है कि रिफ़्यूजीज़ के मामले की तरफ़ सरकार की ज़ोर से तवज्जह दिलाये कि जहां तक उनके क्लेम्स का सवाल है उस को तै करने में देर चाहे हो जाये पर सब से

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पहले यह एनाउंस कर दिया जाय कि कितना कितना एमाउंट (राशि) दिया जायेगा। इसका हमको जवाब मिलना चाहिये।

इन अलफ़ाज़ (शब्दों) के साथ मैं बज़ोर इस बिल की ताईद (समर्थन) करता हूं कि फौरन इस बिल को पास कर दिया जाय।

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्यों को अवसर मिलेगा। एक विधेयक में तब तक वक्ताओं की संख्या अथवा उन के समय के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता जब तक सदन किसी विशेष अवसर पर इस बात को अनुभव नहीं करता कि उस बात पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। फिर भी सभापति को इस बात के देखने का पूरा अधिकार है कि पर्याप्त चर्चा हो चुकी है अथवा नहीं। मैं सभी माननीय सदस्यों को बारी बारी से बोलने का अवसर दूंगा।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रपति के भाषण पर भी इस विषय में संशोधन दिया था और उस समय अवसर न मिलने के कारण आज इस बिल के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करता हूं।

शरणार्थी, जिस को उत्पीड़ित अथवा उत्थापित के नाम से आज पुकारा जा रहा है, दुर्भाग्यवश उस को किसी ने शरण दी नहीं किन्तु शरणार्थी नाम रख दिया। मुझे भारतीय जनता के प्रति किसी प्रकार का भी उपालम्भ नहीं है क्योंकि मुझे स्मरण है कि जिस वक्त खुरजा स्टेशन पर शरणार्थियों से भरी हुई रेल गाड़ियां आती थीं उस वक्त यहां की जनता शाक और पूड़ी लोगों को खिलाती थी। लोग यह पदार्थ बैलगाड़ियों पर लाद लाद कर वहां ला रहे थे। मैं उसी स्टेशन पर एक तरफ घूम रहा था। किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा। कोई पहचान नहीं सकता था कि यह भी शरणार्थी हो सकता है।

मैं बताता हूं कि मैं पेशावर के पश्चिम में स्थित एक ऐसे स्थान से आ रहा हूं, जो भारत के एक दूर कोने में है।

मैं हिन्दी में इसलिये बोल रहा हूं कि मैंने पहले कहा था कि यह भारतीय संसद् है और मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना पहला भाषण हिन्दी में ही दिया।

एक माननीय सदस्य : आप को तो संस्कृत में बोलना चाहिये।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं संस्कृत में भी बोलूंगा और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो पश्तो में भी बोलूंगा। मैं पश्तो से ले कर गुजरात तक की, और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की बहुत सी भाषाओं को जानता हूं।

तो मैं वहां एक शरणार्थी होने के नाते चुप बैठा हुआ था। कुछ लोगों ने मेरी तरफ़ देखा और कहने लगे कि आप की आंखों में आंसू क्यों आ गये। मैं ने कहा आप आज इन लोगों को पूड़ी खिला रहे हो, इनका इतना बड़ा स्वागत कर रहे हो, लेकिन स्मरण रहे कि यह तुम्हारे घर में मेहमान नहीं हैं। यह लौट कर अपने घर जाने वाले नहीं हैं। यह वह अभागे हैं जिन को यहीं रहना है। आप ऐसा प्रबन्ध करें कि यह लोग सूखी रोटी भी जीवन भर खा सकें। इन को पूड़ी मत खिलाइये। मैं कहता हूं कि अगर उन लोगों ने अपना नाम बदल दिया होता और अपने धर्म के थोड़े से चिन्हों को छोड़ दिया होता तो वह वहां पर बैठे रहते और शरणार्थी नहीं बनते। और न यह नौबत आती कि उनके बाल बच्चे काटे जाते। वह लोग यहां आये। पहले पहल तो जनता की उन के प्रति बड़ी सहानुभति थी। जनता थोड़ी बहुत सहायता करती रही, लेकिन फिर जब

देखा कि यह तो ६०, ७० लाख आये हैं और एक एक शहर में पचास पचास हजार या एक-एक- दो-दो लाख बस गये हैं और उन लोगों की वजह से हमारे व्यापार में भी विघ्न पड़ रहा है तो उन्होंने सोचा कि चैरिटी बिगिन्स ऐट होम (अन्धा बांटे रेवड़ी फिर फिर अपनों को दे)। उन्होंने देखा यह तो हमारा ही भोजन ले रहे हैं। दुर्भाग्य से यहां आप का एक रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट (पुनर्वास विभाग) बना और उस ने काम बहुत किया। किन्तु आज तक शरणार्थियों को यह विश्वास नहीं हुआ कि रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में जाकर कोई शरणार्थी एक कौड़ी का भी लाभ उठा सकता है। कहा जाता है कि करोड़ों रुपया शरणार्थियों पर खर्च हो रहा है और हो चुका है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो खर्च शरणार्थियों पर किया गया उसमें से कितनी कौड़ियां उन की जेब में गई हैं। अधिकतर शरणार्थी जो कि दरिद्र हैं और जो वस्तुतः सहायता के अधिकारी हैं वह इन कार्यालयों तक पहुंचने की भी हिम्मत नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में उनके लिये इस से क्या लाभ हुआ।

कहा जाता है कि अप्रैल १९५० से यहां क्लेम (दावे) आने आरम्भ हुए। मेरा यह दावा है कि इस से पूर्व भी क्लेम दिये गये थे लेकिन उन क्लेम्स को रद्दी की टोकरी में ही नहीं फेंका गया बल्कि उनको बांध कर न जाने कौन से पाताल में भेज दिया गया कि आज उनका पता भी नहीं चलता। अस्तु, शरणार्थियों को क्लेम्स के सम्बन्ध में कोई विश्वास नहीं है। मैं अपने सहयोगी श्री ठाकुरदास भार्गव जी का अनुमोदन करता हूं कि आज तक किसी शरणार्थी को यह विश्वास नहीं है कि उस को चार फूटी कौड़ी भी मिलेंगी या नहीं। इस से बढ़ कर शरणार्थियों का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि लाखों के वेतन भोगी लोगों को बारबार एक्सटेंशन (सेवाकाल में वृद्धि) दिया जाता है और कहा यह जाता है कि यह सारा खर्चा शरणार्थी विभाग पर किया जा रहा है।

खर्चा तो गवर्नमेंट मशीनरी पर होता है, गवर्नमेंट प्लानिंग सरकारी योजना पर होता है और कहा जाता है कि खर्चा शरणार्थियों पर हो रहा है, शरणार्थी विभाग पर इतना खर्चा हो गया। इसलिये मेरा यह कहना है कि शरणार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये।

जैसा हमारे सरदार श्री गुरमुख सिंह जी मुसाफ़िर ने कहा मैं एक बात कह देना चाहता हूं। पश्चिमी पंजाब से आये हुए शरणार्थियों को जो कृषि सम्पत्ति दी गई उन को तो पूर्वी पंजाब में दे दी गई। किन्तु फ्रेंटियर (सीमा-प्रान्त), सिन्ध और बलूचिस्तान के लोगों को कहां फेंका जा रहा है, इस का कुछ पता नहीं। किस किस प्रकार के जंगल उनको आबाद करने के लिये दिये जाते हैं। चार यहां पर फेंक दिये गये तो चार को जबलपुर में भेज दिया गया और चार को और कहीं पर। इस तरह दिल्ली के आस पास उन को बसाने का जो विचार किया गया था आज उस का कहीं भी पता नहीं चलता। इस के अतिरिक्त यहां की हालत देखिये। आप को अभी ७० मकान गिराये जाने की खबर मिली है। यमुना तट पर आज भी रिफ़्यूजी डिपार्टमेंट की तरफ़ से शामियाना लगा हुआ है जहां पर वह लोग पड़े हुए हैं जिनकी कुटियायें बिल्कुल जल कर राख हो गई और वह बेचारे आज शामियाने में पड़े हैं। किसी वक्त उस सड़क पर मोटर और तांगे आते थे, उसी सड़क पर वहां अब उन के लिये गवर्नमेंट की तरफ़ से शामियाना लगा हुआ है और अब उस सड़क पर ट्रैफ़िक बन्द है और वह शामियाना आज तक नहीं उठाया जा सका और न उन के लिये कोई और प्रबन्ध किया जा सका।

इसी तरह हरिद्वार के अन्दर, जहां कि धर्मशालाओं में कुछ शरणार्थी ठहरे हुए थे

[श्री नन्द लाल शर्मा]

आज उनको नोटिस दिये जा रहे हैं। यह मेरे सामने की बात है कि जब कलैक्टर की तरफ़ से आर्डर आये कि "within fifteen days you shall have to vacate or you will be removed by force" (पन्द्रह दिन के अन्दर तुम्हें यह जगह खाली करनी पड़ेगी नहीं तो बल से हटाया जायेगा)। तुम को डंडे के बल से यहां से हटाया जायेगा, हरिद्वार से निकाल दिये जाओगे। अब वह बेचारे पूछते हैं कि हम जायें कहां? उन से कहा जाता है कि यहां से दो मील दूर, तीन मील दूर, तुम्हारे लिये झोंपड़ियां बना दी गई हैं, वहां चले जाओ। यहां पर उस बेचारे की दूकान है जिस के द्वारा उस ने मश्किल से अपने भोजन का प्रबन्ध किया है। वह कहते हैं कि तुम भूखे मरो, चाहे जीओ चाहे मरो, लेकिन यहां से हट जाओ।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आज तक उन लोगों का प्रबन्ध किये बिना यहां एक्सटैंशन पर एक्सटैंशन मांगा जा रहा है। हम चीज़ का विरोध नहीं करते कि काम पूरा नहीं करना चाहिये। सात लाख क्लेम्स हुए और दो लाख-ढाई लाख क्लेम्स और हो जायेंगे। फिर गवर्नमेंट और भी क्लेम्स इनवाइट (मांगेगी) करेगी कि तुम दस बीस लाख क्लेम्स और दे दो। लेकिन क्लेम्स जहां से देने हैं उन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। अगर गवर्नमेंट को यह प्राबलम (समस्या) हल करनी होती तो उसके पास जो सम्पत्ति यहां पर विद्यमान है उस सम्पत्ति पर पहला अधिकार शरणार्थियों को देती कि यह सम्पत्ति तुम्हारे अधिकार की है, इस पर पहला क्लेम तुम्हारा होगा। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का इस बारे में सम्बन्ध है उस ने इस विषय में कभी नहीं कहा और वह कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस सम्पत्ति में से तुम को दिया जायगा। छतरीवाला केस के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया और पिछले कस्टोडियन जनरल (महा अभिरक्षक) को जिस बात पर त्यागपत्र देना पड़ा शरणार्थियों के हृदय पर वह बात लिखी हुई है। शरणार्थी भली प्रकार जानते हैं कि छतरीवाला केस के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ और वह जानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या न्याय होने वाला है। वह यह भी जानते हैं कि उन के यहां से चले जाने के लिये भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह अपने आप को भारत के निवासी समझ कर यहां आये थे। वह यह समझ कर नहीं आये थे कि हम को एक विदेशी समझ कर वह व्यवहार किया जायेगा जो एक दूसरे देश के साथ, शत्रु देश के निवासी के साथ किया जाता है। परन्तु अपने देश में आने पर भी उन को अपने देश का न समझ कर अन्य देश वाला समझा गया और सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि जो कांग्रेस के वहां प्रैसीडेंट थे वह लोग यहां आये और उन लोगों तक को नहीं पूछा गया। बाद में वहां से आने वाले लोगों को पाकिस्तानी मुसलमानों ने रिकमैंड (सिपारिश) किया कि अरे तुम नहीं जानते हो यह लोग कौन हैं? यह वहां इतने बड़े आदमी थे तो उन के कहने को तो भले ही मान लिया, लेकिन शरणार्थियों के कहने को नहीं माना। मुझे मिनिस्टर साहब क्षमा करेंगे जब मैं यह कहता हूं कि उनके आफ़िसेज में बैठे हुए कई व्यक्तियों को मैं जानता हूं जो बाहर तो हैट लगाया करते हैं लेकिन जब हमारे प्रधान मंत्री के सम्मुख आते हैं तो सिर पर कांग्रेस की टोपी लगा लेते हैं और बतलाते हैं कि हम तो पक्के कांग्रेसी हैं। ऐसे व्यक्तियों को लाखों रुपये की सहायता मिल सकती है, परन्तु वस्तुतः जो शरणार्थी हैं, जो सहायता के योग्य हैं उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती।

मेरा यह कहना है कि अभी जो सरकार इस काम को कर रही है भले ही आवश्यक कार्य है। लेकिन उसके लिये बराबर निरन्तर समय बढ़ाते रहने से जो अश्रद्धा और अविश्वास

की भावना उत्पन्न होगी उस को हटाना चाहिये। जैसा श्री चटर्जी ने कहा, छः मास का विचार बिल्कुल उपयुक्त है। छः मास के बाद भी यह निर्णय करना है कि कुछ देना है या नहीं। अभी तो क्लेम्स तसदीक़ होंगे, उस के बाद क्या देना है इस का निर्णय होगा। इसलिये मेरा आप लोगों से, सारे हाउस से यह निवेदन है कि इस काम को जल्दी करें। अभी तो हम रिहैबिलिटेशन के बारे में सुन रहे हैं। एक बात यह है कि जो मकान पहले क़िस्तों पर मिला करते थे उन को भी रोक लिया है। कहते हैं कि अब जो पूरी रक़म देंगे उन को ही बेचे जावेंगे अब बताइये कि क्या शरणार्थियों ने इस बीच में लाखों करोड़ों रुपये कमा लिये हैं जिस से कि वह पूरी रक़म देने के योग्य हो गये हैं जिस से उन को इन्स्टालमैंट (किस्त) से मकान मिलना बन्द हो गया। इसलिये मेरा रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर से यह नम्र निवेदन है, हो सकता है मेरे शब्द कुछ दर्द से भरे हों, ...

श्री ए० पी० जैन : आप के शब्द गलत भी हैं।

श्री नन्द लाल शर्मा : हो सकता है गलत भी हों, क्योंकि आप सामने कह रहे हैं कि गलत है। लेकिन मैं जिन जिन बातों को अपनी आंखों से देखता हूं उन के बारे में क्या कहूं। मैं ने यह नहीं कहा कि मैं ने अख़बारी दुनिया से पढ़ कर कोई बातें कही हैं। अगर मैं यमुना तट की बात करता हूं, हरिद्वार की बात कहता हूं तो यह मेरी बातें आंखों देखी हुई हैं। फिर भी क्योंकि मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि मेरे शब्द गलत हैं तो मैं उन के आगे मंजूर करता हूं। किन्तु निवेदन है कि वह इस एक्सटैंशन को जितना कम कर सकें उतना कम करने का प्रयत्न करें और अपने कार्य को जितनी अधिक शीघ्रता से समाप्त कर सकें वह करें और केवल गवर्नमेंट मशीनरी बना कर एक निर्जीव, निष्पूरण और निहृदय भावना से मैकेनिकल फोर्स (यांत्रिक शक्ति) से काम न करें। मनुष्य को मनुष्य की भावना से समझ कर काम करेंगे तो यह सारा डिपार्टमेंट बदल जायगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए पुनर्वास मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह इधर के पक्ष का यह सुझाव स्वीकार करें कि यदि वह उद्देश्य तथा कारणों के विवरण के अनुसार काम करना चाहते हैं तो उन्हें प्रस्तुत किये गये सभी संशोधन, विशेषतः लाला अचिंत राम का संशोधन, स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं इस बात पर इसलिये ज़ोर दे रहा हूं क्योंकि मैं बंगाल का रहने वाला हूं जहां हमें इस शरणार्थी समस्या का अर्थात् इन के पुनर्वास का निकटतम परिचय है। हमें मालूम है कि पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों ने चरित्रदृढ़ता, साहस, निश्चय तथा आत्म सहायता का कितना ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया है, और इस के उदाहरण हमें दिल्ली में भी मिल सकते हैं। इस में ज़रा भी सन्देह नहीं कि शरणार्थियों ने किस प्रकार विपत्तियां झेली हैं अथवा उन्हों ने पुनर्वास के लिये स्वयं कितने प्रयत्न किये हैं। जहां तक शरणार्थियों को सरकार द्वारा सहायता दिये जाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि माननीय पुनर्वास मंत्री को सहायता की भावना से इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये ताकि एक वर्ष तक बढ़ाने के स्थान पर इस विधेयक को छः महीने तक ही बढ़ाया जाय।

स्वयं माननीय मंत्री द्वारा उक्त विवरण में कही गई बात की ओर मैं उन का ध्यान आकर्षित करूंगा। वह कहते हैं कि इस अधिनियम के कार्यान्वित होने में शरणार्थियों ने ही देर करा दी क्योंकि प्रायः उन्हें क़ानून की पेचीदिगियां मालूम नहीं थीं, अतः उन्हों ने देर से आवेदन पत्र दिये। उन्हों ने

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

यह भी कहा कि चूंकि उन के कार्यालय में कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या थी, इसलिये भी देर हुई । और वह यह भी कहते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान की स्थिति इतनी पेचीदा थी कि दावे प्रमाणित नहीं हो सके । इन सब बातों के बावजूद भी उन्हों ने, जैसा वह स्वयं कहते हैं, दो तिहाई से अधिक दावे निपटा दिये हैं । यही कारण है कि वह इस काम को चार ही महीनों में पूरा करने का दावा करते हैं । मैं अब यह कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री इन चार महीनों में शरणार्थियों के मानसिक असन्तोष को दूर कर सकते हैं और यह काम पूरा कर सकते हैं तो इस अधिनियम को एक वर्ष तक बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है ।

सत्य तो यह है कि नौकरशाही शासन के सम्बन्ध में हमारा इस प्रकार का अनुभव है कि यदि एक बार भी किसी अधिनियम की अवधि बढ़ा दी जाती है तो बाद में उस में और भी वृद्धि होती रहेगी, जिस के परिणामस्वरूप काम को पूरा किये जाने में उपेक्षा होगी । कई माननीय सदस्य इस बात को स्पष्ट भी कर चुके हैं कि यदि यह अधिनियम एक वर्ष तक बढ़ाया गया तो इस से शरणार्थियों की बड़ी दुर्गति होगी और स्थिति भी बहुत ही अवांछनीय हो जायेगी । माननीय पुनर्वास मंत्री ने इतनी सारी बातें कहीं और अपने उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में इस बात का स्पष्टीकरण भी किया कि दो तिहाई से अधिक दावे प्रमाणित हो चुके हैं, तो अब मैं उन्हें यह सुझाव दूंगा कि वह लाला अचित राम का संशोधन स्वीकार कर लें ।

लाला अचित राम (हिसार) : श्रीमान्, मैं ने यह अमेंडमेंट (संशोधन) दिया था और मुझे अफसोस है कि मैं उस वक्त यहां बैठा हुआ नहीं था । मैं ने दिल में ख्याल किया कि आया इस बिल का स्वागत करूं या अस्वागत करूं । सच बात यह है कि मैं इस बिल का स्वागत भी करता हूं और अस्वागत भी करता हूं ।

आप पूछेंगे कैसे ? स्वागत इस वास्ते करता हूं कि इस बिल को हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब ने पेश किया है जिन के लिये मेरे दिल में बड़ी इज्ज़त है । जब उन्हों ने पहले शासन हाथ में लिया उस वक्त नावाकिफ थे लेकिन जिस वक्त से काम शुरू किया है तब से रिफ्यूजीज़ के इंटरेस्ट (हित) में जिस मेहनत और जांफिशानी (लगन) से काम करते रहे हैं और किया है उस से मुझे दिल में यकीन हो गया है कि जो यह काम करेंगे वह उन के इंटरेस्ट में करेंगे और जो काम यह करें उस के लिये मेरे दिल में इज्ज़त है और यह चीज़ मुझे मजबूर करती है कि मैं इस बिल का स्वागत करूं ।

अस्वागत क्यों करता हूं वह इस वजह से कि जो बेगुनाह होते हैं उन पर भी बाज चीज़ें थोपी जाती हैं । मैं ने सुना है कि शहर दिल्ली के अन्दर ७० मकान उखाड़े गये और इस से बड़ी तकलीफ हुई । मैं चाहता था कि यह मकान न उखाड़े जायें लेकिन उस वक्त मैं मौजूद था और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की हुकूमत ने निहायत हमदर्दी से काम लिया । यह कहा गया है कि ७० एक ही जगह जायेंगे और मैं ने उस वक्त दिल्ली की हुकूमत से दरख्वास्त की कि आप इन की बातें मान लीजिये और उन्हों ने ७० के ७० को सब के सब को, इकट्ठे जगह दे दी । मैं जानता हूं कि जो अच्छी बात हो उस पर भी गिला किया जाये तो मुनासिब न होगा और अन्याय होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछ सकता

हूं कि उन के पास क्या कोई जवाब यह बताने का है कि ७० मकान बिला कमेटी के इजाज़त के क्यों गिराये गये । क्या वह मकानात एक लाख से कम कीमत के थे ? क्या तीन महीने का नोटिस जो ऐश्योरेंस (आश्वासन) की रू से ज़रूरी था दिया गया ?

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : हमदर्दी से गिराये गये हैं ।

लाल अचित राम : पंडित जी ने फ़रमाया है कि क्यों मकान गिराये । मैं आप की बड़ी इज्ज़त करता हूं । उन आदमियों को आलटरनेटिव एकोमोडेशन (और कोई जगह) दी गई है । जिन आदमियों के मकानात १५ अगस्त, १९५० के बाद के बने थे उन को भी मकान दिया गया है । पहले तजवीज़ थी कि उन को जगह दी जाय और ५०० रुपये दिये जायें जिस में वह मकान बना लें । यह मांग आज हमारी चल रही है कि उन को मकानों का मालिक बना दें, हम मिनिस्ट्री (मंत्रालय) से कह रहे हैं, गवर्नमेंट से कह रहे हैं । लेकिन उन को आल्टर-नेटिव मकान दिया गया —बना बनाया । जहां तक मकानों को देने का सवाल है मैं गवर्नमेंट को एक्यूज़ (दोषी) नहीं कर सकता ।

अब मैं इस बात की तरफ़ आता हुं कि मैं इस बिल का अस्वागत क्यों करता हूं । उस की ज़रा हिस्ट्री (इतिहास) बता दूं । जब यह बिल दो वर्ष पहले पेश हुआ तो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (विस्थापित व्यक्ति) की तरफ़ से यह आम डिमांड (मांग) थी कि हमें कम्पेनसेशन (क्षतिपूर्ति) दिया जाय, चारों तरफ़ से इस बात का मुतालिबा (मांग) था और इस मुतालिबे को पूरा करने के लिये यह बिल लाया गया । लोगों को बड़ी ख़ुशी हुई कि गवर्नमेंट हमारे क्लेम्स का वेरिफिकेशन (जांच पड़ताल) करने जा रही है लेकिन जब वह बिल पेश हुआ तो उस से लोगों को मायूसी हुई । जब यह बिल पेश हुआ था उस वक्त रिफ्यूजीज़ को आये तीन वर्ष हो गये थे और वह इस इन्तज़ार में थे कि कब उन को कम्पेनसेशन मिलता है । जब यह बिल पेश हुआ तो उस में यह प्राविज़न (उपबंध) था कि दो वर्ष की मियाद (अवधि) दी जाय । लोगों को अफ़सोस हुआ कि तीन वर्ष तो गुज़र गये हैं और दो वर्ष इस में लग जायेंगे । हम ने कहा कि फिक्र न कीजिये, हम अमेंडमेंट लायेंगे, तरमीम (संशोधन) लायेंगे । लिहाज़ा जब यह चीज़ यहां पेश हुई तो मोहन लाल सक्सेना जी यहां थे । मैं ने उन के साथ बात चीत की कि आप दो वर्ष क्यों रखते हैं ? एक वर्ष के अन्दर खत्म कर दिया जाये, तीन वर्ष तो यों ही हो गये हैं और अब इन लोगों के पास कुछ नहीं है । मोहन लाल सक्सेना साहब ने बड़ी हमदर्दी दिखाई और कहा कि मुझे एक साल मंजूर है लेकिन दूसरे दिन जब उन्हों ने सेक्रेटैरियेट (सचिवालय) से बातचीत की तो उस ने कहा कि दो साल से कम में काम खत्म नहीं हो सकता । इस पर उन्हों ने पार्लियामेंट में कहा कि मेरी मजबूरी है लेकिन दो साल में सब ख़त्म हो जायेगा । इस पर श्री जमपत राय कपूर ने अमेंडमेंट पेश किया कि दो साल के बजाय एक साल कर दिया जाय । इस पर काफ़ी बहस हुई और यह तमाम दलायल (तर्क) जो आज अब दिये जा रहे हैं वह उस वक़्त दिये गये लेकिन बदक़िस्मती यह हुई कि उस वक़्त मोहन लाल सक्सेना साहब ने हमारी इस चीज़ को मंज़ूर नहीं किया और आख़िरकार दो साल की लिमिट (अवधि) पास हो गई । ज्यों ही वह बिल पास हुआ जिस में दो साल की लिमिट थी, उस के पास होते ही देश भर में निराशा फैल गई । उन के दिल के अन्दर जो आशा थी

[बाबू रामनारायण सिंह]

वह टूट गई और इस का सबूत क्या है ? सबूत यह देखिये कि इस बिल में, जो कि पेश किया गया है लिखा है : "इस अवधि में ही इस कार्य समाप्त नहीं किया जा सकता है।"

कारण क्या है : "आरम्भ में चूंकि विस्थापित व्यक्तियों ने दावे दायर करने में सुस्ती की, अतः दावे लेने की तिथि को बढ़ाना पड़ा।" अब सवाल यह पैदा होता है कि यह क्यों हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्यों ही यह बिल पास हुआ उस का बहुत बुरा असर हुआ। उन्हों ने कहा कि हम दो साल क्या करेंगे और नतीजा यह हुआ कि उन्हों ने कहा कि क्लेम देना बेकार है। खामख्वाह, वक्त ज़ाया करना होगा। यह चीज़ मिनिस्ट्री के सामने आई और मिनिस्टर साहब ने और हम ने अपीलें कीं डिस्प्लेस्ड परसन्स (विस्थापित व्यक्तियों) से कि आप फिक्र न कीजिये, गवर्नमेंट आप को मौक़ा देना चाहती है और अगर आप के क्लेम ही नहीं आयेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी। बहरहाल हम ने दो तीन महीने तक बहुत अपील की। लोगों की मायूसी कम हुई और लोगों ने अपने क्लेम पेश करना शुरू किया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरा ख्याल था कि आप का वैरिफिकेशन (पड़ताल) का काम और जल्दी खत्म हो जायेगा लेकिन वह अभी भी बाक़ी है।

जहां मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब की इतनी तारीफ़ करता हूं और इज्ज़त करता हूं वहां मैं उन से इख्तिलाफ़ (विरोध) भी करता हूं। आप यह दलील फ़रमाते हैं कि यह जो वेरिफिकेशन का काम नहीं हो सका उसका कारण यह है कि इतने क्वालीफ़ाइड आफ़िसर (योग्य अधिकारी) नहीं मिल सके। बदक़िस्मती से मैं आप की इस बात को क़बूल नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि मुल्क के अन्दर तीन सौ क्या छः सौ अफ़सर मिलना मुश्किल नहीं हैं और न था। मैं यह समझ नहीं सकता कि जब रुपया आप के पास है तो अफ़सरों को रखने में क्या कठिनाई है। मैं ने यह भी कहा था कि रुपया गवर्नमेंट खुद न दे बल्कि रिफ्यूजीज़ को जो कम्पेनसेशन (प्रतिकर) देना है उस में से काट लिया जाय। क्या क्लेम्स का वेरिफ़िकेशन इतना मुश्किल है कि जिस के लिये तीन सौ आदमी देश में नहीं मिल सकते ? मान लीजिये क्वालिफ़ाइड आदमी नहीं हैं तो इतने आई० ए० एस० हैं, डिप्टी कलक्टर हैं, इन को तीन महीने की ट्रेनिंग दे कर या ६ महीने की ट्रेनिंग दे कर काम हो सकता था। आप का तजुर्बा ज़्यादा है और आप को ज्यादा हमदर्दी है लेकिन इस मामले में मुझे क़तई यकीन नहीं है कि यह काम जल्दी नहीं हो सकता था। यह काम जल्दी हो सकता था। दूसरी बात यह है कि जब आप एक दफ़ा दो साल की लिमिट दे देते हैं तो फिर यह काम दो साल के अन्दर खत्म होने का नहीं, इसी तरह आप ने एक दफा एक साल लिख दिया तो फिर एक साल के अन्दर खत्म होने का नहीं है। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है लेकिन जब आप फ़रमाते हैं कि चार महीने में खत्म कर लेंगे तो उस को रखिये। इस क्वत कहीं आप ने एक साल पास कर दिया तो फिर वही निराशा फैल जायेगी और बजाय इस के कि आप उन को यह भरोसा देने वाले हैं कि सरकार हर संभव कार्य कर रही है उनको मायूसी होगी। हम लोग दरख्वास्त करते थे कि मायूस न हो, वज़ीर साहब और

गवर्नमेंट आप के लिये सब कुछ काम कर रही है और बड़ी मुश्किल से समझा पाये और इस में दो तीन महीने लग गये। अगर आप ने फिर एक साल पास कर दिया तो फिर एक मुश्किल सी बात होगी, एक बड़ा डिजैक्शन हो जायेगा। तीन साल पहले उन को आये हुए हो गये, दो साल आप ने और ले लिया, एक साल फिर से लिया तो इस तरह छः साल हो जायेंगे। मैं तो समझता हूं कि छः साल अधिक हैं।

हम को ऐसी बात करनी चाहिये जिस से लोगों को फ़ायदा हो और उन को मायूसी न हो। फर्ज़ कीजिये हमारे मिनिस्टर साहब कह सकते हैं कि यह काम चार महीने, ६ महीने और आठ महीने में खत्म हो जायेगा। मिसाल के तौर पर कि आप को कामयाबी हो जाती है चार महीने या पांच महीने बाद तो आप इस बारे में आर्डिनेंस (अध्यादेश) निकाल सकते हैं। प्रेज़ीडेंट (राष्ट्रपति) साहब आर्डिनेंस निकाल सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वह हल नहीं हो सकती। मगर आप ने इस को पास कर दिया और आप को इस में कामयाबी हो गई तो इस से उन हज़ारों लाखों आदमियों को जो कि अरबों और करोड़ों रुपयों की जायदाद छोड़ कर आये हैं, बहुत मायूसी होगी। मैं मानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने इस को हल करने की बड़ी कोशिश की है और कर रही है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि हम ऐसा काम क्यों करें जिस से कि शरणार्थी भाइयों को नुक्सान हो। आखिरकार अब तक गवर्नमेंट करती आई है और कर रही है। इस काम के लिये गवर्नमेंट ने डेढ़ करोड़ रुपया खर्च किया और ३० करोड़ के क़रीब लोगों को कर्जा दिया। आखिरकार यह ५५ रुपया फ़ी आदमी पड़ा। इस रुपये को बढ़ाने के लिये उधार लेने में कोई हर्ज़ा नहीं है। मैं आप से फिर कहता हूं कि आप ऐसा काम करें जिस से शरणार्थियों को नुक्सान न हो। अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो मैं चाहूंगा कि यह बिल पास हो जाये और मेरा जो अमेंडमेंट है उस को मैं पेश नहीं करूंगा। आप अच्छा काम करें और जो अभागे लोग हमारे इस देश में आ गये हैं उन को आप के कार्यों से फ़ायदा पहुंचे।

पंडित ए० आर शास्त्री (ज़िला आजमगढ़ – पूर्व तथा ज़िला बलिया—पश्चिम) : मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपना नम्र निवेदन माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मेरे हृदय में उन के लिये प्यार की भावना है। मेरे भाई अचिन्त राम जी के दिल में उन के लिये इज्जत है मेरे दिल में प्यार है।

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : प्यार नहीं.....

सभापति महोदय : बात सीधी सी है कि समय छै महीने हो अथवा एक वर्ष। लोग प्रायः यही चाहते हैं कि इस को जारी रखा जाय, किन्तु प्रश्न समय के सम्बन्ध में है। इस बात में अधिक विरोध नहीं किन्तु माननीय सदस्य यह बात ध्यान में रखने की कृपा करें कि, और भी बहुतेरे काम करने हैं।

बाबू रामनारायण सिंह : यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है।

पंडित ए० आर० शास्त्री : मैं ने हिन्दी में कहा। मैं ऐसी नन्हीं वस्तु पर बोलने के लिये इसलिये खड़ा हुआ हूं कि मैं भी अपने को उसी तरह विस्थापित समझता हूं जिस तरह हमारे लाखों भाई, जो यहां इस देश में पश्चिमी पंजाब से आये हैं, अपने को समझते हैं। लाला लाजपत राय जी के लोक सेवक मंडल का जिस के अध्यक्ष राजर्षि टंडनजी हैं, मैं आजीवन सदस्य हूं

[पंडित ए० आर० शास्त्री]

और उस का उपाध्यक्ष भी। मुझे यह कहने में प्रसन्नता और गर्व होता है कि इस नन्हे मंडल के आजीवन सदस्यों में माननीय मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो रेलवे मंत्री हैं, पंडित लिंगराज, श्री अचिंत राम जी, श्री हरिहर नाथ शास्त्री, बलवंत राय मेहता और श्री पुरुषोत्तम दास टंडन आजीवन सदस्य और अध्यक्ष भी हैं। उस मंडल का हैडक्वाटर (केन्द्रस्थान) लाहौर में था मगर आज वह वहां पर नहीं है। स्वर्गीय लाला जी की मूर्ति आज वहां नहीं है। आज लाला जी हाल भी नहीं दिखाई देता है। इन सब बातों को देख कर दिल तड़पता है। जब कभी ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तो हमारे मंत्रिमंडल को और सरकार को बहुत सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिये। जिस सहानुभूति के साथ सूरदास ने कृष्ण के वियोग में तड़पती हुई गोपियों का वर्णन किया। जब तक आंख बन्द कर के शान्ति-पूर्वक और सहृदयता के साथ इन प्रश्नों का विचार नहीं किया जाता तब तक यह हल नहीं हो सकते। जब कभी यह प्रश्न उपस्थित किया जाता है तब कुछ झगड़े बढ़ाने की बात का दोष या विशषकर उन प्रश्नों को कम्युनल (साम्प्रदायिक) भावों को भड़काने वाला बताया जाता है, तो इस से उलझन पैदा हो जाती है।

श्रीमान् जी, मैं आप के सामने यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो नहीं जानता कि जो ७० मकान गिराये गये हैं और जिन का जिक्र यहां पर हमारे मित्र ठाकुर दास भार्गव जी ने बहुत खेद के साथ किया, मैं उस परिस्थिति से पूरी तरह से परिचित नहीं हूं किन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि वह मकान क्यों गिराये गये। यह एक स्वाभाविक बात थी कि जिन ७० परिवारों के आदमी वहां पर एक साथ रहते थे वह एक ही साथ बसना चाहते थे क्योंकि वह एक साथही पश्चिमी पंजाब से आये थे। उन परिवारों न एक साथ ही सब तरह की मुसीबतें झेली थीं। उन्हों ने यहां पर एक साथ बसने की भावना का परिचय दिया, यह एक अच्छी बात है। उनको एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान में रखने की जो सुविधा दी गई उस में आप को आसानी हुई मगर उन लोगों को कष्ट हुआ। एक घर छोड़ कर वह पहले ही आये हैं जहां कि उन का सब कुछ चला गया और यहां फिर उन को हटा कर दूसरी जगह रक्खा जा रहा है और अलग अलग किया जा रहा है। यह तो इस तरह की बात हो गई कि मेरे पांव में जूता काटता है और दर्द मालूम होने पर मैं चीखता हूं। जब मैं चीखता हूं तो आप कहते हैं कि मेरी नींद टूट रही है। आप को वह चीखना कष्टदायक मालूम होता है। आप को सहृदयता की भावना बढ़ानी चाहिये। आप को अपने कानों का इलाज करना चाहिये। हमारे कष्ट की चीख से अगर आप की नींद भंग होती है तो आप को स्लीपिंग डोज़ (नींद की दवाई) लेनी चाहिये। उस को खा कर ही इस का इलाज होता है और आप आराम से नींद ले सकते हैं। जो मकान गिराये गये क्या वह उस जगह की सुन्दरता को बिगाड़ रहे थे? अगर वह मकान बगैर किसी कारण के गिराये गये हैं तो यह राष्ट्रीय सम्पत्ति का विनाश है। अगर उन के मकान गिराये जाने थे तो उन को मुआवजा दिया जाना, चाहिये था और उन को दूसरी जगह पर मकान बनाने के लिये जगह दी जानी चाहिये थी।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : वहां पर वाटरवर्क्स बनाया जा रहा है।

पंडित ए० आर० शास्त्री : मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस का स्पष्टीकरण कर

दिया है। मैं उन का शुक्रगुज़ार हूं। उन के दिल में शरणार्थियों के लिये बड़ी हमदर्दी है। अस्तु, अब मुझे कहना है कि अगर वह मकान इस परिस्थिति में गिराये गये तो इस को एक मनोभावना से विचार करना चाहिये। इन प्रश्नों में एक बड़ी साइकलाजिकल (मनोवैज्ञानिक) बात रहती है, मकान गिराना और बनाना और किस स्थान में वह मकान बनाये जाते हैं।

श्री ए० पी० जैन: वह मकान गन्दे और कच्चे थे।

पंडित ए० आर० शास्त्री: मैं इस प्रश्न को मनोवैज्ञानिक ढंग से रखता हूं। उन के मकान गिराये जाते रहे और उन को बनाने की चेष्टा नहीं होती रही। जिस प्रश्न को ले कर मैं यहां खड़ा हुआ हूं उस के सिलसिले में कल एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने यह कहा था कि अभी कोई नीति इस के वास्ते निर्धारित नहीं हुई है। मै यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में अवश्य कोई नीति निर्धारित हो जानी चाहिये। हमारे जो शरणार्थी भाई आये हुए हैं, उन के लिये हमारा कर्त्तव्य हो जाता है और मानव कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन की हर प्रकार से मदद करें। वह यहां दुखी हो कर आये हैं और हमारे देश में बसे हैं। वह सब हमारे सगे भाई हैं और हम सब लोगों को उन की सेवा करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में हम लोगों को कोई नीति निर्धारित कर लेनी चाहिये। अगर अधिक समय चाहते हैं तो इस बीच में उचित कार्यवाही उन के लिये कर लेनी चाहिये।

इस के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप के यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी नीति बनाई जाय उस में इस बात का ख्याल किया जाय कि जो कुछ नुक़सान हुआ है उस को मान लिया जाय। उन के साथ न्याय किया जाय और उन लोगों को किसी तरह का कष्ट न हो।

यही आप का इंटरनेशनल (अन्तर्राष्ट्रीय) न्याय है कि एक परस्पर समझौते के आधार पर दो देशों की स्वतंत्रता का निर्माण हो और एक देश के स्वतंत्र निवासी यहां के बाशिंदों को उजाड़ दें उन को वहां से भगादें, उन की सम्पत्ति को छीन लें और ऐसे भगाये गये लोग जब दूसरे देश में जायें तो उन की उस आर्थिक हानि और घाटे की पूर्ति उस देश के निवासी करें? मैं जो यह प्रश्न आप के सामने रख रहा हूं उस का अर्थ यह नहीं है कि मैं विस्थापितों को भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित या दी जाने वाली किसी भी सहायता का विरोध कर रहा हूं। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया (भारत सरकार) उन को जो कुछ देना चाहती है वह दे दे, मैं उस के विरुद्ध कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा हूं। लेकिन मैं यह नम्र निवेदन किया चाहता हूं कि क्या हमारी यह सरकार उस सरकार से और उस सरकार के अधीन रहने वाली जनता से, वहां के टैक्सपेयर (करदाता) से, इस बात की कड़ी मांग नहीं करेगी कि जो कुछ उन्होंने छीन लिया है, या रख लिया है, या दबा लिया है, उस का पूरा पूरा मूल्य उन को दे दें? मांग तो यह होनी चाहिये थी, जैसा कि महात्मा गांधी जब नौआखली में घूम रहे थे तो उन के हृदय में यह भावना थी कि जो जहां का रहने वाला हो, वह वहीं रहे, उस को वहां से खदेड़ा न जाय और ऐसा न हो कि हम इस प्रकार का न्याय बर्तें कि जो गरीब हैं उन को खदेड़ दें और जो हमारे यहां रहते हैं उन को धर्म विशेष के कारण उन के प्रति अत्याचार व अनाचार का व्यवहार करें।

[पंडित ए० आर० शास्त्री]

जो लोग यहां बसे हुए हैं आखिर हमारे ही भाई हैं, हम उन को यहां पर ठीक तरह से रहने दें और उन को किसी प्रकार का दुखः न होने दें । हमारे जो विस्थापित भाई वहां पाकिस्तान से खदेड़े गये हैं, वह यहां जिस अवस्था में रह रहे हैं वह किसी से छिपी नहीं है । उन का सब कुछ वहीं छीन लिया गया है और हमारा उन का खोया हुआ सब कुछ दिलाने का वायदा अभी पूरा होना बाक़ी है । दो साल वायदा किये हुए बीत गये लेकिन वायदा अभी तक अधूरा है, उस को पूरा करने के लिये कड़ी और सक्रिय कार्यवाही की आवश्यकता है, तभी उन को इस का विश्वास हो सकेगा कि हम को हमारा खोया हुआ मिलेगा । उन का घाव अभी तक भरा नहीं है, और ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, उस में गांठें पड़ती जाती हैं । घाव का इलाज तो अभी तक नहीं हो पाया है, अब उस के लिये आप ने एक साल और बढ़ाया है, और अगर इसी तरह आप बराबर इस को बढ़ाते रहे और निश्चित तिथि को आगे करते रहे तो इस का बहुत घातक प्रभाव पड़ने का अंदेशा है । एक तो उन व्यक्तियों का घाव ठंडा पड़ता जायगा, दूसरे हुकूमत जिस के संरक्षण में वह लोग रह रहे हैं, उस के दिल पर भी एक तरह की ठंडक आजायेगी और वह समझेगी कि अब उन के लिये कौन पाकिस्तान वालों से मांग करे, वह तो हमारी सुनते नहीं, हम क्या करें, लाचारी है, और बेबसी है, उन लोगों में बिल्कुल सहृदयता नहीं है । यह ख्याल अगर हमारे देश की हुकूमत के दिल में पैदा होता है तो बहुत अफ़सोस की बात होगी, इसलिये यह बहुत ज़रूरी है कि यह मसला जल्द से जल्द हल हो जाना चाहिये । इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस मांग को तो आप को जल्द से जल्द मान लेना चाहिये और उन के लिये अस्ली मुआविज़ा तो यही है कि जो जहां रहता आया है और जहां का रहने वाला है वह वहीं पर बसाया जाय । आता है याद मुझ को वह गुजरा हुआ ज़माना, वह झाड़ियां चमन की वह अपना आशियाना । अस्ली आबाद करना तो उन को यह होगा कि वह अपनी पहली जगहों पर जहां से उन को निकाल कर बाहर किया गया है, भारत सरकार फिर से वहीं पर उन को बसाये । और वास्तव में एक सरकार, सरकार कहलाने योग्य तभी हो सकती है जब वह इस मांग को पूरी करे अस्ल में मांग तो उन की यह होनी चाहिये । और पूरा पूरा मुआविज़ा तो उन का यही होगा । यह कोई मुआविज़ा नहीं कि श्री देशमुख और त्यागी साहब के कन्धे पर उस मुआविज़े को चुकाने का भार डाला जाय और बस बेचारे या तो अपने घर से या यहां का सोना चांदी ले कर उन को दें और समझें कि हम ने बड़ा भारी काम कर दिया । लेकिन यह अस्ली मुआविज़ा तो नहीं होगा । वह जो सम्पत्ति वहां वह लोग पीछे पाकिस्तान में छोड़ आये हैं उस का क्या होगा ? ज़रूरत तो यह है कि उस सम्पत्ति का हम पूरा पूरा मूल्य पाकिस्तान से प्राप्त करें ।

श्री त्यागी : हम ने किस का सोना चांदी लिया ।

श्री ए० आर० शास्त्री : हज़ारों टैक्स पेयर्स (करदाताओं) का सोना लिया जिन पर वह टैक्स लगाते हैं ।

श्रीमान् जी, मेरा मतलब उस रुपये से है जो आप टैक्स के रूप में वसूल करते हैं, उस टैक्स से श्री त्यागी जी अगर मुआविज़ा चुकाते हैं तो मैं कहूंगा कि वह ठीक मुआविज़ा नहीं है ।

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : त्यागी जी त्याग नहीं करते हैं ।

पंडित ए० आर० शास्त्री : मेरा मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री (वित्त मंत्रालय) से है, वह मंत्रालय जो टैक्स के रूप म धन वसूल करता है और संग्रह करता है। दूसरे के धन से इस तरह मुआविज़ा निपटाना कुछ ठीक नहीं जान पड़ता । यह कोई मुआविज़ा देना नहीं है कि दूसरों से ले कर के उन में बांट दिया जाय । यह रुपये का जो आप टैक्स के रूप में वसूल करते हैं उस का सच्चा सदुपयोग नहीं होगा । मुआविज़ा तो वास्तव में इस सरकार का कर्त्तव्य है कि उस से प्राप्त करे जिस ने इन को वहां से खदेड़ा है और इन की सारी सम्पत्ति का अपहरण कर लिया है । सरकारी स्तर पर इस को शीघ्र निपटाया जाय । जब मैं यह मांग करता हूं और कहता हूं कि सरकार को इस को दिलवाने में अपनी भरसक शक्ति का प्रयोग करना चाहिये, तो उस का यह अर्थ नहीं है कि मैं कोई नैपोलियन बन कर यह बात कहना चाहता हूं । मैं तो बड़े विनय के साथ निवेदन करूंगा कि जो अन्तर्राष्ट्रीय नियम व क़ानून इस सम्बन्ध में हैं उन के ज़रिये यह सवाल हल करने का प्रयत्न किया जाय । यह भी कोई न्याय है कि कोई देश एक जाति विशेष के लोगों को अपने देश से ज़बर्दस्ती खदेड़ कर भगा दे और उन की सारी सम्पत्ति छीन ले, और उस देश पर इस के लिये ज़ोर न डाला जाये और उस को इस के लिये विवश न किया जाय कि वह यह चीज़ें उन को वापिस दे दे ? उस का पूरा मूल्य मिलना चाहिये । लड़ाइयां हम ने बहुत देखीं, जर्मनी की लड़ाई हुई, जापान की लड़ाई हुई, जो जातियां ही हारीं, उन से होने वाली इस क्षति की पूर्ति कराई गई है । तो क्या पाकिस्तान सरकार को हम विवश नहीं कर सकते कि वह मुआविज़े की एक एक पाई अदा करे ? अन्तर्राष्ट्रीय विधानों के मातहत पाकिस्तान से यह मांग पूरी करने को कहा जाय, और अगर आज अंतराष्ट्रीय विधानों में यह मांग नहीं है तो इस प्रकार का विधान अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में पास होना चाहिये, कि हम ऐसे राष्ट्रों को, जो बिल्कुल एक स्वच्छन्दता और निरंकुशता से काम करते हैं और जहां उन का कर्त्तव्य यह है कि प्रजा की रक्षा करें, वह प्रजा को उजाड़ने में लगे हुए हैं बाध्य कर दें । इस को रोकने का यही तरीक़ा हो सकता है कि पाकिस्तान को हम विवश करें कि वह जो क्षति हुई है उस की पूर्ति में एक एक पाई वह अदा करे और अगर यह मांग करने के लिये सरकार एक साल का समय चाहे तो हम एक साल क्या डेढ़ साल का भी समय देने को तैयार हैं ; लेकिन जब यह चीज़ नहीं है तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इस जीते जागते प्रश्न को इस प्रकार एक ठंडा प्रश्न कर देना चाहते हैं। समय बीतने पर लोगों के घाव ठंडे पड़ जायेंगे और आप के हृदय में भी एक चुभन है वह भी ठंडी हो जायेगी और नेक काम जो आप करने जा रहे हैं और करने का इरादा रखते हैं और जो नेक काम आप ने अब तक किये हैं और जिस के लिये हमारे सब मित्रों ने बधाई दी है, उस में इस तरह तिथि को लम्बा करने से और उस को और आगे के लिये टाल देने से बाधा पड़ेगी । इस दृष्टि से लाला अर्चित राम के संशोधन का हार्दिक समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द वह उन सारे क्लेम्स को इकट्ठा कर ले और उन को सैटिसफ़ाइ (संतुष्ट) करने के लिये उन की पूर्ति के लिये, वह पाकिस्तान सरकार से एक एक पाई वसूल करने का प्रयत्न करें । ऐसा न हो कि वह कोई थोड़ा बहुत मुआविज़ा अपने घर से या खज़ाने से दे दें। थोड़ा बहुत कुछ दे दें और

[पंडित ए० आर० शास्त्री

कह दें कि भाइ क्या करें, इतने में ही संतोष मानो, पाकिस्तान सरकार तो कुछ देती नहीं । मैं यह नहीं जानता कि मेरी यह मांग अन्तर्राष्ट्रीय विधानों की दृष्टि से उचित है या अनुचित, मगर महात्मा गांधी के यह शब्द मुझे याद आते हैं कि जब तक इन उजड़े हुए लोगों को उन के अपने अस्ली घरों में नहीं पहुंचा देंगे, यह शरणार्थी समस्या कभी हल नहीं हो सकती । ऐसा न हो कि समय बीतता जाय और हमारा घाव ठंडा पड़ जाय । मैं हालांकि यह एक्सट्रीम (अत्याधिक) मांग है, पर हृदय से इस का समर्थक हूं और चाहता हूं कि कम से कम इतना तो अवश्य हो कि जो सम्पत्ति हमारे भाई वहां छोड़ कर आये हैं, उस का बाज़ारी मूल्य आंका जाय और वह हम को मिलना चाहिये । मैं पाकिस्तान सरकार से भी अपनी सरकार के द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर न्यायपूर्वक व्यवहार करे और हमारी इस न्यायोचित मांग को स्वीकार कर के मानवमात्र के प्रति न्याय करे । मैं अपने राष्ट्रीय नेता पंडित जवाहर लाल की उस नीति का सर्वथा समर्थक हूं कि हम को सद्भावना और शान्ति से अपने तमाम प्रश्नों को हल करना चाहिये । मगर मैं यह निवेदन ज़रूर करना चाहूंगा कि यह प्रयत्न एकदेशीय नहीं हो सकते, अन्तर्राष्ट्रीय न्याय में रिसीप्रोकल ट्रीटमेंट (अन्योन्य बर्ताव) की बात आ जाती है । इस मामले को हल करने में हम बेबसी नहीं प्रकट कर सकते कि क्या करें पाकिस्तान हमारी मांग को स्वीकार नहीं कर सकता, हमें उसे मनवाने के लिये दूसरे जो साधन हैं उन्हें काम में लाने में हिचकिचाना नहीं चाहिये । आज अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के उलझने के ही कारण कोरिया में लड़ाई हो रही है और दूसरी जगहों में झगड़े होते हैं । इस प्रश्न का निपटारा करने के लिये हमें जितने भी अन्तर्राष्ट्रीय साधन प्राप्त हों, उन का प्रयोग करना चाहिये और ऐसा करने में हिचकिचाना नहीं चाहिये क्योंकि अन्यायी के प्रति अगर हम उदारता और दया का भाव प्रदर्शित करते हैं तो उन लोगों के प्रति, जिन का सब कुछ छीन लिया गया है और जिन के सुख का अपहरण हुआ है, अन्याय होता है ।

इस लिये शुद्ध सात्विक न्याय के नाम पर मैं तो प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस क्षति-पूर्ति में सरकार पाकिस्तान का ध्यान दिलाये और उस के ऊपर इस बात का बोझा डाले न कि केवल अपने ऊपर बोझा ले ले । यदि कोई अनुचित बात कही हो तो इस दृष्टि से क्षमा करेंगे कि जो चोट है वह मेरे हृदय में गहरी है ।

जब तक दहाने ज़ख्म न पैदा करे, कोई मुश्किल कि तुझ से राहे सुखुन वा करे कोई ।

मैं चोट में बोल रहा हूं, मुंह से नहीं बोल रहा हूं । मैं हृदय के घाव से बोल रहा हूं तथा इसे समझ कर इसी भावना से बोल रहा हूं न कि इस भावना से कि इस में कोई उलझन पड़े ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : मेरे सामने भी वही समस्या है जो लाला अचिंत राम जी ने कही है । यह जो एमेंडमेंट बिल (संशोधन विधेयक) हमारे सामने पेश है उस बिल की मैं ताईद (समर्थन) भी करती हूं और विरोध भी ।

मुझे इस रिफ्यूजीज़ के मामले से कुछ वाकफ़ियत (जानकारी) है, खास कर दिल्ली के रिफ्यूजीज़ के मामले से । मुझे मालूम है कि हमारे जो भाई आज रिफ़्यूजीज़

के नाम से कहे जाते हैं उन का इस नाम से बहुत अपमान होता है । वह प्रसन्न नहीं हैं इस से ।

दूसरी बात यह है कि उन को सरकार से जो मदद मिलती है उसे वह लेते ज़रूर हैं क्योंकि वह मजबूर हैं मगर उसे लेने में अपना अपमान समझते हैं । हमारे जितने रिफ्यूज़ी भाई हैं उन को ज़्यादा पसन्द यह होगा कि वह जो जायदाद छोड़ कर आये हैं उस के एवज में उन को कम्पेन्सेशन (क्षतिपूर्ति) मिल जाय और वह उस हक के पैसे से अपने को बसा लें । आज वह अपना हक़ मांग कर लेते हैं । इसलिये शुरू में जब से सन् १९४७ में रिफ्यूजीज़ का मामला हुआ है हम ने बार बार आप लोगों का ध्यान इस की ओर दिलाया है कि आप मेहरबानी कर के उन को रिलीफ़ (सहायता) दीजिये, लेकिन उन को रिलीफ़ देने के पहले उन का जो हक़ है, वह जो जायदाद पाकिस्तान में छोड़ कर आये हैं, उस का निपटारा कीजिये । हम जानते हैं कि आप के सामने दिक्कतें हैं, मगर हमें नहीं मालूम कि आप ने इस मामले में इतनी देर क्यों लगाई । यह तो इस से बहुत पहले हल हो जाना चाहिये था । हमेशा हमारे मंत्री साहब मांगते हैं कि हमें और ज़्यादा वक्त दिया जाय, वह तो हमें देना ही पड़ेगा । लेकिन जब हमारे मंत्री साहब यह बात कहते हैं कि वह समझते हैं कि चार महीने में यह मामला हो सकता है तो जो एमेंडमेंट लाला अचिंत राम जी का है कि इस को छै महीने के अन्दर खत्म कर दिया जाय, तो उस को मंजूर न कर के आप एक साल क्यों चाहते हैं ? अगर आप एक साल का मौका चाहते हैं तो आप अपने महकमे को मौका देते हैं खिलाई करने का । अगर चार महीने के अन्दर काम हो सकता है तो चार महीने के अन्दर होना चाहिये क्योंकि रिफ्यूजी बेचारे बहुत बेज़ार बैठे हुए हैं । अगर बातें पूरी तरह से मैं आप को बताऊं तो कई दिन लगें, इस लिये आप को दो चार क़िस्से बताती हूं ज़्यादा नहीं । क्योंकि हमारे मित्र गुरुमुख सिंह साहब मुसाफ़िर, ठाकुर दास जी और लाला अचिंत राम जी इत्यादि भी इस मामले से इतने ही वाकिफ़ हैं जितनी मैं । जो क़िस्सा ठाकुर दास जी ने बताया वह क़िस्सा बिल्कुल सच्चा है । हम ने साथ साथ इस कमेटी में काम किया है, दिल्ली शहर में रिफ्यूजियों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है यह सब जानते हैं । मैं अदब से कहना चाहती हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब ने बहुत कुछ काम किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं । लेकिन बड़े ज़ुल्म रिफ्यूजीज़ के ऊपर हो रहे हैं । यह ठीक है कि परिस्थिति ऐसी है जिस में यह सब होता है लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो परिस्थिति सुलझाई जा सकती है ।

मैं आप को उदाहरण देती हूं कि कई महीने पहले मैं राजेन्द्र नगर गई । एक आदमी ने कहा कि वह पचास हज़ार रुपये की जायदाद छोड़ कर आया है, उस का क्लेम तीस हज़ार रुपये का मंजूर हुआ है । मगर मैं ने जा कर देखा कि उस की हालत यह है कि उस के कैन्सर (नासूर) हो रहा है और वह चारपाई पर पड़ा हुआ है । उस की औरत भी बीमार है, पांच बच्चे हैं, कोई काम करने वाला नहीं है । उस के पास कोई पैसा नहीं है । जिस मकान में पड़ा हुआ है उस के किराये के वास्ते सरकार का नोटिस आता है । मैं ने जा कर अपनी जेब से थोड़ा पैसा दिया, और जब इस बारे में उस से पूछा तो वह रो पड़ा । उस ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिये । मेरा तीस हजार का क्लेम मंजूर हुआ है, उस के बजाय मुझे आज पांच हज़ार दे दो, जिस में कम से कम मैं ज़िन्दा तो रह सकूं । उस के कुछ दिन

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

बाद में ने सुना कि वह आदमी पैसे की कमी के कारण मर गया । इस तरह का यह एक क़िस्सा नहीं है, कई क़िस्से हैं । आज कल औरतें हमारे पास आती हैं । वह बेचारी परेशान हैं वह कहती हैं कि तुम हमारे क्लेम का जो पैसा चाहो दे दो ताकि हम कम से कम ज़िन्दा तो रह सकें जब तक सरकार का फ़ैसला हो । तो यह मुसीबत है जो आप को समझनी चाहिये । एक तरफ़ रिलीफ़ का काम घटाया जा रहा है । ठीक बात है । हमारी सरकार कहती है हम ने पांच साल से लोगों को रिलीफ़ दिया, अब रिलीफ़ का काम खत्म होना चाहिये । लेकिन साथ ही साथ आप इस बात को देखिये कि अब भी लोगों की क्या हालत है । में दिल्ली शहर के अपने अनुभव की बातें कहूंगी । जो चीज़ में ने आंखों से देंखी वह कहूंगी । दिल्ली म तेहाड़ एक जगह है । वहां बस्ती नबी करीम एक जगह है । वहां जा कर देखिये कि किस हालत में वहां लोग बैठे हुए हैं । कुछ दिन पहले इस बस्ती नबी करीम में एक मशहूर क़िस्सा हुआ । में ने देखा कि एक कुंए में दो परिवार बैठे हुए थे । कैसे बैठे हुए थे ? एक लकड़ी डाल कर एक फ़ैमिली (परिवार) बैठी हुई थी उस के ऊपर दूसरा पटरा डाल कर दूसरी फ़ैमिली बैठी हुई थी । मंत्री साहब जानते हैं कि ऐसी बातें हो रही थीं । बहरहाल उन्होंने उन फ़ैमिलीज़ को विनय नगर में जगह दे दी । पहाड़गंज की क्या हालत है । वहां एक मस्जिद है । उस मस्जिद में करीब दो हज़ार लोग बैठे हुए हैं । उन लोगों के जो कमरे हैं वहां सूरज तो कभी जाता ही नहीं । वहां लोग बैठे हुए हैं उन को कोई रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) की मदद नहीं दी गई क्योंकि वह लोग कैम्प में नहीं आये । यह आयरनी आफ़ फेट (दैव की विडम्बना) है कि जो रिफ्यूजी जिन में आत्म सम्मान कम था, जो लोग कम्प में जा कर बैठ गये उन को आप ने पहले ठीक जगह पर बैठा दिया । लेकिन जिन में आत्मसम्मान था, जो सरकारी मदद नहीं चाहते थे उन को आप ने रिहैबिलिटेशन के द्वारा मदद नहीं दी है । जो लोग आज मस्जिद में आ कर बैठे हुए हैं उन से पूछिये कितनी जायदाद छोड़ आये हैं । कितने के उन के क्लेम्स हैं । अगर उन के मरने के पहले कुछ रुपया मिल जाये तो वह ज़िन्दा रह सकें । अगर ऐसा न हुआ तो वह तो क्लेम्स का फैसला होने के पहले ही मर जायेंगे । इसलिये मुझे यह कहना है कि यह चीज़ आप जल्द कीजिये । जितनी ही आप देरी करेंगे उतना मामला खत्म होता जायेगा । एक तरफ़ रिफ़्यूजीज़ मरते जायेंगे दूसरी तरफ इवैक्वी प्रापर्टी (निष्कान्त सम्पत्ति) बिगड़ती जायेगी। इस विषय में में एक दो बातें कहना चाहती हूं । जो बातें मुसाफ़िर साहब ने कही, चटर्जी ने कहीं, इवैक्वी प्रापर्टी का पूल (संग्रह) दिनों दिन कम होता जा रहा है । में अथारिटी (अधिकार) के साथ कह सकती हूं, मेरी इस विषय में जस्टिस अछरू राम जी के साथ बात हुई । उन्हों ने मुझे एक उदाहरण दिया । जो मुसलमान सौराष्ट्र से चले गये हैं उन्हों ने बड़े बड़े मकान बनाये हैं । वह मकान आज पांच साल से वैसे ही पड़े हुए हैं और खराब होते जा रहे हैं । पता नहीं उन की वैल्यू (क़ीमत) अब क्या हो गई है । इस तरह से जो पूल है वह घटता जा रहा है । बहुत से मुसलमान वापस आ रहे हैं । उन को भी उन के मकान वापस मिलेंगे इस तरह पूल दिनों दिन कम होता जा रहा है । इस लिये इस में जल्दी करने की ज़रूरत है । में जानती हूं कि आप के सामने दिक़्क़तें हैं । क्लेम्स आफिसर्स (दावा पदाधिकारी) की दिक्क़त अचिन्त राम जी ने बताई । इस विषय में में भी कुछ

वाक़फ़ियत रखती हूं क्योंकि मैं भी सिलेक्ट कमेटी (चुनाव समिति) की मेम्बर बनाई गई थी। अगर आप शुरू में बता देते कि इतने आदमी चाहियें तो शुरू में हम दे देते। अब बताया गया कि १०० चाहियें, अब बताया गया कि पचास चाहियें, अगर इस तरह .....

श्री ए० पी० जैन : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप से कि जिन जिन की आप ने रिकमेन्डेशन (सिफारिश) की और जो रिकमेन्डेशन भेजी उन अफ़सरों की क़ाबलियत के बारे में आप की क्या राय है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी : शुरू में हमारे पास जो ऐप्लीकेशन्स (आवेदन-पत्र) आई थीं उन में अच्छे लोग आये थे। अगर उस वक़्त बता देते तो हम अच्छे आदमी आप को देते। वह रिहैबिलेटेट हो गये और चले गये। डेढ़ साल हो गया। अब ज़रूर अच्छे आदमी नहीं हैं जिन की ऐप्लीकेशन्स आई हों। अगर शुरू में आप ने अपना इरादा पक्का कर लिया होता कि कितनी ज़रूरत है तो आप को अच्छे आदमी मिल जाते। दूसरी बात यह है कि हम लोग रिकमेन्डेशन करते हैं तो छः छः महीने तक आप लोग ऐप्वान्टमेन्ट (नियुक्ति) नहीं करते .....

श्री ए० पी० जैन : आप की इस बात से तो मैं इन्कार करता हूं। जब आप की रिकमेन्डेशन आई तो उस के बाद एक हफ़्ते के अन्दर हर एक को ऐप्वाइन्ट (नियुक्त) कर दिया।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं बहुत अदब से आप से कहती हूं कि आप मंत्री महोदय से कह दीजिये कि वह देखेंगे तो मालूम हो जायेगा कि अपाइंटमेंट्स (नियुक्तियां) जितनी तेज़ी से वह समझते हैं की गई हैं, नहीं की गई हैं। अपाइंटमेंट करने के बाद पोस्टिंग (पदनियुक्ति) भी नहीं हुई है। महीनों बीत गये हैं। सिलैक्टेड परसन्स (चुने गये व्यक्ति) अपाइंट नहीं हुए हैं। मैं खुश होऊंगी अगर मैं ग़लत होऊं लेकिन मैं समझती हूं कि वह ग़लत हैं, वह ज़रा तहक़ीक़ात करें। इस मामले में गवर्नमेंट की तरफ़ से अरजेंसी (अत्यावश्यकता) नहीं है, इस से नुक़्सान गवर्नमेंट को ही होता है। लोगों के दिल में यह वहम बढ़ता जा रहा है कि गवर्नमेंट हम को कुछ देगी नहीं। हम लोगों से, जो कि रिफ्यूज़ीज़ के अन्दर काम करते हैं, लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि हम को क्या दिया जायेगा, यह बताओ। लेकिन हम जवाब नहीं दे सकते। हम कहते हैं कि रुपये में शायद एक आना मिल जाये। ठाकुर दास जी ने भी पूछा कि उन की प्रापर्टी (सम्पत्ति) का कितना परसेंट (प्रतिशत) मिलेगा। जो प्रापर्टी वह लोग वहां पर छोड़ आये हैं और यहां जो इवैक्वी प्रापर्टी पूल की है वह कितनी है, यह बड़ा अहम सवाल है, यह जल्दी मालूम होना चाहिये, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर शुरू में ही उन को मालूम हो जाता कि तुम को कुछ नहीं मिलेगा तो ठीक था। वह सब्र कर के बैठे रहते। लेकिन आज वह उम्मीद बढ़ी हुई है। तो जितना जल्दी उन को यह मिल जाय उतना अच्छा हो। यह सरकार के फ़ायदे की बात है कि वह उन को बताये कि कितना उन को देगी। इस से लोग अन्दाज़ा बांध लेंगे कि हम को कितना मिलेगा और कितने में हम काम कर सकेंगे। जैसा मैं ने कहा रिलीफ़ फ़ैसीलिटीज़ (सहायता सुविधायें) आप घटाते जा रहे हैं और तिजारत (व्यापार) की हालत मुल्क में ऐसी है कि

[श्रीमती सूचेता कृपलानी]

लोग तकलीफ़ में पड़ गये हैं। इसलिये इस वक्त अगर उन को कुछ मिल जाये तो वह बेचारे यह मुसीबत के वक़्त से पार हों जायेंगे और रिहेबिलिटेट हो जायेंगे ।

दो बातें और मुझे छोटी छोटी कहनी हैं । एक बात यह है कि बहुत सी औरतें हैं, वह बेवा (विधवा) हैं, अनपढ़ हैं वह आज तक क्लेम्स नहीं भर पाई हैं इसलिये उन के लिये मैं यह दरख्वास्त करूंगी कि मिनिस्टर साहब कोई तरीक़ा निकालें जिस से उन से दरख्वास्तें ली जायें।

एक बात और है कि यह बिल आज तक बंगाल में एक्सटैं(ड)वडाया नहीं है। बंगाल के लिये भी यह बड़ा सवाल है। गो मैं जानती हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब तरफ़ पूरा ध्यान देने की कोशिश करती है, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा यह है कि बंगाल में यह मामला जिस तरह से चल रहा है उस से यह मालूम होता है कि वहां उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस से कि सवाल पूरी तरह हल हो सके : इस लिये मैं चाहती हूं कि यह बिल बंगाल पर भी एक्सटैंड हो जाय ।

इतने ही शब्द कह कर मैं बिल को सपोट (समर्थन) करती हूं और अचिन्त राम जी के अमेंडमेंट को सपोर्ट करती हूं ।

श्री **यू० एस० मल्लय्या** (दक्षिणी कनड़ा—उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"अब प्रस्ताव पर मत लिया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अब प्रस्ताव पर मत लिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री **ए० पी० जैन** : श्रीमान्, आप ने उचित ढ़ंग से प्रस्ताव का सार देते हुए कहा था कि सारा सदन इसी बात के पक्ष में है कि अधिनियम की अवधि को बढ़ा दिया जाय। अब इसी बात का निश्चय करना बाकी है कि वृद्धि कितने समय के लिये हो, छै महीने अथवा एक वर्ष के लिये। मैं ने कहा है कि शीघ्रातिशीघ्र इन दावों को निपटाया जाना चाहिये। अब यह प्रश्न रह जाता है कि यदि मैं इन नागरिक दावों को चार महीनों में ही निपटा लूं तो एक वर्ष तक इस अधिनियम को बढ़ाने की मुझे क्या आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का भी मैं उत्तर दूंगा ।

इस का एक कारण यह भी है कि देहाती दावों को अलग से लिया जा रहा है और संभव है कि उन के निपटाने में अधिक समय लगे। माननीय श्रीमती सुचेता कृपलानी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि अब भी कई स्त्रियों ने दावे दायर नहीं किये हैं ।

यदि अभी भी दावे दायर हो रहे हैं तो यह काम किस तरह बन्द किया जा सकता है। इधर से यह भी एक वैध मांग है कि दावों को पूरा किया जाय और क्षतिपूर्ति का कोई रास्ता ढूंढा निकाला जाय। मुझे बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। जनवरी १९५२ में मैं ने जब एक आदेश जारी किया था कि भविष्य में वही दावे स्वीकार किये जायेंगे जिन का कोई लिखित साक्ष्य होगा, तो मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि दावों की संख्या कम होती जा रही है। फिर भी कभी कभी पेचीदा मामले भी सामने आ जाते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है कि दावा दायर करने वाला व्यक्ति उस तिथि को उपस्थित नहीं हो पाता है और दावा पदाधिकारी उस दावा को अस्वीकार कर के रिकार्ड में भेज देता है फिर भी मैं इस बात को अनुभव करता हूं कि अनुपस्थिति के कारण ही क्यों उस बेचारे का दावा रद्द

किया जाये । सच तो यह है कि प्रविधिक बातों को दूर रख कर ही हम ने पुनः दावे मांगने शुरू किये हैं । कुछ दिन हुए मैं ने मुख्य दावा आयुक्त से इस विषय पर बात की थी, और उस ने मुझे बताया कि लग भग बीस तीस हज़ार दावा दायर करने वालों को उन के पते से नोटिस भेजे गये थे किन्तु वह उन्हें मिल नहीं सके । ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं ? क्या माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि अनुपस्थिति के कारण ही दावा दायर करने वाले के उस दावे पर पुनः विचार नहीं किया जाय ? स्वयं मेरा यह विचार है कि यह एक ज़्यादती होगी । मैं ने कहा था कि चार महीनों में इन दावों की पड़ताल हो जायेगी । कुछ एक समाचार पत्रों के संपादकों और माननीय सदस्यों ने मुझे इस बात का दोष दिया है कि मैं साफ़ साफ़ प्रतिज्ञा नहीं करता कि अमुक कार्य अमुक तिथि तक पूरा हो जायेगा । मेरा तो ईमानदारी से काम करने में ही विश्वास है, और होता क्या है कि अप्रत्याशित घटनायें हो जाती हैं और कई कठिनाइयां आ जाती हैं जिन के परिणाम-स्वरूप देर हो जाती है । स्वयं मैं इस प्रकार की कठिनाइयों का शिकार हुआ हूं, और यही कारण है कि जब कभी तिथि निश्चित करने की बात आ जाती है तो मैं चुप हो जाता हूं । किन्तु आज मुझे इस बात का अनुभव हो रहा है और मैं इसलिये कह भी रहा हूं कि आगामी चार महीनों में ही शहरी दावे निपटा दिये जायेंगे ।

मान लीजिये कि दावा दायर करने वालों की अनुपस्थिति के कारण उन के वह दावे अस्वीकृत हो जायें और छः महीने बाद जब कोई भी दावा पदाधिकारी, दावा आयुक्त अथवा दावा संस्था न रहे तो स्वाभाविक है कि उन पर पुनः विचार करने, उन्हें निपटाने तथा आदेश जारी करने के लिये कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा । अपने माननीय मित्र लाला अचित राम से ही मैं पूछता हूं कि क्या वह इस अवधि को कम करा कर इसे केवल छः महीने रखना चाहते हैं ? तो, यदि कोई विधवा, कोई अवयस्क, अथवा नासूर अथवा यक्ष्मा का कोई रोगी छः महीने बाद मेरे पास आजाये और वह पुनरावेदन के लिये मुझ से प्रार्थना करे, तो मैं उस की कोई भी सहायता नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी कार्यकारिणी संस्था नहीं होगी, न ही मुझे अधिकार होगा । इन्हीं कारणों से मैं इस बात का अनुरोध करता हूं कि ऐसे पेचीदा मामलों को निपटा सकने के लिये मुझे आठ महीने दिये जायें ।

लाला अचिन्त राम : मैं तब हीं आप का सुझाव मान सकता हूं यदि आप मुझे इस बात का आश्वासन दें कि चार महीनों में उन सभी दावों का प्रमाणीकरण हो जायेगा जो इस समय आप के पास हैं ।

श्री **ए० पी० जैत** : मैं तो आश्वासन दे चुका हूं किन्तु यदि माननीय सदस्य को मेरे आश्वासन पर विश्वास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं ?

एक और बात भी है । जिस समय दावा पदाधिकारी कोई आदेश जारी करता है, तो अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार उस आदेश को पुनरीक्षित भी किया जा सकता है । कोई भी दावा करने वाला किसी भी पदाधिकारी के आदेश से असंतुष्ट हो कर अपने मामले के सम्बन्ध में पुनरावेदन करने का अधिकार रखता है । मान लीजिये कि कोई व्यक्ति किसी भी ऐसे दावे के लिये, जिसे अन्तिम दिन निश्चित किया गया हो, पुनरावेदन करता है तो उस के निश्चय होने में कुछ समय लगेगा ही । यदि मेरे पास कोई कार्य-कारिणी संस्था नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा ? मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि दावा

[श्री ए० पी० जैन]

संस्था के एक बड़े भाग का काम मैं इन चार महीनों के अन्दर ही बन्द कर दूंगा। मैं केवल कामचलाऊ कर्मचारी रख लूंगा जो शेष कार्य को पूरा करेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार की कमियां रह जाती हैं, और यदि सदन मुझे एक वर्ष तक की वृद्धि दिलाने में सहायता न करे तो बड़ा अनर्थ होगा मैं आशा करता हूं कि मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए लाला अचिन्त राम अपने संशोधन पर पुनः विचार करेंगे ।

श्री **हुक्म सिंह**: मुस्लिम सम्पत्ति के मूल्यांकन तथा कितना प्रतिकर दिया जाये इस के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये क्या हमें एक वर्ष तक रुकना पड़ेगा ?

श्री **ए० पी० जैन**: दावों के प्रमाणीकरण का यह अभिप्राय है कि विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दी जाये। मैं नहीं कह सकता कि किस मात्रा में क्षतिपूर्ति दी जायेगी। इस के लिये कई बातों पर विचार करना पड़ेगा। मेरे मित्र श्री हुक्म सिंह की यह शिकायत है कि सरकार की नीति बदलती रही है। मैं समझता हूं कि परिस्थितियों के बदलने के साथ नीति भी बदलती रहेगी ही। इस अवसर पर मैं अपने मित्र को निष्क्रांत सम्पत्ति विधि के इतिहास की याद दिलाना चाहता हूं। मूलतः यह विधि उन के लिये बनाई गई थी जिन्हों ने अपना निवास स्थान छोड़ रखा था और जो अपनी संपत्ति की देखभाल नहीं कर सकते थे। सन् १९४७ की गड़बड़ी में हमारे कई देशवासी अपने अपने स्थान छोड़ कर चले गये थे, क्योंकि उन्हों ने अपने आप को वहां सुरक्षित नहीं समझा था, और इस प्रकार उन दिनों निष्क्रान्त संपत्ति विधि से यही समझा जाता था कि उन व्यक्तियों की सम्पत्ति की देखभाल के लिये कुछ एक सार्वजनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये। प्रारम्भ में इस बात के लिये जो कानून बनाये गये थे उन में यह प्रावधान था कि उस व्यक्ति की जो संपत्ति छोड़ कर चला गया हो वापसी पर उसे वह संपत्ति लौटा दी जाये, किन्तु उस की अनुपस्थिति में व्यवस्था पर जो भी धन व्यय हुआ है, वह उस से प्राप्त किया जाये। बाद में इस सम्पत्ति विधि का रूप ही बदल गया जब पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने अपने मूल निवास स्थानों को लौटने का विचार ही छोड़ दिया। हम पाकिस्तान से इस बात पर कोई निर्णायक बातचीत करना चाहते थे, कि दोनों ओर की सम्पत्तियों का कोई निपटारा हो। दोनों देशों में एक संधि हुई जिस के परिणामस्वरूप वैयक्तिक विनिमयों की आज्ञा दी गई किन्तु वह योजना चल नहीं सकी। पाकिस्तान अब भी यही बात छेड़ रहा है किन्तु भारत में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद हम ने यही निश्चय किया है कि भारत के सम्पत्ति संग्रह को ही पाकिस्तान में छोड़ दी गई संपत्ति के बदले में दिया जायगा। हम ने सरकारी स्तर पर निष्क्रान्त सम्पत्ति के विनिमय का सुझाव दिया था किन्तु पकिस्तान ने यह बात नहीं मानी। इस के परिणामस्वरूप कई बातें हुई।

आप सभी को विदित होगा कि निष्क्रांत संपत्ति समस्या दिन प्रति दिन बदलती जा रही है। पाकिस्तान का जैसा भी रवैया है वैसा ही इस में भी परिवर्तन होता जाता है। यही कारण है कि इस से संबंधित नीति बदलती रही है। जिस दिन हमारी नीति परिवर्तनशील न रह कर स्थिर हो जायेगी उसी दिन हमारा राष्ट्र संकट में फंस जायेगा

मुख्य प्रश्न यह है कि क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिये हमें क्या करना होगा। इस निष्क्रांत संपत्ति के मूल्यांकन के लिये हम ने एक संस्था स्थापित की है। इस संस्था ने बहुत प्रगति की है। अभी उस दिन यहां एक प्रश्न के उत्तर में मैं ने बताया था कि २,६०,००० दावों में से लगभग ८५,००० की संपत्ति का मूल्यांकन हो चुका है। इस काम में बहुत समय लगता है और कई एक कठिनाइयां आती हैं। इस में हिसाब लगाना पड़ता है, और इस तरह यदि देखा जाय तो २,६०,००० दावों में जितने भी दावे बच जाते हैं उन के मूल्यांकन में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। मैं न केवल प्रमाणीकरण एवं मूल्यांकन का काम निपटा रहा हूं अपितु बदले के रूप में संपत्ति के दिये जाने की भी व्यवस्था कर रहा हूं। इस काम के लिये मैं ने विस्थापित व्यक्तियों की एक समिति बनाई जो बख्शी टेक चन्द की अध्यक्षता में काम कर रही है। सूचना पहुंचाने वाले तथा आंकड़े संग्रह करने वाले कई एक व्यक्ति भी मैं ने इन की सहायता के लिये नियुक्त किये। मैं चाहता था कि इस काम के संबंध में मैं विस्थापित व्यक्तियों का स्वतंत्र मत जान लूं ताकि हमें इस बात का पता लग जाय कि किस प्रकार समान रूप से उन व्यक्तियों में जो पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़ आये हैं, इधर की संपत्ति का बटवारा किया जाय। इस समिति ने कई महीने काम करके एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस के लिये मैं बख्शी टेक चन्द एवं उन के सहकर्मियों का आभारी हूं। हम ने आंशिक रूप से इस समिति की रिपोर्ट की कई बातों को कार्यान्वित किया है। इस समिति की एक सिपारिश यह थी कि विस्थापित व्यक्तियों को जो छोटे छोटे ऋण दिये गये हैं। राज्य सरकारों द्वारा उन की वसूली को अभी स्थगित कर दिया जाय। हम ने यह बात मान ली है। आज के सभी वक्ताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति देने की यह योजना बहुत ही पेचीदा है। मुझे कई बातें सूझती रही हैं जिन को कार्यान्वित करने का मैं प्रयत्न भी करता रहा हूं--यहां तक कि मैं ने एक अग्रगामी योजना भी आरम्भ की है। किंतु जब तक मुझे ठोस बातें और ठोस आंकड़े न मिलें तब तक मैं जल्दी नहीं करना चाहता। मैं तो यही चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति देने का कोई रास्ता निकल आये। मुझ से कई बार प्रश्न किये गये कि दावों का कुल कितना मूल्य है और निष्क्रांत संपत्ति का कितना मूल्य है। किंतु इन प्रश्नों के उत्तर देना सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित नहीं है अतः मैं चुप रहा हूं। हमारे देश में बहुत ही कम बातें रहस्य के रूप में रहती हैं। हम ने इस समिति में कई बातें कहीं और कुछ ही दिनों बाद वह सभी बातें **हिन्दुस्तान टाइम्स** के रिफ्यूजी लाग स्तम्भ में प्रकाशित हुई। यह कितनी बुरी बात है। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान सरकार और उस के पत्रों ने किस तरह इन बातों का बतंगड़ बनाया, इन में ग़लत बातें जोड़ दीं, इनके ग़लत परिणाम निकाले और अन्ततः इनसभी बातों को ग़लत ढंग से प्रस्तुत किया। मुझे घरेलू दशा का भी ध्यान रखना पड़ता है, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जिस के आधार पर लोग कुछ बातों का ग़लत अनुमान लगायें, और आशायें बांधें, ऐसी आशायें जो बाद में पूरी न हो सकें। यह सब मैं ने विस्थापित व्यक्तियों के हित में किया है। मैं यह भी कहने का साहस करता हूं कि सदन के अन्दर या उस से बाहर के किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा मैं विस्थापित व्यक्तियों से अधिक स्नेह करता हूं और उन की समस्याओं के लिये चिंतित रहता हूं। मुझे इस पुनर्वास मंत्री-पद का मोह नहीं, जैसा मेरे कई मित्र समझ रहे हैं। अब भी मैं कहूंगा कि यदि वह मुझ से अधिक अच्छे

[श्री ए० पी० जैन]

और किसी व्यक्ति की सेवायें लेना चाहते हैं तो मैं इस पद को छोड़ दूंगा ।

लाला अचिन्त राम : यदि आपने त्याग-पत्र दे दिया होता तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होती ।

श्री ए० पी० जैन : मैं सेवा करने के लिये ही इस पद पर हूं । दो वर्ष से मैं इस समस्या को सुलझाता रहा हूं और अब ऐसी स्थिति आ गई है जब मैं कोई लाभप्रद काम कर सकूंगा । जिस दिन मैं यह काम पूरा कर लूंगा उसी दिन इस पद को छोड़ दूंगा । मुझे अपने तथा विरोधी दोनों दलों के सदस्यों के रवैयों पर बड़ा खेद हो रहा है । उन्होंने कहा : "मंत्री तो अच्छा आदमी है, काम भी सच्चाई से करता है ।" तो भी उन्होंने कहा कि . . . . .

एक माननीय सदस्य : सरकार के लिये यह कोई श्रेय की बात नहीं है ।

श्री हुक्म सिंह : उन के लिये तो यह श्रेय की बात है ।

श्री ए० पी० जैन : मैं सरकार का ही एक अंग हूं । यदि सरकार के लिये यह कोई श्रेय की बात नहीं है तो मेरे लिये भी यह कोई श्रेय की बात नहीं है ।

वह आगे चल कर कहते क्या हैं, "शरणार्थियों का तुम पर कोई विश्वास नहीं, उन्हें कोई भी भरोसा नहीं रहा है । तुम सारे काम ग़लत ढंग से करते रहे हो । तुम ने सुख चैन से दिन काटने वाले ७० परिवारों को उजाड़ दिया । तुम ने पलवल में कुछ भी नहीं किया है । तुम हरिद्वार की धर्मशालाओं में टिके हुए शारणार्थियों को वहां से निकाल रहे हो । तुम निर्दयतापूर्ण व्यवहार से उन्हें बेघर बना रहे हो । आदमी तो तुम अच्छे हो किंतु तुम ने जो भी काम किया है वह मर्खतापूर्ण है । तुम्हारा काम ग़लत है, निरा उजेड्ड है ।" यही सभी का कहना है । अब बताइये कि वह अच्छाई किस काम की जिस से किसी को लाभ न हो सके ।

मैं सभी बातों का उल्लेख नहीं करूंगा । आयव्ययक पर होने वाले वाद-विवाद में हमें उन बातों के लिये काफ़ी समय मिलेगा ही । उदाहरण के रूप में केवल एक दो बातें बताना चाहता हूं । मेरे कुछ एक मित्रों ने विशेष कार्यों का हवाला दिया है । उन्होंने ७०-७१ परिवारों के बेघर बनाये जाने की तो पहली शिकायत की है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह तो आप के मंत्रालय ने नहीं किया है ।

श्री ए० पी० जैन : चूंकि मैं सरकार का एक अंग हूं अतः इस ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकता । तो वह यदि और किसी भी मंत्रालय का ही काम हो, उस का सबंध मेरे साथ भी है ।

१२ मध्यान्ह

सत्य है कि ७० परिवार उठाये गये; उन के झोंपड़े गिरा दिये गये, किंतु तथ्य क्या है ? विस्थापितों तथा दिल्ली वासियों को पानी पहुंचाने के लिये दिल्ली नगरपालिका एक जलाशय बनाना चाहती थी, जिस के लिये उस के पास एक भूमि खंड होना चाहिये था । उसे इस भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता थी । तो इन लोगों ने उस भूमि पर ७० अनधिकृत झोंपड़े बनाये हुए थे । उन से प्रार्थना की गई कि उन झोंपड़ों को हटा लें जिस के उत्तर में उन्होंने कहा : " हम सभी इकट्ठे जाना चाहते हैं ।" एक बुद्धिमान तथा कर्मठ सदस्य लाला अचिंत राम की सेवायें प्राप्त की गईं, और उन के कहने पर इन लोगों ने वहां से हटने की बात मान ली । और तदनुसार वह वहां से हट गये । आपत्ति तो अब ही हुई है और

उन नेताओं द्वारा की गई है जिन्हें सचाई मालूम नहीं । वह हंसी-खुशी वहां से चले गये थे और अब वह पहले से अधिक प्रसन्न हैं । मेरे माननीय मित्र श्री अलगू राय शास्त्री ने कहा : "आप मकानों को क्यों गिराते हैं ? आप इन लोगों को क्यों हटाते हैं ?" अस्तु, यह तो एक पक्ष रहा । अब दूसरा पक्ष लीजिये । मुझ पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि इन दिनों जहां कहीं भी कोई शरणार्थी परिवार बिना मकान के रह रहा है, उस के लिये मैं एक खासा मकान बना दूं । यह तो एक वैध मांग है । तो बिना मकान के धरती पर पड़े रहने वाले अथवा धर्मशालाओं में रहने वाले इन परिवारों को यदि नये मकानों में नहीं पहुंचाया जाता तो बताइये कि फिर नये मकान बनाने की मांग ही क्यों की जा रही है ? मेरे मंत्रालय का अस्तित्व ही किस काम का ? पहले इसी को हटा दीजिये । अब देखिये कि इन धरना देने वालों में से बहुत से तो स्वेच्छा से हट जाते हैं, किंतु कई ऐसे सनकी भी हैं जो जाना नहीं चाहते । अब होता क्या है कि यदि ५०० परिवारों में से ४०० अथवा ४५० परिवार चले जायें और शेष ५० या १०० परिवार वहीं डटे रहें तो उन्हें डन्डे के जोर से हटाना ही पड़ता है ।

मैं सहारनपुर जिले का हूं और उस घटना को जानता हूं जिस की ओर श्री नन्द लाल शर्मा ने निर्देश किया था । पिछले १५-१६ वर्ष से हरिद्वार मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भाग रहा है । मुझे हरिद्वार से बहुत ही स्नेह है । वहां बहुत सी धर्मशालायें और सरायें हैं । चार पांच वर्ष हुए विस्थापित व्यक्ति वहां आये थे और इन धर्मशालाओं और सरायों में रहने लगे थे । हरिद्वार तो एक तीर्थ है जहां पर आत्म-शुद्धि के लिये विस्थापित एवं अन्य लोग समान रूप से गंगा जी में नहाने जाते हैं । हरिद्वार के सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन में इन धर्मशालाओं का एक महत्व है । तो इन्हीं मकानों में यह शरणार्थी रह रहे थे । हम किस तरह उन से कहते कि वह मकान छोड़ जायें जब कि हम ने उन के लिये और किसी जगह कोई व्यवस्था नहीं की थी । तब से वह वहीं रह रहे हैं ; अब चूंकि हम ने मकान बना दिये हैं अतः हम उन्हें वहां से हटा सकते हैं । तो इन को भी हम ने वहां से हटने के लिये कहा : कई धर्मशालायें छोड़कर चले गये किंतु जो मुफ्त में बिजली पानी और मकान, रहने के आदी हो गये थे उन्होंने जाने से इंकार किया । क्या इन परिवारों को वहां इसीलिये रहने दिया जाना चाहिये क्योंकि यह हठ कर रहे हैं और सरकारी आदेश को नहीं मानते हैं ? किसी दिन मुझे सदन से इन लोगों की स्थिति के संबंध में कोई निश्चित निर्णय मांगना पड़ेगा । यदि इन तीर्थस्थानों में रहने वालों का अभिप्राय वहीं रहने का है तो आप पुनर्वास मंत्रालय को बन्द कर दीजिये । मुझ से और मकान बनवाने को न कहिये क्योंकि इस हिसाब से जो जहां रह रहा है वह प्रसन्नता से ही रह रहा है । होना यह चाहिये था कि हरिद्वार में हम ने जो काम किया उस की प्रशंसा की जाती । मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री नन्द लाल शर्मा ने सरकार को बदनाम करने के लिये ही यह उदाहरण दिया था । मैं नहीं कहता कि काम पूरा हो चुका है । सत्य तो यह है कि विस्थापित व्यक्तियों की हर मांग को पूरा करना तो किसी मंत्रि-मंडल, सरकार अथवा पुनर्वास मंत्रालय के बस की बात नहीं । मान लीजिये कि एक छोटा पौदा है । आप इसको उखाड़ते हैं, और पुनः भूमि में लगाते हैं—ऐसी भूमि में जो अधिक उपजाऊ हो, किंतु तब भी उन्मूलन के कारण यह पौधा कमजोर हो जाता है । इसी प्रकार शरणार्थी भी उजाड़े गये हैं और अब कितना भी धन अथवा प्रयत्न उन के घायल हृदय को शांति नहीं पहुंचा सकता है ।

[श्री ए० पी० जैन]

मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस दिन मैं अपने आप को सेवा के योग्य नहीं समझूंगा उसी दिन यह पद छोड़ दुंगा ।

अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं आयव्ययक संबंधी सामान्य चर्चा के समय दुंगा । मुझे प्रसन्नता है कि लाला अचित राम ने अपने संशोधन पर ज़ोर न देने का निश्चय किया है । अब मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"विस्थापित व्यक्ति (दावे) **अधिनियम, १९५० में संशोधन** करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : लाला अचित राम के नाम में एक संशोधन है । मेरे विचार से वह उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं । श्री हुक्म सिंह के नाम में भी एक संशोधन है ।

श्री हुक्म सिंह : श्रीमान्, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं । मैं आशा करता था कि माननीय मंत्री क्षतिपूर्ति के संबंध में कुछ बातें बतायेंगे, किंतु उन्होंने कोई भी बात नहीं कही ।

श्री ए० पी० जैन: आज भी वही काम हो रहा है ।

खंड १ से ३ तक विधेयक का अंगबना लिये गये ।

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र **विधेयक का अंग बना लिये गये ।**

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

बाबू रामनारायण सिंह : यह विधेयक बहुत अच्छा है, बहस भी हो गई है । मुझे बहुत बोलने की ख्वाहिश नहीं थी लेकिन बहस के समय बहुत सी ऐसी बातें निकल पड़ीं इसलिये इस संबंध में कुछ बोलना आवश्यक हो जाता है । अब मेरे मित्र मंत्री महोदय ज़रूर मंजूर करेंगे कि इस विषय का, यानी निर्वासित लोगों के प्रश्न का, जिस तरह से स्वागत होना चाहिये था, स्वागत नही हुआ है । यह मानी हुई बात है कि इन्हीं निर्वासित लोगों का बलिदान दे कर हम लोगों ने आज़ादी ली है । इन्हीं निर्वासित लोगों का बलिदान देकर हमारे मित्र लोग मंत्रियों की गद्दियों पर विराजमान हैं । यहां पर मानवता का तकाज़ा है, कृतज्ञता का तकाज़ा है कि उन के प्रश्नों की ओर सब से पहले ध्यान देना चाहिये । एक डिपार्टमेंट (विभाग) बना दिया गया है, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट (पुनर्वास विभाग) और उसका काम बढ़ता चला जा रहा है । जब कभी कोई पद का निर्माण होता है या कोई डिपार्टमेंट का निर्माण होता है तो यह देखा जाता है कि काम हो जाने के बाद भी वह डिपार्टमेंट जारी रहता है सदा के लिये । यह बात अच्छी नहीं है, इस का मैं घोर विरोध करता हूं । मैं चाहता हूं कि जब यह काम शुरू हुआ था इस को वार बेसिस (युद्ध स्तर) पर तय करना चाहिये था—इस में सारे देश की, सारी सरकार की शक्ति लगनी चाहिये थी और निर्वासित लोगों के प्रश्न को छः महीने में खत्म कर दिया जाय । उस के लिये डिपार्टमेंट की और ज़रूरत नहीं थी और जिस तरह से हो उन के प्रश्न को हल कर देना चाहिये था, इस में सारी शक्ति लगनी चाहिये थी, जैसा कि मैं ने पहले भी कहा । लेकिन इस तरह का जो काम बढ़ता जा रहा है यह योग्य नहीं है ।

सभापति महोदय, हमारे मित्र अलगू राय शास्त्री ने बड़ा सुन्दर कहा कि होना तो चाहिये था यह कि गांधी जी की राय के मुताबिक जो हमारे निर्वासित भाई लोग जिस जगह से आये हैं उस जगह पर उनको बसा देना चाहिये था यदि हमारी सरकार में, हम लोगों में प्रेम बल है तो प्रेम बल के ज़रिये और यदि ज़रूरत होती तो शक्ति के ज़रिये । हमारे भाई अलगू राय जी ने बहुत अच्छा कहा । जो सरकार यह काम नहीं कर सकती है उसे सरकार कहलाने का हक़ नहीं है यह तो मान लेना चाहिये ।

मैं तो आप से कहता हूं कि आप को भी याद होगा कि जब कभी भी पाकिस्तान की बात उठाई जाती है तो हमारे प्रधान मंत्री बहुत कहते हैं कि "Pakistan has come to stay"["पाकिस्तान सदैव के लिये है "] अरे साहब, मैं भी आशीर्वाद करता हूं कि पाकिस्तान बना रहे, बरक़रार रहे, उस के खिलाफ नहीं कहता हूं लेकिन मैं यह कहता हूं कि चाहे प्राईम मिनिस्टर चाहे संसार के कितने लोग पाकिस्तान को कितने आशीर्वाद देते रहें, पाकिस्तान के लोगों को याद रखना चाहिये, हमारे प्राईम मिनिस्टर को याद रखना चाहिये, कि जब तक देश के किसी हिस्से में कोई निर्वासित लोग इस विचार से दुखित रहेंगे कि पाकिस्तान की वजह से उन को कष्ट हुआ है, तब तक पाकिस्तान का सिंहासन डांवाडोल रहेगा, यह मामूली बात नहीं है । मनुष्य को दुःख देकर, मनुष्य को कष्ट पहुंचा कर, मनुष्य को विपत्ति में डाल कर इस तरह के जो कार्य हुए, हैं वह न सफ़लीभूत हो सकते हैं और न होने चाहियें ।

खैर, जो कुछ हो गया हो गया, लेकिन आप को याद होगा कि कल या परसों इस बारे में प्रश्न उठा था कि यह जो निर्वासित लोगों के दावे की जांच हो रही है यह कहां हो रही है । मैं तो समझ रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि जांच पाकिस्तान में हो रही है । इस वास्ते मैं ने पूछा था कि जांच किस तरह से होती है । जांच तो उसी जगह होनी चाहिये जहां उन की जायदाद है, सम्पत्ति है । जायदाद तो पाकिस्तान में है, लाहौर में है करांची में है और जांच होती है यहां । इसी वास्ते मैं ने मंत्री महोदय से पूछा था कि जिस वक्त जांच होती है उस वक्त निर्वासित लोग हाज़िर रहते हैं या हमारी सरकार का कोई प्रतिनिधि रहता है तब उस वक्त कहा गया कि वह जांच वहां नहीं होती है, वह जांच तो दिल्ली में आफिस में बैठकर हो रही है । यहां पर जांच हो जाती है, कैसे हो जाती है और कैसे होती है यह शायद मंत्री महोदय जानें, लेकिन अब इस बारे में मैं मंत्री महोदय से कहूंगा, जैसा कि हमारे भाई अलगू राय जी ने भी कहा है और बात भी सही है, कि हमारे निर्वासित लोग जहां से आये हैं वहां उन को बसाना चाहिये । अगर वह नहीं हो सकता तो दूसरा उपाय यह हो सकता है कि उन लोगों का जितना वहां गया है उतना यहां मिलना चाहिये ।

अब प्रश्न यह है कि कैसे मिले और कहां से मिले । जो प्रापर्टी संपत्ति है उस की वैल्यूएशन (मूल्यांकन) होनी चाहिये और पाकिस्तान सरकार को और वहां की जनता को देना चाहिये । यही सत्य है और यही न्याय है । इसलिये इस तरह की कोशिश होनी चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने यह भी सुना है और बहुत से भाइयों को यह भय होता है कि जो इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रांत संपत्ति) है वह इवपरेट (अदृश्य) हो रही है या दिन ब दिन खत्म हो रही है ।

एक बात यह भी मालूम हुई हैं कि पाकिस्तान से कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, कि यहां

[बाबू रामनारायण सिंह]

आकर बसो । इस तरह की बात मालूम हुई, न मालूम कहां तक सत्य है, यह तो भगवान ही जानें । वहां से जो मुसलमान आयेंगे वह यहां पर कांग्रेस सरकार की मदद करेंगे । इस सरकार की मदद के लिये वहां से मुसलमानों को बुलाया जा रहा है और बसाया जा रहा है । यह बात कहां तक सत्य है, मैं नहीं कह सकता हूं ।

श्री त्यागी : यह बात आप ने कहां से सुनी ?

बाबू रामनारायण सिंह : नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं यहा पर कह देता । कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी । मगर मैं ने इस तरह की बात सुनी । मैं कहता हूं कि इस तरह की भावना को लेकर हमारे भाई यहां पर गद्दी पर रहना चाहते हैं । विदेशियों की मदद से और इस प्रकार की कार्यवाहियों से वह अपनी गद्दी क़ायम रखना चाहते हैं ।

अभी मेरे एक भाई ने ७० मकानों के गिराये जाने के बारे में कहा । मुझे उन के हटाये जाने पर दुःख हुआ मगर जैन साहब ने जो बातें कीं उस से मुझे कुछ शांति मिली । लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि क्या हमारी सरकार और उस के अफसरों की आंखें बन्द थीं जिस समय यह मकान बनाये गये थे या बनाने शुरू किये गये थे उन की आंखों के सामने यह मकान बनने शुरू हुए और पूरे हुए ; एक-दो सप्ताह में यह बनकर तैयार नहीं हो गये होंगे । कई महीनों में यह मकान बने होंगे । उस समय उन लोगों को मकान बनाने से क्यों नहीं रोका गया ? जब मकान बन गये तो एक बहाना लेकर कि उस जगह पर म्युनिसिपल्टी के लिये वाटर वर्क्स बनाया जा रहा है, इसलिये उन को हटाया गया है । अगर इस जगह पर वाटर वर्क्स न बनता और दूसरी जगह पर बना दिया जाता तो क्या कोई हर्ज था । अगर वह लोग वहां पर रहते तो आसमान नहीं टूट जाता और काम का भी कोई हर्ज नहीं होता । सरकार को और हमारे मंत्रीमंडल को अक्ल होनी चाहिये । दो चार वर्षों से वह लोग उन मकानों में रह रहे हैं और अब तक उन को नहीं हटाया गया । मुझे मालूम हुआ है कि अभी भी लोगों को उन के मकानों से हटाया जा रहा है । तो मैं कहता हूं कि जिस क़ानून के मुताबिक आप लोगों को हटा रहे हैं उस का ून को मैं आदमी का क़ानून नहीं कहूंगा । उसे लौलैस (विधिरहित) क़ानून कहा जायेगा । अगर कोई निर्वासित अपने स्थान से हटाया जायेगा....

श्री सी० आर० नरसिंहन् : श्रीमान्, प्रश्नौचित्य के हेतु पूछना चाहता हूं कि क्या 'अक्ल' संसदोचित शब्द है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उपाध्यक्ष जी, मैं आप के ज़रिये से बाबू रामनारायण सिंह जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस समय यह क़ानून (दिल्ली मकानादि अधिग्रहन तथा निस्मृति अधिनियम) यहां पर पास किया गया था वह खुद हाउस के एक मेम्बर थे या नहीं क्या यह एक्ट उन के सामने पास नहीं किया गया ? उस क़ानून के आधार पर अगर किसी को हटा दिया जाय तो उस क़ानून को लौलैस (विधिरहित) क़ानून कहना मुनासिब नहीं है ।

सभापति महोदय : उन्होंने ग़लती की होगी ।

बाबू रामनारायण सिंह : बहुत अच्छा प्रश्न किया । जिस तरह से यहां पर वोट (मतदान) होता है आप को मालूम है कि कोई प्रश्न सरकार की तरफ से पेश किया जाता है चाहे वह वाजिब हो या गैर वाजिब,

मंजूर हो जाता है। वोट देते समय यह सोचने का अधिकार किसी को नहीं रहता कि प्रश्न उचित है या अनुचित है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम किसी प्रकार का कोई संशोधन रखना चाहें तो उसका वही हाल होगा जिस तरह आप चाहेंगे। इस तरह की बातें चलती आई हैं। आखिर जो कुछ हुआ, सो हुआ। मैं अपने भाई अजीत प्रसाद से कहना चाहता हूं कि उन को सावधान रहना चाहिये और इस तरह की बातें न होनी चाहियें। मगर इस तरह का कोई आश्वासन ज़रूर दिया जाना चाहिये।

श्री त्यागी : आश्वासन तो मिलता है।

बाबू रामनारायण सिंह : उस के लिये धन्यवाद है। बिल का मैं स्वागत करता हूं। मुझे इस में कोई उज्र (आपत्ति) नहीं है। अगर उस में ६ महीने का संशोधन मान लिया जायगा तो मुझे खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न जल्दी हल हो जाये। कोई भी भाई मकान के बिना न रहे। कोई ऐसा न रहे कि जिसे रोज़गार न मिलता हो। उपाध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि आज तीन वर्ष होते हैं कि टंडन जी ने निर्वासित लोगों की एक सभा में कहा था कि जिस सरकार न निर्वासित लोगों को अब तक नहीं बसा दिया है उस सरकार को गद्दी पर रहने का हक्क नहीं है। इस के बाद दो वर्ष गुज़र गये। अगर इस चीज़ को ६ महीने के अन्दर तय नहीं किया जाता तो इस सरकार को वहां से दूर हो जाना चाहिये।

श्री मेंघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : श्रीमान्, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे यह अवसर दिया है...

एक माननीय सदस्य : उन्होंने नहीं दिया है।

सभापति महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य कृपया अपनी जगह पर बैठ जायें। मैं तो माननीय सदस्यों से कहने वाला था कि तीसरे वाचन के समय चर्चा की बहुत कम गुंजायश होती है।

श्री मेघनाद साहा : श्रीमान्, बहुत संक्षिप्त भाषण दूंगा।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा।

श्री मेंघनाद साहा : अपने बाईं ओर बैठे हुये मित्र को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल मेरे मन की बातें कही हैं। मैं पूर्वी बंगाल का निवासी हूं और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे लाखों परिचित और संबंधी अपनी संपत्तियां छोड़कर उजड़ी दशा में पश्चिमी बंगाल चले आये हैं। मैं यह भी जानता हूं कि भारत सरकार ने इन लोगों को बसाने के लिये करोड़ों रुपये व्यय किये हैं, किंतु मुझे विवश होकर कहना पड़ रहा है कि सरकार के यह प्रयत्न अपर्याप्त हैं। जब यह निष्क्रमण आरम्भ हुआ था उस समय मैं ने स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल से कहा भी था कि इस समस्या का सामना प्रतिरक्षा के आधार पर ही किया जा सकता है।

सभापति महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य सदन में नये नये ही आये हैं उन्हें विदित होना चाहिये कि इस विधेयक के संबंध में अब बोलने की बहुत कम गुंजायश है। इस का संबंध दावों से है शरणार्थियों की मुसीबतों की कहानी नहीं दोहराई जा सकती। माननीय सदस्य उन बातों के संबंध में फिर कभी बोलें।

श्री मेघनाद साहा : सरकार ने इन की व्यवस्था करने में एक बड़ी भारीप्रशासनिक भूल की। यदि आपातकालीन उपायों से काम लिया गया होता तो इन को अधिक सहायता मिली होती। विस्थापित व्यक्तियों को

[श्री मेघनाद साहा]

भूमि की आवश्यकता है, और पश्चिमी बंगाल में २० लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि है। मेरा सुझाव था कि वह भूमि इन शरणार्थियों को किसी पद्धति से बांटी जाती किंतु ऐसा नहीं हुआ। यदि साधारण गति से भूमि प्राप्त की जाये इस में दो चार वर्ष लगेंगे और बाद में मुक़दमेबाज़ी होगी। मैं मंत्रियों और विरोधी दल के सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि सहायता निधि का पैसा शरणार्थियों को नहीं बल्कि लालची ज़मीदारों को मिला है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय तटकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस संशोधन विधेयक में बहुत सी मदें हैं। मैं समझता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने प्रत्येक सदस्य के पास इस विधेयक संबंधी टिप्पणियां भेज दी हैं। इस विधेयक में जो भी वस्तुएं उल्लिखित हैं उन में से ज़िप चेनों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं को संरक्षण मिला हुआ है। भारतीय तटकर अधिनियम की धारा ३ क द्वारा सरकार को जो अधिकार प्राप्त हैं उन के अन्तर्गत इन चेनों का कोई भी उल्लेख नहीं है। प्रत्येक वस्तु के संरक्षण की अवधि एक सी नहीं है। इन में से दो वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये सरकार ने स्वेच्छा से ही काम लिया है, तटकर आयोग की सिपारिशें नहीं मांगी हैं। और अब इन दो वस्तुओं—एल्यूमीनियम तथा बाइसिकलों के संबंध में तटकर आयोग विचार कर रहा है और इसी वर्ष वह अपनी रिपोर्ट भी भेज देगा। चूंकि संरक्षण की अवधि समाप्त हो रही थी अतः सरकार ने स्वयं ही इस वर्ष के अन्त तक इन को संरक्षण देने की व्यवस्था की थी, ताकि इसी बीच तटकर आयोग की सिपारिशों के अनुसार काम किया जा सके।

इस में कुछ अन्य वस्तुऐं भी हैं। और यह साबूदाने का चूर्ण, निशास्ता तथा फैरिना हैं। इन का संबंध निशास्ता उद्योग से है। इन के संबंध में प्रति वर्ष विचार हुआ करता है। निशास्ता उद्योग को ब्रिटिश भारतीय सरकार ने सन् १९४४ में संरक्षण देने का वचन दिया था। सन् १९४८ में तटकर पर्षद् ने संरक्षण दिये जाने की सिपारिश की और तब से इसे संरक्षण मिला हुआ है।

रेशम से बनी वस्तुऐं, रेशमी धागे की कतरन, रेशमी धागा, रेशम का सीने का धागा तथा इस से भिन्न धागे जिन में ९० प्रति शत रेशम हो—इन सभी को संरक्षण प्राप्त है। इस उद्योग को सन् १९५२ के अन्त तक ही संरक्षण प्राप्त है। इस में आश्चर्य की कोई भी बात नहीं कि इस उद्योग को इतने कम समय के लिये क्यों संरक्षण मिला है। रेशम उद्योगपतियों ने पूरी तरह से पर्षद के समक्ष अपना मामला पेश नही किया था, किंतु चूंकि सरकार को इस उद्योग में रुचि है अतः इस की जांच हो रही है। संभव है यदि आयात नियंत्रणों से इस का काम नहीं चलाया जा सका तो यह मामला पुन तटकर आयोग के पास भेजा जायगा।

मदें ७५(५), ७५(६), ७५ (७) और ७५(८) संख्या वाली साइकिलों के संबंध में हैं। इस के बाद की मद वर्णसंकर धातुओं तथा इस्पात के संबंध में है, यह दोनों धातुऐं उपकरण बनाने के काम आती हैं। इन का उल्लेख तटकर पर्षद् की रिपोर्ट में आया है, और इन्हें दिसम्बर १९५४ तक संरक्षण प्राप्त होगा।

मदें ६६(क) और ६६(१) ऐल्यूमीनियम के संबंध में हैं। इसे इस समय अस्थायी संरक्षण प्राप्त है, किंतु तटकर आयोग इस मामले पर भी विचार कर रहा है।

अगली मद चक्की के पहियों के संबंध में है। इस समय इस को प्राप्त संरक्षण समाप्त हो चुका है; और जब तक दोनों सदन इन से संबंधित विधेयक पारित नहीं करते तब तक इसे संरक्षण नहीं मिल सकेगा। इस के संबंध में तटकर पर्षद् की रिपोर्ट कुछ भिन्न है। इन पर जो कर लगता है वह १०५ प्रति शत से घटा कर ५० प्रति शत कर दिया गया है। संरक्षित श्रेणी में चक्की के बड़े बड़े पहिये सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि यह हमारे देश में नहीं बनाये जाते हैं और उद्योग को इन को आवश्यकता होती है।

ज़िप चेनों को तब तक संरक्षण प्रदान नहीं किया जायगा जब तक सदन इस विधेयक को स्वीकार नहीं करेगा। वित्त विभाग ने समुद्र निराक्राम्य-कर अधिनियम के अन्तर्गत शुल्कों में कुछ कमी तो की है, किंतु उसे संरक्षणात्मक नहीं कहा जा सकता।

तटकर अनुसूची के अन्त में, मद संख्या ७५ (९) (२), में जो परिवर्तन हुआ है, उस का स्पष्टीकरण होना चाहिये, वह यह है कि दूसरे स्तम्भ में जहां "चमड़ा" शब्द प्रथम बार आया है, वहां उसी के बाद "प्लास्टिक" शब्द निविष्ट किया जायगा। इस से अनुसूची नवीनतम हो जायेगी क्योंकि यह मद मोटर गाड़ी उद्योग के पुरज़ों के संबंध में है। यह परिवर्तन इसी लियेकिया गया है क्योंकि अब मोटर के अन्दर सजाने का सामान प्लास्टिक का ही बनता है।

इस विधेयक में आई हुई सभी मदें विचारणीय नहीं हैं। बाइसिकल और एल्यूमीनियम चूंकि आवश्यक वस्तुऐं हैं और साधारण जनता के काम आती हैं, इसीलिये इन्हें इस समय अस्थायी संरक्षण प्रदान किया गया है। तटकर आयोग की रिपोर्ट के समय इन पर पुनः विचार होगा। संरक्षण के संबंध में आप को असंतुष्ट नहीं होना चाहिये क्योंकि सरकार के इस मंत्रालय की भी अपनी सीमायें हैं; और इस संबंध में तटकर आयोग की सिपारिशों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। मुझ से एक माननीय सदस्य ने अलग से कहा था, "मैं चाहता हूं कि शुल्क और भी बढ़ाया जाय।" मैं उन को सूचित करना चाहता हूं कि स्वयं मैं इस बात का निश्चय नहीं कर सकता हूं। भले ही इस का प्रभाव साधारण उपभोक्ता पर पड़े, इस का निश्चय तटकर आयोग ही करेगा, क्योंकि वह ही एक मात्र परिनियत संस्था है। यही कारण है कि हम इस विषय में ऐसा कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते जो शुल्क बढ़ाने के निमित्त प्रस्तुत किया गया हो। सदन चाहे तो विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता है, अथवा संरक्षण की मात्रा को घटा सकता है—इस मामले में सदन ही संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न है, सरकार नहीं। सरकार स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती—न शुल्क बढ़ा सकती है और न इस विधेयक में और कोई मद ही सम्मिलित कर सकती ह।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

> "भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४, में अग्रेतर संशोधनाकरने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : इन मदों में से मुझे दो वस्तुओं में रुचि है, जिन के सम्बन्ध में सदन के समक्ष मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । मद ११(२), साबूदाने के चूर्ण, के संबंध में मुझे कई बातें कहनी हैं । मांडी उद्योग तीन मुख्य उद्योगों,—वस्त्र, पटसन तथा कागज़—के लि आवश्यक है तटकर आयोग की रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि इस देश में प्रति वर्ष ५०,००० टन मांडी की आवश्यकता होती है । रिपोर्ट के पृष्ठ ३० पर यह भी कहा गया है कि स्वदेशी पदार्थों से ९० हज़ार टन मांडी तैयार हो सकती है । इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यद्यपि वर्तमान आवश्यकता केवल ५०,००० टन की है, फिर भी, गेहूं की मांडी को छोड़कर भिन्न प्रकार की अन्य मांडियों की खपत यदि आकार नियंत्रण आदेश हटाया जाय तो संभवत: ७५-८० हज़ार टन तक बढ़ जायेगी । यदि यह ठीक है, तो भी हमारे देश में ऐसी सामग्री है जिस को अभी काम में नहीं लाया गया है । यदि हम उस स्वदेशी सामग्री का प्रयोग करें तो हम मांडी-उत्पादन में आत्मनिर्भर होंगे । इस स्थिति में हमारे पास प्रति वर्ष १०,००० टन मांडी अधिक बची रहेगी । यही कारण है कि मांडी उद्योग को संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है ।

मेरे माननीय मित्र का कहना है कि इस समय शुल्क नहीं बढ़ाया जा सकता है । कितना ही अच्छा होता यदि सदन को यह अधिकार प्राप्त होता .....

सभापति महोदय : सदन को हर समय अधिकार प्राप्त है किन्तु इसके लिये केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : अब मैं बताऊं कि क्यों शुल्क बढ़ा दिया जाना चाहिये ? इस समय मकई और टेपियोका से मांडी बनाई जाती है । त्रावनकोर निवासी मेरे मित्रों को ज्ञात है कि टेपियोका दक्षिण में खाद्यान्न का काम देता है । कितने दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मूल्यवान खाद्यान्न को मांडी-उद्योग में लगाया जा रहा है ।

इसी प्रकार यदि साबूदाने का निर्बाध आयात हो तो हमारे देश के मांडी उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । मद्रास राज्य में सलेम नगर के आस पास लगभग १०० साबूदाने के कारखाने हैं जिन में से लगभग ६ साबूदाने की मांडी बनाते हैं । इन कारखानों को साबूदाने के अन्धाधुन्ध आयात से भारी क्षति पहुंची है । विदेशों से आयात की जाने वाली मांडी तो सस्ते दामों पर तैयार की जाती है । देखना यह है कि किस प्रकार वह सस्ते दामों में इस को बनाते हैं । इस स्वदेशी उद्योग को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है ।

मैं इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि इमली के बीजों का भी पूरा पूरा उपयोग किया जाय इस सिलसिले में माननीय सदस्यों का तटकर पर्षद् की रिपोर्ट में से एक उद्धरण सुनाना चाहता हूं ।

उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ ३० पर लिखा है :

> "खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा दिनांक २५ मई, १९५१ को प्रस्तुत नोट में बतलाया गया था कि बम्बई नगर में जहां इस प्रकार का एक अधिक महत्व-पूर्ण कारखाना था, बिजली न मिलने के कारण इमली के बीज के चूर्ण पर किया जाने वाला अनुसन्धान कार्य बहुत ही मन्द रहा है ।"

इसी पृष्ठ पर यह भी बताया गया है :

> "इण्डियन स्टैंडर्डस् इन्स्टीट्यूट (भारतीय प्रमाप संस्था) ने इमली के बीज के चूर्ण के लिये पहले ही विशेष प्रमाप का नमूना तैयार किया था, जिस पर अब विचार हो रहा है, और आगामी ३ महीनों में ही इसे काम में लाया जायेगा ।"

इमली के जिस बीज को बेकार समझ कर फेंका जाता है, उसी से धन कमाया जा सकता है। इन बीजों से न केवल हमारी आवश्यकतायें पूरी होंगी बल्कि हमारे पास ५०,००० टन मांडा बची रहेगी। मद्रास राज्य में सड़कों के दोनों ओर इमली के पेड़ लगे हैं, यदि उन से लाभ उठाया जाय, तो जो धन इस समय मांडी के आयात पर व्यय किया जाता है वह देश के अन्य आवश्यक निर्माण-कार्यों में लगाया जा सकेगा ।

इसी प्रसंग में एक और बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि इमली के बीज से एक और उद्योग के लिये सामग्री प्राप्त हो सकती है। इमली के बीज के भूरे रंग के छिलके में टैनिन होता है जिस से टैनिक एसिड (शाल्किक अम्ल) बनाया जाता है—और यह शाल्किक अम्ल जोशीले वक्ताओं के गले की खराश को दूर कर सकता है ।

मैं निवेदन करता हूं कि इमली के बीजों की गिरी से लाभ उठाया जाये और इस बात का प्रयत्न किया जाय कि फेंके जाने की बजाय इस से कम से कम ९० हज़ार टन मांडी प्राप्त की जाये ।

अब मैं रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के सम्बन्ध में रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि विदेशों से रेशम का जो आयात किया जाता है उस से हमारे देश के रेशम के उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में काश्मीर, बंगाल, मैसूर, कोयम-बटूर जिले के कोल्लेगल तालुका और सलेम जिले के होसर तालुका में कुटीर उद्योग के स्तर पर रेशम बनाने का काम होता है। यदि इस उद्योग को संरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा तो इस का यह परिणाम होगा कि यहां के रेशम के दाम अधिक होने के कारण वह विदेशी रेशम के सामने टिक नहीं सकेगा। यदि आप यह स्थिति स्वीकार करते हों तो मैं इसी रिपोर्ट की एक और बात सुनाता हूं। अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश ही में, प्रति वर्ष ४० लाख पौंड रेशम की आवश्यकता होती है। विगत तीन वर्षों में हमारा देशीय उत्पादन प्रति वर्ष केवल २१ लाख पौंड रहा है। तो इस तरह हम अपनी आवश्यकताओं का केवल ५० प्रति शत पूरा कर पाते हैं, और शेष ५० प्रति वर्ष विदेशों से आता है। अब मई १९५२ है। यदि यह विधेयक पारित हो भी जाय तो भी दिसम्बर १९५२ तक ही यह संरक्षण दिया जा सकेगा। क्या इतनी अल्पावधि में हमारे उद्योग इस ५० प्रति शत कमी को पूरा कर लेंगे ? जब तक रेशम बनाने वालों को इस बात की प्रत्याभूति नहीं दी जायेगी कि उन्हें देर तक संरक्षण मिलेगा तब तक वह इस उद्योग में धन नहीं लगायेंगे ।

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उक्त रिपोर्ट के ३२वें और ३३वें पृष्ठों पर परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। ३२वें पृष्ठ पर यह लिखा गया है कि पर्षद् प्रति छः महीने बाद इस बात की जांच करेगा कि संरक्षण दिया जाये या नहीं और पृष्ठ संख्या ३३ पर यह लिखा है :

> "जनता से पूछताछ करने पर जब राय ली गई तो इस बात का पता चला कि इस प्रकार की अस्थिरता से रेशम के कोयों और कच्चे रेशम के प्रकार में कोई सुधार नहीं हो सकता । हम इस बात से सहमत हैं कि शहतूत का दाम कम करने

[श्री एस० वी० रामस्वमी]

> तथा रेशम के कीड़ों के बीजों में सुधार के लिये उपायों की अपेक्षा यदि रेशम के दामों को स्थिर किया जाय तो बढ़िया प्रकार के कोयें तथा रेशम का उत्पादन हो सकेगा ।"

यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय एक प्रकार से परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, तीन महीने और छः महीने के संरक्षण से काम नहीं चलेगा । यदि आप इस उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप को लम्बी अवधि के लिये संरक्षण देना पड़ेगा ।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : मैं केवल ज़िप चेनों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । उद्योगों को संरक्षण देने का प्रश्न सामयिक है । हम सभी इस का स्वागत करते हैं क्योंकि छोटी सामग्री से अधिक धन कमाने का कार्य हमारे देश में पहली बार आरम्भ हुआ है । अन्य देशों में इस उद्योग ने बहुत धन कमाया है । हमारे देश में ज़िप चेनों को बहुत से कामों में लाया जाता है । मैं समझता हूं कि यहां इस की बहुत अधिक मांग होगी । तटकर पर्षद् का अनुमान है कि प्रति वर्ष साढ़े सात लाख जिप चेनों की मांग होगी लेकिन इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि चमड़े के थैलों, जनाना हैंड बैगों और छोटे छोटे बक्सों और पेटियों, इन सभी में चेनें लगती हैं, अतः इस की बहुत अधिक मांग होगी । हमारी बुशर्टों में तो प्लास्टिक की ज़िप चेनें लगती हैं किन्तु इस प्रकार की चेनों को संरक्षण नहीं मिलता है । जहां तक पीतल की ज़िप चेनों के बनाने का प्रश्न है, हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर इन का निर्माण हो रहा है, किन्तु जब तक सरकार सहायता नहीं देती तब तक यह उद्योग विदेशी माल से प्रतिद्वन्द्विता नहीं कर सकता । इस उद्योग ने आज तक बहुत कम चेनें बनाई हैं, सन् १९५० में इस ने लग भग ६१,००० फुट चेनें बनाई, और सन् १९५१ में ६७,००० फुट । किन्तु हमें तटकर रिपोर्ट देख कर प्रसन्नता होती है कि सन् १९५१-५२ में १,२०,००० फुट और सन् १९५२-५३ में ४,८०,००० फुट चेन बनाई जाने की आशा की जाती है । यह भी आशा की जाती है कि सन् १९५३-५४ में ७,२०,००० फुट चेन बनाई जायेगी । इस से स्पष्ट होता है कि विशेषज्ञों ने इस प्रश्न की भी भलीभांति छान बीन की है कि इस उद्योग को सरकार और जनता की सहायता मिलनी चाहिये ।

तटकर पर्षद् ने और एक दो बातों पर कुछ सिफारिशें की हैं : मुझे मालूम नहीं कि सरकार उन को भी संरक्षण प्रदान करेगी या नहीं । उदाहरण के लिये पीतल की पट्टियों को लीजिये । ज़िप चेनें बनाने के लिये मुख्यतः इन्हीं से काम लिया जाता है किन्तु हमारे देश में यह पट्टियां उपलब्ध नहीं हैं । इसीलिये ज़िप चेनें बनाने वाली कम्पनियों ने इस बात का अनुरोध किया था कि पीतल की पट्टियों के आयात को वह चाहे सुलभ मुद्रा अथवा दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से मंगाई जायें, सुरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये । मुझे मालूम नहीं कि वित्त मंत्री ने इस के विषय में क्या सोचा है, किन्तु देश के इस उद्योग को यदि वह समृद्ध बनाना चाहते हैं तो दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों से भी उन्हें पीतल की पट्टियां मंगानी पड़ेंगी । इस में यह भी एक कठिनाई है कि पट्टियों के ३५ प्रति शत भाग से ज़िप चेनें बन सकती हैं शेष ६५ प्रतिशत पट्टी बेकार जाती है, तो इस प्रकार उस कतरन को काम में लाने की अभी इस देश में कोई भी व्यवस्था नहीं है अतः मैं अनुरोध करता हूं कि कारखानों को आज्ञा दी जानी चाहिये कि वह इस कतरन को विदेशों में भेज कर वहां से इस की फिर पट्टियां बनवा कर आयात कर सकें, नहीं तो देश के इस उद्योग को भारी क्षति उठानी पड़ेगी ।

संशोधन विधेयक

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार इस नवजात उद्योग को संरक्षण देना चाहती है। इस के लिये दो ही सुविधाओं की आवश्यकता है —एक यह कि पीतल की कतरन को निर्यात किया जा सके और दूसरे यह कि दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों से पीतल की पट्टियां मंगाई जा सकें। आशा है, सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : मैं समझता हूं कि सरकार पर इस बात का दायित्व है कि भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाय, अतः ऐसा करने में कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। देखना यह है कि जितना भी संरक्षण दिया जाता है वह पर्याप्त है अथवा नहीं, तथा यह भी देखना है कि उद्योगपति उस का कोई दुरुपयोग तो नहीं करते। माननीय मंत्री ने उपभोक्ताओं के पक्ष पर जोर दिया है, मेरी भी यही धारणा है कि संरक्षण प्रदान करते समय उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिये। माननीय मंत्री देखेंगे कि रिपोर्ट के अनुसार सन् १९५० से पहले साबूदाने तथा टेपियोका का उचित बिक्री मूल्य ३४ रुपये प्रति हंडरवेट था, सन् १९५० में इस का मूल्य ४१ रुपये प्रति हंडरवेट हो गया और अब यह मूल्य ६१ रुपये प्रति हंडरवेट है। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या इस उद्योग को दिये जाने वाले संरक्षण का दुरुपयोग तो नहीं होता है। उत्पादन व्यय के इतना बढ़ जाने का क्या कारण है? रिपोर्ट में इस का एक कारण यह बताया गया है कि मकई की मांडी बनाने का परिव्यय बढ़ने के कारण उत्पादन परिव्यय बढ़ गया है।

१ म० प०

सभापति महोदय : अब एक बज चुका है, माननीय सदस्य बाद में भाषण जारी करें

—— के पश्चात् सदन की बैठक पांच बजे तक के लिय स्थगित हो गई।

सदन की बैठक पांच बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीनथे]

सामान्य आयव्ययक, १९५२-५३

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं इसे अपना अहोभाग्य समझता हूं कि मुझे संविधान के अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यों की इस प्रथम संसद् के समक्ष आयव्ययक प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि चालू वर्ष का आयव्ययक विगत फरवरी में अस्थायी संसद् के समक्ष सदा की तरह प्रस्तुत किया गया था, और उस संसद् ने लेखानुदान द्वारा चालू वर्ष के प्रथम चार महीनों के लिये आयव्ययक स्वीकार किया था। उसी संसद् द्वारा एक वित्त अधिनियम भी पारित किया गया था कि इस वर्ष में चालू करों को यथापूर्व आरोपित किया जाय। मैं ने उस समय यह कहा था कि नई सरकार जिन बातों में परिवर्तन करना आवश्यक समझेगी उन में परिवर्तन कर के इस आयव्ययक को नई संसद् के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायेगा।

आयव्ययक भाषण में जो भी तथ्यात्मक सूचना दी गई थी वह उस श्वेत पत्र में दी गई थी जो विगत फरवरी में आयव्ययक के साथ ही परिचालित किया गया था। मैं इस समय उस श्वेत पत्र की सारी बातों पर नहीं बोलूंगा, अपितु उन परिवर्तनों पर कुछ शब्द कहूंगा जो अस्थायी संसद् को आयव्ययक प्रस्तुत करने के समय से हुए हैं।

विगत फरवरी के अपने उस भाषण में मैं ने जुलाई १९५१ के बाद से मूल्यों में हुई

[श्री सी० डी० देशमूख]

गिरावट का स्वागत करते हुए कहा था कि इस से देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा। जनवरी १९५२ के अन्त में थोक दामों का साधारण देशनांक ४३०.३ था, अप्रैल १९५१ के सब से ऊंचे देशनांक ४५७.५ में ६ प्रति शत की कमी हुई थी। जनवरी और मार्च के बीच देशनांक में और भी कमी हुई यहां तक कि यह ३६४.९ पर पहुंच गया अर्थात् मार्च के मध्य तक और भी १४ प्रति शत की कमी हो गई। इस के बाद से कुछ बढ़ती हुई है और ३ मई को समाप्त होने वाले सप्ताह का देशनांक ३६९.८ है जब कि क्रमशः अगस्त १९४७, मई १९४८ और मई १९५० के तत्संवादी देशनांक ३०१.४, ३६७.२ और ३९३.३ थे।

प्रत्येक वस्तु के दाम में इस प्रकार शनैः शनैः कमी होती गई, यद्यपि कई वस्तुओं में सहसा कमी हुई। जून १९५० से दामों में जो कृत्रिम बढ़ती हुई थी उस के तो अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कारण थे, किन्तु यह सब बातें समाप्त हो चुकी हैं। अधिक उत्पादन तथा अधिक आयातों के परिणामस्वरूप साधारण आन्तरिक प्रदाय स्थिति में सुधार करने तथा मुद्रास्फीति को रोकने के लिये सरकार द्वारा अपनाई नई ऋण देने की नीति भी इस के कारण हैं। कई वस्तुओं के दाम सट्टेबाजी जैसे काल्पनिक व्यापार के कारण कुछ बढ़ गये थे, किन्तु उन का उल्टा प्रभाव पड़ा और वह कम हो गये। यद्यपि व्यापारियों को बहुत ही बाधायें आई हैं फिर भी दाम कम हो जाने से देश की अर्थ व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। यदि व्यापारी मितव्ययता तथा उत्पादन क्षमता से काम लें तो उन की भलाई होगी।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि जब सहसा दाम गिरे थे तो देश के निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा था, और उस समय सरकार ने क्या उपाय किये थे। विगत फरवरी में टाट का निर्यात-शुल्क १,५०० रुपये प्रति टन से घटा कर ७५० रुपये प्रति टन कर दिया गया था अब इस में और भी कमी कर दी गई है और अब केवल राजस्व शुल्क के रूप में २७५ रुपये प्रति टन लिया जाता है। इसी प्रकार बोरियों का शुल्क भी ३५० रुपया प्रति टन था और यह शुल्क अब घटा कर १७५ रुपया प्रति टन कर दिया गया है। कपास और रद्दी रुई पर भी निर्यात शुल्क घटा दिये गये हैं। किन्तु ऊन, मूंगफली के तेल और कुछ तिलहनों पर से शुल्क हटा दिया गया है। पटसन की वस्तुओं के निर्यात पर से अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रतिबन्ध बिल्कुल हटा लिये गये हैं। सूती कपड़े के वितरण पर जो प्रतिबन्ध थे वह भी हटाये गये हैं और मिलों को आज्ञा दी गई है कि वह सारा महीन और अति महीन कपड़ा तथा ८० प्रति शत मोटा और मध्यम श्रेणी का कपड़ा खुले रूप से बेच सकती हैं। सितम्बर १९५२ के अन्त तक उन्हें महीन और अति महीन कपड़े को खुले रूप से निर्यात करने की आज्ञा भी दे दी गई है। पिछले सप्ताह अगस्त १९५२ के अन्त तक सरकार ने मोटे और मध्यम श्रेणी के कपड़े के निर्बाध निर्यात की भी आज्ञा दे दी है। सरकार ने ऋण देने की विशेष सुविधायें दे कर इस उद्योग को विदेशी रुई खरीदने में सहायता दी है, और न्यूनतम दामों पर कपास खरीदने का प्रस्ताव कर के सरकार ने दामों की गिरावट को भी रोक लिया है।

बिजली बन्द होने तथा आवश्यक कच्चे माल के न मिलने के बावजूद भी सन् १९५१ में औद्योगिक उत्पादन में अच्छी प्रगति हुई है। इस वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में इस्पात, सीमेन्ट तथा सूती वस्त्र जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में सुधार होता रहा है। पटसन

उद्योग ने भी उत्पादन में प्रगति क थी किन्तु हाली अप्रैल से मांग कम हो जाने के कारण इस उद्योग ने अपने काम के घंटे कम कर दिये। इस प्रकार मांग कम हो जाने से बहुत से उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं, किन्तु उत्पादन और मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित होने पर उत्पादन भी पहले की स्थिति पर आ जायेगा ।

अनावृष्टि अथवा कम वृष्टि के कारण कई क्षेत्रों में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन सफ़ल नहीं रहा, फ़िर भी कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है । पटसन का उत्पादन सन् १९४७-४८ के मुकाबले में तीन गुना बढ़ा है और ४६.८ लाख गांठ तक पहुंच गया है । मौसम खराब रहने के बावजूद भी कपास की फ़सल बहुत ही अच्छी रही है । इस बार ३३ लाख गांठ का उत्पादन होगा जब कि सन् १९४७-४८ में केवल २४ लाख गांठों का उत्पादन हुआ था । चीनी के उत्पादन में भी बहुत वृद्धि हुई है, अनुमान लगाया जाता है कि १३$\frac{1}{2}$ लाख टन चीनी बनाई जायेगी जब कि सन् १९४७-४८ में १०$\frac{3}{4}$ लाख टन चीनी बनी थी । सदन को ज्ञात होगा कि श्री वी० टी० कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है : यह समिति अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की सफ़लताओं के विषय में जांच कर रही है और इस के परिणामों की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा है ।

पिछले सप्ताहों में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि गत कुछ मासों की मूल्यों में गिरावट देश में आने वाली मन्दी का द्योतक तो नहीं है । स्वयं मैं ऐसा नहीं समझता । बहुत कुछ तो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर करता है । कुशल अर्थशास्त्रज्ञों का कहना है कि कई वर्षों से संसार की अर्थव्यवस्था में मुद्रा-स्फ़ीति रही है, और अब इसी का परिणाम है कि दाम गिर रहे हैं । मैं नहीं चाहता कि जनता की क्रय शक्ति बढ़ा कर देश की अर्थ व्यवस्था को और भी बिगाड़ दिया जाये । इतना तो स्पष्ट है कि मूल्य पहले से अधिक स्थिर स्तर पर पहुंच रहे हैं । जहां रोज़गार और उत्पादन में कमी हुई, वहां देश की अर्थ व्यवस्था को धक्का पहुंचेगा । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस दिशा में बहुत ही सचेत है कि दाम गिर जाने से कहीं रोज़गार और उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े ।

अब मैं देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर कुछ शब्द कहूंगा । अन्तरिम आयव्ययक के श्वेत पत्र में और विगत फ़रवरी के अपने भाषण में मैं ने बताया था कि सन् १९५० के मुकाबले में गत वर्ष भुगतान स्थिति हमारे पक्ष में नहीं थी । अमरीकी गेहूं ऋण से धनराशि प्राप्त करने के बाद भी चालू लेन देन में लगभग ३० करोड़ रुपये का घाटा होगा । इस वर्ष के प्रथम चार महीनों में तो यह घाटा पूर्ववत् रहा है और दिसम्बर १९५१ और अप्रैल १९५२ के बीच पौण्ड पावने में ८१ करोड़ रुपये की जो कमी हुई है उस से भी इसी बात का पता चलता है ।

इस से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि हमें इस स्थिति का ज्ञान नहीं था । कोरियाई युद्ध के बाद रुपये के अवमूल्यन तथा दामों में हुई वृद्धि से सन् १९५० में और १९५१ के प्रारम्भ में हमारे भुगतान सन्तुलन में काफ़ी पैसा बचा था, किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण हम विदेशों से आयात नहीं कर सके । परिणाम यह हुआ कि आवश्यक वस्तुओं के घरेलू भंडार बहुत कम रह गये अतः निर्यात कम करने से भंडार को बराबर करना पड़ा, इस तरह सूती वस्त्रों, तेल तथा तिलहन की कमी पूरी की गई । अनाज के आयात में हमें अनिवार्यतः वृद्धि करनी पड़ी थी जिस के परिणामस्वरूप इस अवधि में आयात-आधिक्य रहा । यह कहना अन्याय होगा कि देश की सम्पत्ति को नष्ट किया जा रहा है । यह घाटा

[श्री सी० डी० दशमूख]

एक प्रकार से सुयोजित घाटा कहा जा सकता है। इसी सिलसिले में मैं यह बताना चाहता हूं कि सन् १९५० में और सन् १९५१ के पहले महीनों में हमारे पास जो आधिक्य रहा, उसी से गत मास के अन्त तक के इस घाटे को पूरा किया गया है। पौण्ड पावना करार के अन्तर्गत जून १९५२ में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये दिये गये ३,५०,००,००० पौण्ड में से हमें कुछ भी निकलवाना नहीं पड़ा।

संसार परिस्थिति में परिवर्तन होने के कारण तथा हमारे निर्यात की कुछ मुख्य वस्तुओं की मांग और उन के मूल्यों में कमी होने के कारण हाल के महीनों में ही हमारे भुगतान सन्तुलन में घाटा बढ़ने लगा है। मैं ने आप को बताया था कि सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं। हम ने निर्यात के लिये अनुज्ञप्तियां जारी करने की और भी सुविधायें दी हैं। भविष्य की बात तो नहीं कही जा सकती। वह सब संसार की स्थिति पर निर्भर करती है किन्तु इतना तो मैं आश्वासन देता हूं कि संचित पौण्ड पावने में से हमें जितनी भी राशि मिल सकेगी उसी से घाटे को पूरा किया जायेगा।

श्वेत पत्र में सन् १९५१ की इस देश की डालर स्थिति, तथा पौण्ड क्षेत्रों की तबाही का संक्षिप्त विवरण भी है, और उस में यह भी दिया गया है कि किस प्रकार केन्द्रीय संचित निधि से कम से कम राशि ली जायेगी। पहली जनवरी को लन्दन में आयोजित वित्त मंत्रियों की बैठक में जो बातें हुई थीं मंडलीय सरकारों ने अभी उन पर पूरी तरह से काम शुरू नहीं किया है किन्तु तो भी मार्च १९५२ में पौण्ड क्षेत्रों में सुवर्ण और डालर की संचित निधियों में ह्रास होना कुछ रुक गया है। भारत के सम्बन्ध में यह आशा की जा सकती है कि गेहूं तथा कपास के भंडारों में जो अपेक्षतया सुधार हुआ है उस से इस वर्ष के उत्तरार्ध में डालर के व्यय में कमी हो जानी चाहिये। इस बात की भी संभावना है कि टाट के निर्यात शुल्क में जो हाल में कमी हुई है उस से इस का निर्यात बढ़ जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के साथ बात चीत हो रही है, यदि उन्होंने ऋण देना स्वीकार किया तो, उस से देश की डालर स्थिति सुधर जायेगी।

अस्थायी संसद् के समक्ष जो आयव्ययक प्रस्तुत किया गया था, उस में किये गये परिवर्त्तनों पर मैं अब कुछ शब्द कहूंगा। इस से पूर्व अनुदानों की मांगें तैयार करने में एक परिवर्तन की सूचना देना चाहता हूं। अब तक संसद् से वसूली की राशि घटा कर अनुदान की विशुद्ध राशि पर मत लिया जाता था, किन्तु अभी हाल में महानियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के साथ परामर्श किया गया है और यह निश्चय हुआ है कि भविष्य में व्यय में से वसूली बिना घटाये अनुदान की मांग की कुल राशि प्रस्तुत की जानी चाहिये। यह वसूली उस में से काट ली जाया करेगी किन्तु जहां तक इन राशियों को व्यय करने वाले अधिकारियों का प्रश्न है उन्हें संसद् के समक्ष उस का ब्यौरा देना पड़ेगा, ताकि उन्हें संचित निधि में से व्यय की जाने वाली राशियों के लिये संसद् की आज्ञा मिल सके। इस परिवर्तन से व्यय में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। यह तो प्रस्तुत करने की पद्धति में परिवर्तन किये जाने की बात है; मैं आशा करता हूं कि व्यय करने वाले अधिकारियों के आयव्ययकों में से इस वसूली की राशियों को निकाल देने से व्यय का नियंत्रण अच्छे ढंग से हो सकेगा।

गत फ़रवरी में प्रस्तुत किये गये आयव्ययक में आये हुए राजस्व लेखा में १८.७३ करोड़ रुपये की बचत थी और ५६.३५ करोड़ रुपये का कुल घाटा भी था। अब मेरा यह अनुमान

है कि राजस्व की बचत ३.७३ करोड़ रुपये होगी और कुल घाटा ७५ ६ करोड़ रुपयेहोगा। टाट (हेसियन) और बोरियां तथा कपास और रद्दी रुई के निर्यात शुल्क में कमी की जाने के कारण तथा ऊन, मंगफ़ली का तेल औ र तिलहन आदि पर से निर्यात शुल्क हटा जाने के कारण बहिःशुल्क की प्राप्ति में २५ करोड़ रुपये की कमी हुई है, और इस के परिणामस्वरूप राजस्व की बचत में भी १५ करोड़ रुपये की कमी हो गई है । अगाऊ आयकर-संग्रह से पांच करोड़ रुपये प्राप्त कर के उस कमी को आंशिक रूप से पूरा किया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि असैनिक व्यय में ५ करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी। वह इस तरह होगा कि खाद्य सहायता पर १० करोड़ रुपये व्यय करने की बजाय अनुदानों पर ५ करोड़ रुपये दिये जायेंगे जिन में से भारत-अमरीकी प्रविधिक सहयोग क़रार के अन्तर्गत स्वीकृ : सामुदायिक विकास योजनाओं पर होने वाले व्यय में केन्द्र की ओर से ३ करोड़ रुपये दिये जायेंगे और उद्योग सम्बन्धी भवन-निर्माण को सहायता देने के लिये दो करोड़ दिये जायेंगे। मैं इस समय राजस्व आयव्ययक में और कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। हमें छोटी सिंचाई परियोजनाओं को आर्थिक सहायत ादेने के लिये १० करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उद्योग सम्बन्धी भवन-निर्माण के लिये ५ करोड़ रुपये का ऋण, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये छः करोड़ रुपये का ऋण देना है, और मशीनें बनाने वाले निगम में लगाने के लिये २५ लाख रुपये देने हैं यद्यपि अमरीकी गहूं से १० करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और व हअलग रखे गये हैं—प्रविधिक सहयोग क़रार के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली सामग्री की बिक्री से ५ करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों द्वारा वापस किये गये अल्पकालीन ऋणों से दो करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, —जो इन पहले के कामों में लगाये जायेंगे फ़िर भी पूजीगत आयव्ययक में ४.२५ करोड़ रुपय की कमी रहेगी ।

माननीय सदस्य देखेंगे कि म खाद्य सहायता के लिये आयव्ययक में १५ करोड़ रुपये रखना चाहता हूं, जब कि गत फ़रवरी के आयव्ययक में २५ करोड़ रुपये उपबन्धित किये गये थे। मैं आशा करता हूं कि १५ करोड़ रुपये इस काम के लिये पर्याप्त होंगे। राज्यों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं कि खाद्य सहायता में क्यों कमी की गई : जनता ने भी इस का बहुत विरोध किया है । किन्तु देश के दीर्घकालीन हितों में सरकार की यही नीति बहुत सहायक होगी । आयात किये गये प्रदाय के मूल्यों में वृद्धि होते ही हमें लग भग ६० करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी, यदि ज्वार को सहायता देने के अतिरिक्त हमें उद्योग प्रधान क्षेत्रों में सहायता का वही पुराना स्तर रखना पड़े तो इस से केन्द्र के वित्तीय संसाधनों पर बोझ पड़ जायेगा। पिछले वर्ष भी कई राज्यों ने उद्योग प्रधान नागरिक क्षेत्रों को सहायता दिये जाने की बात पर आलोचना की थी। इस वर्ष की परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन के बीच का अन्तर और भी बढ़ गया होता, और इस में कोई भी संदेह नहीं कि यदि नागरिक क्षेत्रों को सहायता दी गई तो ग्राम्य क्षेत्र भी सहायता की मांग करने लगेंगे। उद्योग प्रधान क्षेत्रों में सन् १९५१ में, उपभोग की वस्तुओं के जो मूल्य थे, यदि उन सभी को सहायता प्रदान की जाय तो प्रति वर्ष ९० करोड़ रुपये का व्यय होगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस बात में मुझ से सहमत होंगे कि हमारी अर्थ व्यवस्था के विकास की दृष्टि में रखते हुए इस समय खाद्य को आर्थिकसहायता देना केवल अपव्यय होगा । हमें इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कमी हो जाने से उपभोक्ता को ही सीधा लाभ पहुंचा है। श्रमिक वर्गों के जीवन निर्वाह परिव्यय के देशनांकों से

[श्री सी० डी० देशमुख]

पता चलता है कि कुल ति . कर दामों में कमी ही हुई है। जब तक पूरी व्यवस्था न हो तब तक घरेलू अर्थ व्यवस्था की योजना में बड़ी कठिनाई आयेगी। यह कठिनाई अनिवार्य रूप से आयेगी तो, इसीलिये सरकार भी ज्वार (मिलों) को अर्थ-सहायता दे रही है। मुझे खेद है कि मैं केन्द्रीय कोष से इस बात के लिये कोई भी सहायता देने का वचन नहीं दे सकता जिस से कि आयात किये गये और समाहृत अनाज के दाम एक ही स्तर पर रखे जा सकें, किन्तु जैसा राष्ट्रपति ने अपने भाषण में भी कहा है सरकार देश को बर्बादी से बचाने के लिये प्रत्येक प्रकार की सहायता देगी।

अब मैं उन सभी परिवर्तनों का सार आप के समक्ष रखूंगा। इस वर्ष का कुल अनुमानित राजस्व ४०४.९८ करोड़ रुपये है, और इस में से १९७.९५ करोड़ रुपये प्रतिरक्षा सेवाओं तथा २०३.३ करोड़ रुपये असैनिक विभागों पर व्यय होगा—अर्थात् कुल ४०१.२५ करोड़ रुपये व्यय होने के बाद राजस्व लेखा में ३.७३ करोड़ रुपये की बचत होगी। आयव्ययक में ७९.३३ करोड़ रुपये का घाटा होगा किन्तु सारे आयव्ययक को मिला कर कुल घाटा ७५.६ करोड़ रुपये का रह जाता है। इस प्रकार आयव्ययक वर्ष के अन्त में हमारे पास ८३.०८ करोड़ रुपये की अंतिम रोकड़ बाकी होगी जिस में से लगभग ४० करोड़ रुपये की राशि विदेशी सहायता में से बची होगी, और शेष राशि से आगे के लिये वित्तीय कार्य चलाया जायेगा।

यद्यपि अब अनुमानित राजस्व की बचत में १५ करोड़ रुपये की कमी हो गई है और कुल आयव्ययक सम्बन्धी घाटे में १९.२५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है फ़िर भी मैं करारोपण में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। इन परिवर्तनों से जो भी क्षति हुई है, मुझे अब वही पूरी करनी है। वर्तमान परिस्थिति में भी देश के विकास के लिये इतना काम करना शेष है, यद्यपि साधारण जनता की इस मूल्य स्तर से कठिनाइयां कुछ कम हुई हैं और घाटे के आयव्ययक से छुटकारे के कोई आसार नहीं दिखाई देते हैं। मैं यह नहीं जानता कि कोई भी व्यक्ति करारोपण में कमी करने का सुझाव देगा। पिछले दो वर्षों में हमारा राजस्व कम होता गया है परन्तु आवश्यक व्यय बढ़ते गये हैं। देश की आर्थिक स्थिति से इस बात की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है कि यहां की राजस्व स्थिति को यथासंभव स्थिर बनाया जाना चाहिये। यदि इस समय सरकार की राजस्व स्थिति कमज़ोर हुई तो बड़ा भारी संकट उपस्थित होगा। मुझे आशा है कि सभी सदस्य मेरा समर्थन करेंगे।

संसद् में तथा इस से बाहर भी बार बार यही कहा जाता है कि सार्वजनिक व्यय में कमी क्यों नहीं की जाती। रक्षा को लीजिये जब तक सेना नहीं घटाई जाती तब तक रक्षा व्यय में कमी नहीं की जा सकती है, किन्तु देश की सुरक्षा के हित में सेना को कैसे कम किया जा सकता है? फिर भी सरकार ऐसे उपाय कर रही है कि इस के व्यय में कमी हो जाये। पिछले सत्र में मैं ने इस प्रकार का प्रयोगात्मक कार्यक्रम रखा था और सशस्त्र सेनाओं के संघटन और सामान की जांच कराने को कहा था। जांच का काम संतोषजनक ढंग से हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ बचत भी हो सकेगी। अभी मेरे पास कोई पक्का प्राक्कलन नहीं है; कालान्तर में मैं सदन के समक्ष इस वर्ष के संशोधित प्राक्कलन रख दूंगा।

मैं ने बतलाया था कि असैनिक व्यय की जांच के लिये मैं ने एक दो वरिष्ठ पदाधिकारियों को नियुक्त किया था। अभी यह जांच जारी है अतः कुछ समय बाद ही इस

की रिपोर्ट मिल सकेगी। किन्तु मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रशासनिक व्यय में यदि कुछ बचत हो भी जाय तो वह विकास सम्बन्धी व्यय में खप जाती है। देश की अर्थ व्यवस्था ही ऐसी है कि करारोपण में बहुत कमी करने की गुंजायश नहीं है। यों तो मितव्ययता के लिये प्रत्येक विभाग का प्रयत्न जारी है, और मैं सार्वजनिक लेखा तथा आंक समितियों की रिपोर्टों से पूरा लाभ उठाना चाहता हूं जिस से कि संसद् द्वारा अधिकृत किये गये व्यय का सदुपयोग हो और नीति का अक्षरशः पालन हो।

मैं पहले भी बता चुका हूं कि आयव्ययक वर्ष के अन्त पर सरकार की नगद रोकड़ में लग भग ८३ करोड़ रुपये की कमी हो जाती — यानी विभाजन के बिल्कुल बाद की संचित नगद रोकड़ में से लग भग २०० करोड़ रुपये और घट जाते। इस धन का एक बृहद् अंश आवश्यक प्रयोजनों एवं देश के विकास कार्यों पर व्यय किया गया है और यद्यपि इस बात में मतभेद हो सकता है कि इस निधि की प्रत्येक पाई का सदुपयोग हुआ है या नहीं फिर भी सभी इस बात को मानते हैं कि यह धन देश की भलाई अथवा सुरक्षा के लिये ही व्यय किया गया है। मार्च १९५३ तक इस संचित निधि में से न्यूनतम राशि बची रहेगी। भविष्य में यदि लगातार मूल्यावपात न होता जाये तो पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के सिलसिले में व्यय पूरा करने के लिये और धन इकट्ठा करना पड़ेगा। भविष्य में, आप चाहे किसी भी दृष्टि से इस समस्या को देखें आप संतुष्ट रह कर प्रयत्न छोड़ नहीं सकते, देश के विकास के लिये हमें अधिक से अधिक संसाधन जुटाने पड़ेंगे। योजना आयोग की योजनायें यथार्थवादी हैं जिन से हमें काफ़ी सहायता मिलेगी, और हमारे देश की समृद्धि होगी। अमरीकी प्रविधिक सहयोग क़रार, फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन, कोलम्बो योजना, आदि के द्वारा हमें हमारी विकास योजनाओं के लिये विदेशों से सहायता प्राप्त हुई है। हम जहां इन बातों का स्वागत करते हैं, वहां हमें अपने आप पर ही अधिक निर्भर होने का प्रयत्न करना चाहिये। हमारी समृद्धि का भवन बाहरी सहायता के स्तम्भों पर खड़ा नहीं हो सकता; हमारी जनता को अपने अथक प्रयत्नों द्वारा ही उस का निर्माण करना होगा। यदि आयव्ययक सम्बन्धी बोझ कभी कभी दुःखदायी मालूम दे तो उस समय यही बात ध्यान में रख लेनी चाहिये कि यह बोझ हमारे अपने लिये और अपने बच्चों के लिये हम वहन कर रहे हैं, किसी अन्य के लिये नहीं। मुझे इस बात में कोई भी सन्देह नहीं है कि हमारे भरसक प्रयत्नों को देख कर अन्य विदेशी देश भी हमें सहायता भेजते रहेंगे।

इस के पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, २६ मई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।